

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XIV contains Nos. 01 to 10)

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Maneesha Bhushan
Assistant Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol.XIV, Seventh Session, 2021/1943 (Saka)
No.08, Wednesday, December 08, 2021/Agrahayana 17, 1943 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos.141 to 148	11-45
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.149 to 160	46-83
Unstarred Question Nos.1611 to 1840	84-599

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE601-619,
626-627**PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE**39th to 43rd Reports

620

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE23rd to 25th Reports

621

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Railways on 'Passenger Amenities Including Modernization of Railway Stations' pertaining to the Ministry of Railways.

Shri Danve Raosaheb Dadarao

622

- (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Textiles.

Shrimati Darshana Vikram Jardosh

622

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 160th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2021-2022) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

Shri Som Parkash

623

- (iv) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Information Technology on "Demands for Grants (2021-2022)" pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

Shri Devusinh Chauhan

623

ELECTION TO COMMITTEE

624-625

Agricultural and Processed Food Productions
Export Development Authority (APEDA)

MATTERS UNDER RULE 377

666-688

- (i) Need to enact a law providing financial security to workers associated with film-making

Shri Ravi Kishan

666

- (ii) Need to take steps for promotion of jheenga (fish) farming in Sirsa and Fatehabad districts, Haryana

Sushri Sunita Duggal

667

- (iii) Need to upgrade Kameshwar Singh Sanskrit University, Darbhanga, Bihar to a Central University

Shri Gopal Jee Thakur

668

- (iv) Need to construct a goods siding for railway freight at Meerut as part of Eastern Dedicated Freight Corridor

Shri Rajendra Agrawal

669

- (v) Need to set up an Airport at Malda, West Bengal
Shri Khagen Murmu 670
- (vi) Need to expedite construction of NH 153 from Raigarh to Saraipalli in Chhattisgarh
Shrimati Gomati Sai 671
- (vii) Regarding development of holistic plan for the conservation of Sangai deer and Loktak Lake
Shri Raju Bista 672
- (viii) Need to include Bundeli language in the Eighth Schedule to the Constitution
Shri Anurag Sharma 673
- (ix) Regarding drinking water problem in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shrimati Jaskaur Meena 674
- (x) Need to undertake rejuvenation of 'Tedhe Mahadev Shivling', an ancient Shiva temple in Farrukhabad Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Mukesh Rajput 675
- (xi) Need to increase the frequency of local trains during morning and evening hours in Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar
Shri Ajay Nishad 676
- (xii) Regarding construction of dam in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana
Shri Rattan Lal Kataria 677

- (xiii) Need to provide passage across railway lines to farmers of villages located near level crossing Nos. 166 and 41 in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat
Shri Parbatbhai Savabhai Patel 678
- (xiv) Regarding repeal of CAA
Shri Abdul Khaleque 679
- (xv) Regarding recently approved mission on Oil Palm
Shri Pradyut Bordoloi 680
- (xvi) Regarding Tamil Nadu Defence Industrial Corridor Project
Shri S. R. Parthiban 681
- (xvii) Regarding enhancement of Women representation in Judiciary
Kumari Goddeti Madhavi 682
- (xviii) Regarding use of Solar Power for clean cooking
Shri Sridhar Kotagiri 683
- (xix) Regarding problems being faced in running of post offices in Arambagh Parliamentary Constituency
Shrimati Aparupa Poddar 684
- (xx) Regarding declaration of Ambarnath Railway Station as a Heritage Station
Dr. Shrikant Eknath Shinde 685
- (xxi) Need to undertake electrification of villages in Valmikinagar Parliamentary Constituency, Bihar
Shri Sunil Kumar 686

- (xxii) Regarding sanctioning of more Mobile Base stations in Odisha

Shri Chandra Sekhar Sahu

687

- (xxiii) Regarding commencement of full train service from Thiruvavarur to Karaikudi and reintroduction of train operations in Chennai-Karaikudi section

Shri M. Selvaraj

688

**HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES
(SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE)
AMENDMENT BILL, 2021**

689- 716

Shri Kiren Rijiju

689-716

Motion to Consider

715

Clauses 2 to 3 and 1

716

Motion to Pass

716

DAM SAFETY BILL, 2019

717-719

Amendments made by Rajya Sabha

Motion to Consider

717

Amendments Agreed to

719

DISCUSSION UNDER RULE 193

720-794

Climate Change

Shrimati Kanimozhi Karunanidhi

720-733

Dr. Sanjay Jaiswal

734-742

Shri Adhir Ranjan Chowdhury

743-758

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

759-764

Shri Sridhar Kotagiri	765-768
Shri Rahul Ramesh Shewale	769-772
Shri Dileshwar Kamait	773-776
Prof. Achyutananda Samanta	777-781
Shri Ritesh Pandey	782-787
Shri Shriniwas Dadasaheb Patil	788-790
Shri Pradyut Bordoloi	791-794

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	725
Member-wise Index to Unstarred Questions	726-731

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	732
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	733

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 08, 2021/Agrahayana 17, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**(Q.141)**

माननीय अध्यक्ष : आज सदन में बहुत खुशनुमा माहौल है । क्या कोई विशेष बात है?

प्रश्न संख्या 141, श्री तालारी रंगैय्या ।

माननीय सदस्य की किस्मत बहुत बढ़िया है, सप्ताह भर में तीसरी बार इनका क्वेश्चन खुल गया है ।

SHRI TALARI RANGAIAH : Speaker Sir, Good Morning. Kisan Rail is the Government's flagship programme. The first ever Kisan Rail runs from Devlali to Danapur. The second Kisan Rail runs from my Parliamentary Constituency Anantapur, Andhra Pradesh to Adarsh Nagar, New Delhi which is more than 2000 kilometres. Farmers are very happy that they are using Kisan Rails to market their produce. This has happened for the first time in the history of Indian Railways. Kisan Rail is a game changer. It is a paradigm shift. Kisan Rails are known for safe delivery and saving time.

I would like to take this opportunity to thank the Railway Ministry for introducing the Kisan Rails. I also thank the Ministry of Food Processing for giving 50 per cent transport subsidy under the scheme 'Operation Greens'.

माननीय अध्यक्ष: आपने दोनों मंत्रियों को धन्यवाद दे दिया । आपने खाद्य और रेलवे – दोनों विभागों के मंत्रियों को धन्यवाद दे दिया ।

SHRI TALARI RANGAIAH : Sir, I would like to know from the Minister whether the Government has any plans to reduce transport charges as the Kisan Rail

charge is almost equal to that of trucks. Kisan Rail charges more than Rs. 5128 per ton from my constituency Anantapur to Adarsh Nagar, New Delhi.

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे 12 प्रश्न हैं, ऐसा लगता है कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम वापस देना पड़ रहा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन यह एग्जाम कठिन है।

... (व्यवधान)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the Hon. Member has very rightly mentioned that Kisan Rail Services are providing a very good facility to the small farmers.

सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 1642 सर्विसेज ऑपरेट की जा चुकी हैं। छोटे से छोटे किसानों के लिए अच्छी से अच्छी से फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो विज़न है, यह 'किसान रेल' उस विज़न में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैटेरियल का जो डैमेज होता था, वह बहुत कम हो गया है। मैंने कई किसान भाइयों से बात की है, हमने जो जी. एस. कोचेज दिए हैं, उन जी.एस. कोचेज में सीट्स के ऊपर रखने के कारण मैटेरियल का डैमेज बहुत कम है और किसानों के लिए इसका बहुत बेनिफिट है। जहां तक कॉस्ट की बात है, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, आलरेडी इसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसके बाद अगर हम ट्रक के कम्पेरिजन में ब्रेकेजेज, डैमेज, डिले आदि की टोटल कॉस्ट कम्पेयर करें तो मेरे ख्याल से यह आज भी ट्रक की तुलना में कम्पिटिटिव होगी।

SHRI TALARI RANGAIAH : Sir, my second supplementary is this. I would like to know whether the Government is aware that Kisan Rails are running without *kisans*. Kisan Rails have to invariably run with special coaches to be attached; otherwise, they will be just normal goods trains.

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष महोदय, 'किसान रेल' का कांसेप्ट ऐसा ही है, यह बेसिकली गुड्स के लिए है, इसलिए इसमें 'किसान रेल' विदाउट किसान वाली बात नहीं आती है । यह बेसिकली गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी है ।

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL : Sir, thank you very much for giving me an opportunity to ask a supplementary question. As I am basically a farmer, I would be happy to know from the Railway Minister whether frozen bogies have been provided to transport perishable commodities and produces and whether tankers are connected with Kisan Rails to transport milk and milk products. It is because unless and until fresh things which have been produced by farmers are provided in that condition in the market, they will not have good sales. Therefore, I would like to know whether anything has been done in this regard or whether it is likely to be done so that it will be beneficial to the farmers. Thank you, Sir.

श्री अश्वनी वैष्णव : ऑनरेबल मैम्बर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । कंटेनर कॉर्पोरेशन, कौनकोर, इसमें रीफर कंटेनर्स का चलन है । बेसिकली रीफर कंटेनर इस तरह का कंटेनर है, जिसके अंदर रेफ्रिजरेटेड रखा जाता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखा जाता है । जैसे फिश या दूसरे पेरिशेबल आइटम्स के लिए रीफर कंटेनर का यूज होता है । सर, उन्होंने सेकेण्ड पॉइंट मिल्क के बारे में पूछा है । मिल्क के लिए ऑलरेडी अलग से एक टैंक की व्यवस्था है । अमूल या बाकी दूसरे जो दुध उत्पादन क्षेत्र हैं, उनसे रेगुलर्ली मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन रेल से होता है ।

डॉ. संघमित्रा मौर्य : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । जैसा कि सबको ज्ञात है कि किसान रेल, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को सही दाम मिल सके और सही समय पर ग्राहकों तक उपज पहुंच सके, इस चीज को ध्यान में रखकर चलाई गई है । मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश में खाद्यान्न, पशु धन, गन्ना, सब्जी, गेहूं, दूध,

दाल, आलू में प्रथम स्थान पर है और मक्का तथा धान में पूरे देश में उत्तर प्रदेश की उपज दूसरे नंबर पर है । उत्तर प्रदेश के किन जिलों से किसान रेल होकर गुजरती है? क्या भविष्य में बदायूं को भी किसान रेल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी?

श्री अश्वनी वैष्णव : ऑनरेबल स्पीकर सर, किसान रेल की सर्विस डिमाण्ड पर निर्भर करती है । जहां पर किसान भाई अगर किसी किसान रेल के लिए बुकिंग करना चाहें तो वह इंडेंट इसमें देते हैं । अगर ऑनरेबल मैम्बर के क्षेत्र में किसान भाइयों की तरफ से डिमाण्ड आएगी तो रेलवे हर तरीके से उसके लिए प्रयास करेगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 142, श्री रमेश बिधूड़ी ।

(Q.142)

श्री रमेश बिधूडी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी भी चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा । माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई कि भारत के 28 राज्यों में से जो 115 आकांक्षी जिले हैं, उन जिलों में उनकी समावेशी में उनके लिए पोषण, स्वास्थ्य और सारी व्यवस्थाएं, इसके साथ-साथ खेल-कूद की व्यवस्थाएं और शिक्षा तथा किसानों के लिए जल की व्यवस्था भी प्रधान मंत्री जी उन जिलों में करने का प्रयास कर रहे हैं ।

सर, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, वे योजनाएं गरीब आदमी तक पहुंचे, इसलिए मैं संचार मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं । गरीब लोगों तक वे सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए नवंबर में कैबिनेट में निर्णय हुआ है । उन सभी आकांक्षी जिलों में मेरी जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे 4-5 राज्य चिन्हित किए गए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से किन-किन जिलों में 4जी की संचार व्यवस्था उन गरीब लोगों के लिए मुफ्त हो रही है? वे आकांक्षी जिले हैं, क्या सरकार उनमें 4जी की व्यवस्था करने की योजना बना रही है?

श्री अश्वनी वैष्णव : ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मैम्बर साहब को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है । अभी हाल ही में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 7287 विलेजेज, जो पांच राज्यों में ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अनकवर्ड विलेजेज थे, उनमें 4 जी टावर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात है । यह केवल अकेला प्रयास नहीं है, इसके अलावा जितने भी हमारे जंगल विस्तार के क्षेत्र हैं या पहाड़ विस्तार के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में पिछले 5-6 सालों में टेलीकॉम का बहुत प्रसारण हुआ है । अगर हम सिर्फ संख्या देखें तो वर्ष 2014 में मात्र साढ़े छः लाख बेस स्टेशन थे । बेस स्टेशन, यानी टॉर्च से जैसे से रोशनी निकलती है, वैसे ही टावर का सिग्नल आता है । आज करीब 23 लाख बेस स्टेशन हो गए हैं ।

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और मैंने जैसा पहले कहा है कि प्रधान मंत्री जी की अनेक इस प्रकार की योजनाएं हैं, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं । ये जो ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो गरीब लोग रहते हैं, वे 4जी वगैरह का चार्ज वहन नहीं कर सकते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : आपको इस बात का लिखित में जवाब दे दिया गया है ।

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, मेरा यह निवेदन है कि यह तो चार राज्यों के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, बाकी के राज्यों में ऐसे जो अन्य गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में लोग भी सरकार की योजनाओं का ऑनलाइन यूटिलाइज करके लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने जितनी योजनाएं गरीबों के लिए लागू की हैं, जैसे स्वनिधि योजना में गरीब लोगों के लिए दस हजार रुपये का लोन था । अब नेट के माध्यम से आजकल लोग फेसबुक और सोशल मीडिया यूज करते हैं, क्या अन्य जिलों में भी कोई योजना पहुंचाने की तैयारी है और यदि है, तो वह कब तक है?

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, पहली बात यह है कि अब तक देश के कई जिलों में 50,620 वाई-फाई हॉटस्पॉट्स स्थापित हो चुके हैं । दूसरी बात यह है कि अब तक बी.एस.एन.एल. ने घर-घर में फाइबर पहुंचाने की योजना के तहत 17 लाख, 81 हजार घरों में फाइबर पहुंचाया है । हर तरह के प्रयास हो रहे हैं, जिससे कि देश के प्रत्येक घर में अफोर्डेबल इंटरनेट की सुविधा मिले ।

SHRI FRANCISCO SARDINHA : We are talking about 4G when the world has already started 5G. We are very happy, but whenever I go to my constituency, especially in rural areas, the connectivity is so bad. We are talking of wi-fi. The normal connectivity is not there when classes in schools and colleges are being conducted online, I would request the hon. Minister to please do something, so that the normal connectivity is there in the State of Goa.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: The hon. Member has asked a question about the State of Goa. I would just like to mention that when the scaling of telecom services has happened at such a rapid scale, from just about six and a half lakh BTS base stations in 2014 to 23 lakh, there will be challenges faced by the industry.

Secondly, the cost of data has reduced dramatically from about Rs. 226 per GB to about Rs. 20 plus odd per GB. So, that is the change which has happened in the industry. Regarding the specific points, hon. Member can any day meet me and we can find out the solutions to that.

SHRI DAYANIDHI MARAN : It is quite a similar question. The former Telecom Minister had assured in this House that 4G services and 5G services will be provided to BSNL and MTNL. Till date, we have seen no signs of BSNL or MTNL starting 4G services. In fact, they have been losing customers to Jio, which is supported by the Government where the Prime Minister himself was a ... * in the photo of the advertisement. ... (*Interruptions*). Yes, Mr. Goyal Ji ... (*Interruptions*) How can a Prime Minister ... * (*Interruptions*)

* Not recorded.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): No, No ... (*Interruptions*) this is a ... (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN : I am stating a fact ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, what is this? ... (*Interruptions*) What is this? ... (*Interruptions*). It is unfair. ... (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, let me complete my question ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, whatever ... (*Interruptions*) The entire ... * took place during his regime ... (*Interruptions*) जो कुछ हुआ है, वह उनके पीरियड में हुआ है।... (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN : How can he call me...*...(*Interruptions*) How dare he call me ...*...(*Interruptions*) He called me ...*... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी : ...* उनके समय में हुआ।... (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, he called me ...*. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, this should be taken off the record. ... (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: You cannot. ... (*Interruptions*). I got a clean chit ... (*Interruptions*) How dare you? ... (*Interruptions*).

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, please sit down.

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से आग्रह है, मैं पूर्व में भी कई बार आग्रह कर चुका हूँ कि प्रश्न में कोई आरोप-प्रत्यारोप न लगाएं। आप शॉर्ट में प्रश्न पूछें, प्रश्न संबंधित दायरे में पूछें। मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि तेलंगाना से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आप मध्य प्रदेश के बारे में पूछने लग जाते हैं। अगर किसी राज्य का विषय हो, तो राज्य के विषय से संबंधित प्रश्न पूछें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसद में ज्यादातर प्रश्नों में पॉलिसी मैटर के बारे में पूछा जाता है कि सरकार की पॉलिसी मैटर क्या है?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मोबाइल में 4G की सुविधा है, 5G की सुविधा नहीं है।... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, let him ask the question. ... (*Interruptions*).

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The Minister concerned should reply.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्यमंत्री जी।

... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: He will reply to that question ... (*Interruptions*) Why he tried to allege ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, आपके भावार्थ को समझ गए हैं ।

...(व्यवधान)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, hon. Member has asked the question about BSNL 4G services ... (*Interruptions*). Very clearly, BSNL is ... (*Interruptions*) Sir, you asked your question ... (*Interruptions*) Now, you have to listen to the reply also ... (*Interruptions*) You cannot just ask the question ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप आसन को संबोधित करें ।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष जी, क्या यह रिकॉर्ड में जाएगा?...(*व्यवधान*)

HON. SPEAKER: No. ...

(*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Member has asked a question about BSNL 4G services. People who have a very different past are trying to put allegations. I would like to understand the reason why BSNL went into such a bad situation. Who are responsible for that?... (*Interruptions*) Who is responsible for taking our telecom industry to that kind of a situation where the whole world is looking at us?

Today, BSNL is coming out of the difficult situation only because the hon. Prime Minister Modi ji has taken very, very firm steps on having our own indigenous 4G. First time, the Government is taking steps to develop our own indigenous 4G and 5G technologies, which will be our own 4G and 5G core technology. We will prove to the world that Indian engineers, Indian scientists

are going to develop the best core technology, the best radio technology where our products will go out to the world, not like the situation when some of our friends almost killed the organisation because of their own actions.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 143, श्रीमती साजदा अहमद ।

(Q.143)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सब चीज़ें चेक करा लूंगा । ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI SAJDA AHMED: The minimum nutritional requirement of an average individual is 2,400 kilo calories per day for rural areas and 2,100 kilo calories for urban areas. Food given by the Government to poor people is not diversified. They eat more cereals compared to protein and fat. The result is that the per capita consumption might touch the recommended calories but in the absence of protein and essential fats, the families have reported higher malnutrition. The nation is suffering from hidden hunger. Therefore, calorie consumption cannot be the sole determinant of hunger.

My question is, to address the issue of hidden hunger, whether the Government proposes to strengthen and enlarge the food basket to include millets, pulses and fats in the PDS.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYAL): At present there is no such proposal. We are going strictly as per the National Food Security Act. However, in view of COVID-19, in the last 19 months the Government has given five kilos of free food grains to 80 crore Indians across the country. We

have given free of charge five kilos food grains every month. In this regard we have spent, and will be spending up to March, over Rs.2.5 crore. I think it is the world's largest food security programme. In addition to that, the States are free to supplement any additional pulses or millets that they may like to give.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना चाहती हैं?

... (व्यवधान)

SHRIMATI SAJDA AHMED I would like to know the State-wise details.

SHRI PIYUSH GOYAL: It is available on the website. A reference has been given in the answer. However, the important thing to note is that no separate analysis is done of the correlation of food being provided under NFSA and malnutrition. Malnutrition is an outcome of several aspects, as you have rightly pointed out, Madam, in your supplementary. Therefore, all of us, the nation collectively will have to work towards finding a solution to this.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: Speaker, Sir, through you, I wish to bring to the notice of the Minister of Food and Public Distribution that because of the failure of the Government of India and the State Government to procure rice, there is an alarming situation in Telangana and now large number of paddy farmers are committing suicides.

You saw, till the other day, the TRS MPS did a...^{*} here and walked out of the House. In August the Food Corporation of India agreed to procure 40 lakh tonnes of rice from Telangana. Paddy has come into the market in

^{*} Not recorded.

October.... (*Interruptions*) Till today the Food Corporation of India has not procured even half the quantity.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने पूछा है कि कुपोषण के मामले पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है?

:... (व्यवधान)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: He is talking about malnutrition. I am talking about rice procurement.

माननीय अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने आप लोगों से पहले ही आग्रह किया था । ओके, थैंक-यू।

... (व्यवधान)

SHRI UTTAM KUMAR REDDY: Sir, let me complete my question.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा, उससे प्रश्न का कोई संबंध नहीं है । चूंकि यह गलत प्रचार बार-बार किया जाता है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के लिए रिकार्ड प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया है । तेलंगाना डीपीसी स्टेट है यानी फूड कार्पोरेशन डायरेक्ट प्रोक्योर नहीं करता है । राज्य सरकार पैडी प्रोक्योर करती है और उसे राइस में कंवर्ट करती है । उसके बाद उस राइस को फूड कार्पोरेशन को देती है । राज्य सरकार को चार या पांच एक्सटेंशन दे चुके हैं कि वह हमें और ज्यादा राइस दें, फिर भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी संख्या में परमिशन देने के बाद भी आज तक राज्य सरकार पारबोआएल्ड राइस खरीदने के लिए विफल रही है । फिर भी एफसीआई तैयार है और हमने अभी भी उसे एक्सटेंशन दिया है । जिस स्पीड से तेलंगाना से राइस आता है,

एफसीआई उसी स्पीड से खरीद सकती है । पैडी प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको सही जवाब मिल गया है, आप बैठ जाएं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इनको उत्तर मत दीजिए । इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है ।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को डायरेक्शन मत दिया करें कि मैं डायरेक्शन दूँ ।

... (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है ।

माननीय अध्यक्ष : आप मेरे माध्यम से जानिए, मंत्री जी से सीधे मत जानिए ।

श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, मैं आपके माध्यम से ही माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज से कई वर्ष पहले महामारी आई थी और उसमें करोड़ों लोग मरे थे । लगभग 50 लाख के करीब लोग बीमारी से मरे लेकिन कुपोषण और भुखमरी के कारण 50 लाख से ज्यादा लोग मरे थे । हमारे देश में कोविड के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाकर करोड़ों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया जिसकी सराहना यूएनओ ने भी की है, डब्ल्यूएचओ ने भी की है । सरकार ने इस दिशा में जो बेहतरीन कार्य किए हैं, क्या मंत्री जी उनका वर्णन हाउस में करने की कृपा करेंगे?

* Not recorded.

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष जी, इस बात का अनुमान कई जगह से मिलता है और कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स सुनने को मिलती हैं कि जब स्पेनिश फ्लू पूरे विश्व में वर्ष 1918 में फैला था, उस समय ज्यादातर लोग बीमारी की जगह भुखमरी से मरे थे । उसका कोई आंकड़ा या स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे अलग-अलग अनुमान देखने को मिलते हैं ।

भारत में विश्व का सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' चलाने के कारण 80 करोड़ लोगों को अन्न उपलब्ध कराया गया है । वास्तव में, जब विदेशों के कई फोरम्स जैसे जी-20 या अन्य कई बैठकों में मैं अपनी बात रखता हूँ तो पूरी दुनिया के विकसित देशों के नेता भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था के तहत 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के दौरान भी गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, पहाड़ों तथा घने जंगलों में भी हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में पारदर्शी तरीके से दिया जा रहा है । जब हमने इसकी ऑडिट थर्ड पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कराई, तो यह पता चला कि अधिकांश लोगों ने इस बारे में यह कहा कि उन्हें हर महीने अनाज मिलता है । कुछ राज्यों ने 3 महीने का राशन एक साथ दिया । उसका बायोमैट्रिक परीक्षण हुआ । यह अलग बात है कि तीन-चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व दिल्ली ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का पालन नहीं किया, लेकिन इनके अलावा लगभग 75 करोड़ से अधिक लोगों को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के तहत देश के हर कोने में 5 किलो प्रतिमाह अनाज मिला । प्रवासी मजदूरों में से किसी को दिल्ली, किसी को मुंबई में अनाज मिला, किसी को आधा राशन गांव में और आधा राशन शहर में, जहां वे काम करते हैं, इस व्यवस्था के तहत मिला ।

महोदय, अभी हाल ही में मैंने एक हफ्ते पहले इस देश के सभी खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक की । यहां सभी पार्टियां अलग-अलग सरकार चलाती हैं । पूरे देश के मंत्रियों और जो मंत्री नहीं आए, उनके अधिकारियों ने उस मीटिंग में यह बात रखी कि भुखमरी के कारण किसी भी व्यक्ति को कहीं भी तकलीफ नहीं आई । साधारतः पूरे देश में सभी को अनाज उपलब्ध हुआ ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Thank you Sir. I would like to thank the hon. Minister because he complimented the States for helping him in distribution. So, I think the Central Government and the States have worked very well together in this food distribution programme and I thank the Government of India for being very kind even to my State, the State where I come from.

In your reply, you have talked about biometric. I have one suggestion. The distribution system is excellent. But sometimes in the case of biometric, a lot of women who are working in the farms have to face the challenge of biometric. It is because the fingers' lines do not match and a very deserving person does not get it or an elderly person does not get it. The intention is very good. We are very happy to work together. We are making efforts to reduce malnutrition. Actually, this issue of malnutrition does not come under your Ministry. It comes under the Ministry of Women and Child Development. I do not want to keep that focus. Is there something that we can do in biometric? It is a technical issue. It is not your fault or any Government's fault.

SHRI PIYUSH GOYAL: Incidentally, this issue does not come under my Ministry. But I can share with you to the best of my knowledge. I may not be absolutely correct but may be Ashwini Ji can supplement. For the elderly people, even in Aadhaar biometric linkage, they have given some exemptions. However, your suggestion is worth examining. I will talk to the Minister concerned and ask him to examine it, and then, we can discuss this further.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 144 , श्री कनकमल कटारा ।

(Q.144)

श्री कनकमल कटारा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चौतरफा विकास कर रही है और आपका मार्गदर्शन भी समय-समय पर मिलता रहता है। गांव-गांव में इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है। कोरोना-काल में कोविड से हम सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र, डूंगरपुर (बांसवाड़ा), जोकि आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, वहां पिछले कुछ वर्षों से बच्चों के विद्यालय नहीं जाने का कारण ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है।

इस दौरान फर्जी कॉल्स करके पैसा मांगना, ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, ऑनलाइन गेम्स के बारे में बात करके पैसा मांगना तथा मैसेज करके ओटीपी के माध्यम से भी पैसा मांगा जा रहा है।

महोदय, इन संस्थाओं द्वारा ऑटोमेटिक कॉल या मैसेज कर जैसे सिंपली लर्न, बायजू, नोटबुक इत्यादि पहले इन सभी संस्थाओं का नाम लेकर निःशुल्क शिक्षा का प्रलोभन दिया जाता है। बाद में इन सभी संस्थाओं के नाम पर पैसा माँगकर बच्चों को परेशान किया जाता है। इसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकारों के सहयोग के साथ इसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्यों के विषय हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि जो भी कार्यक्रम हो उसमें होल ऑफ दी गवर्नमेंट की एप्रोच होनी चाहिए। इसमें केवल आई.टी. मंत्रालय नहीं, बल्कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इसके अलावा दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सबने मिलकर एक कार्यक्रम किया कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को किस तरह से रोका जाए। इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था (I4C) इंडियन साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर है, जो गृह मंत्रालय के तहत आती है। इसमें एक पोर्टल भी चलाया जाता है और सभी राज्यों के साथ इसका एक को-आर्डिनेशन होता है कि कहीं पर भी, किसी राज्य में अगर ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें

अगर सेंटर की तरफ से टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए तो सेंटर की तरफ से हमेशा स्टेट पुलिस को हेल्प प्रोवाइड की जाती है । साथ ही साथ एजुकेशन मंत्रालय ने भी सीबीएसई के जरिए, सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन के जरिए इंटरनेट का सेफ यूज क्या हो, उसके बारे में काफी जानकारीयाँ दी हैं और बहुत अच्छे से उसका एक प्रभाव भी हुआ है । इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सैक्शन 67बी के तहत भी कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं, जो कि राज्यों के साथ भी शेयर किए गए हैं, जिससे कि वे इसमें एक्शन ले सकें । एक ओवरऑल राज्यों के साथ मिलकर इसमें प्रयास चल रहा है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना सप्लीमेन्टरी प्रश्न संक्षेप में पूछ लीजिए ।

श्री कनकमल कटारा: महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेन्टरी प्रश्न यह है कि एक मामला प्रकाश में आया कि किसी बच्चे ने अपनी माँ के खाते से लगभग तीन लाख रुपये गेम में खत्म कर दिए और इस तरह के अनेकों मामले प्रकाश में आ रहे हैं । शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब व अनपढ़ लोगों के बैंक खातों से भी फर्जी कॉल करके राशि निकाली जा रही है । इसे तत्काल रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसे प्रकरणों में अब तक कितने साइबर अपराधियों को सजा दी गई है और कितने अपराधियों पर जुर्माना लगाया गया है? इसका विवरण क्या है? भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसको रोकने हेतु सरकार के द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है? इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, जैसा मैंने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर ही इसका प्रयास करना पड़ता है । यह राज्य का विषय है । भारत सरकार की तरफ से जो भी सहायता चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्प चाहिए, वह हमेशा प्रोवाइड की जाती है और भारत सरकार की जिस भी एजेंसी की मदद जब भी कोई राज्य माँगता है, वह मदद इसके लिए दी जाती है ।

श्रीमती केशरी देवी पटेल: महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है । यह अच्छी बात है कि सरकार द्वारा साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं । मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार विद्यार्थियों को जागरूक करने के

लिए साइबर क्राइम एवं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इत्यादि के बारे में उच्चतर माध्यमिक या डिग्री स्तर पर कोई कोर्स या पाठ्यक्रम चलाने का प्रयास करेगी?

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, इस विषय में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन ने एक बहुत ही डिटेल्ड इनफार्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की कैम्पेन चलाई है, जिसके तहत देश भर के छात्रों में जागरूकता पैदा हुई है । इसके साथ ही साथ आई.टी. मंत्रालय में एक सर्ट-इन संस्था है, सर्ट-इन ने बहुत सारे क्विज कॉम्पिटिशन रखे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे, जो सरल भाषा में लोग समझ सकें, इस तरह का मैटेरियल सभी जगह रखा गया है ।

SHRI HIBI EDEN: Our children are not safe even in our houses. There was a time when we used to keep our smart phones and internet accessibility away from children. But post-COVID-19 pandemic we are not able to do that. It is because in my State in Kerala, in June 2020, online classes had started. There was a huge digital divide in the State. Once the students started using the online platforms for educational purposes, there has been massive usage of internet and there have been occasions when there was a lot cyber bullying taking place.

There is a lot of ways by which students are harassed online. My specific question is this. Are there any provisions with the Ministry of Education to make sure that this does not happen? You have mentioned that there are a lot of campaigns which are happening. Is there any provision where you can include this as a part of the curriculum so that there is proper awareness among the students? Also, with regard to the State Governments, can cyber domes be initiated with the coordination of the Ministry of Home Affairs? Cyber laws are quite weak and awareness about cyber laws between

other Departments are quite weak. Is there any specific instruction from your Ministry to make sure that these campaigns happen and made a part of the curriculum as well?

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, अगर हम साइबर लॉज को थोड़ा सा भी टाइट करके इम्प्लिमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सारे के सारे मैम्बर्स एकदम चिल्ला पड़ते हैं कि संविधान का गला घोट दिया । यह कर दिया, वह कर दिया । लोगों के राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब हटा दिया ।... (व्यवधान) मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस विषय को रखना चाहता हूँ । साइबर क्राइम का जो विषय है, जिस तरह से बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और जिस तेजी के साथ नए-नए आयाम इसमें खुल रहे हैं, इसमें वाकई जरूरत है कि पूरे के पूरे समाज में एक ऐसा कंसेंसस बने कि रेगुलेशन और ज्यादा टाइट हो । इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर में यह विचार इस तरफ बढ़ रहा है ।

माननीय अध्यक्ष : दादा, आप बोलना चाह रहे थे । आप बीच में उठ जाते हो, मैं आपको हमेशा अलाउ करता हूँ ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 145 – श्री मद्दीला गुरुमूर्ति ।

(Q. 145)

SHRI MADDILA GURUMOORTHY : Sir, telecom companies have expressed concerns over the base pricing of spectrum offered for the trial phase. Could the Minister kindly tell whether all the experimental spectrums offered had bidders and whether there shall be any revisions in base pricing for future auctions?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the base price of telecom spectrum is determined by the Telecom Regulatory Authority of India. Already TRAI has issued a consultation paper and it is available in the public domain. All the stakeholders are giving their views. I would request the hon. Member also to give his views on this to TRAI. As and when TRAI submits its recommendations, the Government will take a final call on this.

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR : Sir, 5G is a new technology and it is different with wider applications than the previous technologies. What are the challenges that the telecom companies are facing during the trials and what steps have been taken by the Ministry to mitigate them?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: The biggest challenge that the telecom companies are seeing today is the amount of investment that will have to be put in for rolling out 5G technology. This is a challenge and the Government is very well cognizant of this challenge and that is why, the Government has already taken a very big step in terms of reforming some of the legacy issues which were there. Last September, hon. Prime Minister announced a big package of reforms. There will be many more regulatory challenges that we

are facing. The industry is bringing those points to us. As and when the industry brings more points to us, we will definitely address them.

SHRI MANISH TEWARI: Sir, I wanted to ask the hon. minister on one point. Is it a fact that the Chinese State-owned Company Huawei had requested for permission to participate in the 5G trial and that permission was refused by the Government of India because Huawei was deemed to be a security risk? Could the Minister kindly confirm whether both these assertions are correct or incorrect?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the hon. Member has asked a very important question. Looking at the geo political realities that we have all over the world, today, there is a discussion, a movement and a dialogue happening where the telecom devices which have a serious repercussion on technology-based security are procured through a trusted source.

In our country, Sir, we moved ahead of the curve. Actually, we decided to have a trusted source regime in which whatever equipment, whatever components, whatever systems we buy within the country for use in the country, they will be procured only from trusted sources. So, without taking the name of any particular company, I would like to say that whatever procurement is happening for 5G, it is happening under the trusted sources regime.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, before I move to 5G testing and so on, I would like to highlight that 4G mobile towers which the Government announced is a very welcome step. Since I come from Raigad and Koraput district, I would like to ask the hon. Minister about the list of 962 villages in

Raigad and 525 villages in Koraput. Can you provide the list and also give a timeline by when this will be implemented?

The Telephone Advisory Committee, which is headed by the Member of Parliament is now defunct. Can we be involved in ensuring the implementation within 18 months' timeline that you have decided? Can the MP do the review and help you so that this can be done in a smooth way? When will the 5G be available in places like Koraput and Raigad district?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker, Sir, if you permit me, I will speak in Odia. सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं उड़िया में बोलूँ?

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इसके लिए आधे घंटे पहले बताना पड़ता है।

... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : ठीक है सर, मैं हिंदी में ही जवाब देता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो ओडिशा और राजस्थान दोनों से हैं।

... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि कोरापुट, रायगड़ा, ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर वाकई एक बहुत बड़ा गैप था। इसी गैप को पूरा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7287 गांव सैंक्शन किए हैं, जहाँ टेलिकॉम सर्विसिज़ पहले नहीं थी। अब टेलिकॉम सर्विसिज़ देने के लिए गत नवंबर में 7287 गांवों के लिए 6466 करोड़ रुपये के फंड्स सैंक्शन किए हैं। माननीय सदस्य की चिंता है कि काम कब शुरू होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इसका टेंडर प्रोसेस चालू हो गया है। बहुत जल्दी इसके टेंडर्स अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा प्रयत्न रहेगा कि इसमें जल्दी से जल्दी काम किया जाए, क्योंकि उन क्षेत्रों में सर्विसिज़ की वाकई जरूरत है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, आप बात सुनिए । मैंने आपको 6 तारीख को अलाऊ किया था, सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए । महुआ मोइत्रा को 7 तारीख को अलाऊ किया था । अब सवाल यह है कि सभी माननीय सदस्य सप्लिमेंट्री पूछ सकें, इसलिए एक सप्ताह में एक व्यक्ति का ही नंबर आने दें, ताकि उनके अलावा अन्य सदस्यों का भी नंबर आ सके । आपने 6 और 7 तारीख को पूछा है । रोज़ आप ही पूछेंगे तो सदन में बाकी सदस्यों को मौका कैसे दे पाऊंगा?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने पास सारा रिकॉर्ड रखता हूँ । मैं बिना रिकॉर्ड के बात नहीं करता हूँ । कोई मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकता है ।

... (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN : Sir, there are only a very few opposition Members. If you reduce it to only one supplementary question per Member per week, it may not be correct. You may please raise it to two supplementary questions.

माननीय अध्यक्ष : मेरे पास यह भी रिकॉर्ड है कि 70 पर्सेंट सप्लिमेंट्री प्रश्नों को पूछने के लिए मैंने विपक्षी सांसदों को मौका दिया है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा हैं तो उनको मौका भी ज्यादा ही मिलेगा ।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, रूलिंग पार्टी के सदस्य सवाल नहीं पूछते हैं तो इसमें हमारा दोष है? ...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, प्रश्न पूछने का अधिकार आपका है, लेकिन अलाऊ करने का अधिकार मेरा है ।

प्रश्न संख्या 146 – श्री सुमेधानन्द सरस्वती जी ।

(Q. 146)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से माननीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष जी, करोड़ों अभिभावकों की पीड़ा मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ । हमारी युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अनेक प्रकार के गेम्स के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से उनका जीवन बर्बाद हो रहा है । यह एक बहुत ही चिंता का विषय है । अभी हमारे चारों में एक बच्चे को मोबाइल के माध्यम से जुए की लत लगी और तीन दिन व तीन रातें वह सोया ही नहीं । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा एक निवेदन है कि जैसे मंत्री जी शॉर्ट में जवाब दे रहे हैं, वैसे ही आप भी शॉर्ट में प्रश्न पूछिए । आप पूरी कहानी अब प्रश्नकाल में सुनाओगे कि एक राम लाल और उसका बच्चा ऐसा हो गया इत्यादि । यह तो नहीं हो सकता है न? आप पूछो कि जुए से बच्चे खराब हो रहे हैं, आप पॉलिसी मैटर पर पूछिए ।

... (व्यवधान)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में पूछ रहा हूँ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह था कि क्या सरकार का विचार इन गेम्स को प्रतिबंध करने का है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके अतिरिक्त, यदि नहीं हैं तो इसका कारण क्या है? इस बारे में मेरा निवेदन है ।

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रेगुलेशन एंड टैक्सेशन ऑफ बेटिंग एंड गैम्ब्लिंग की एंटीज़ 34 और 62 स्टेट लिस्ट में आती है । इसकी संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से स्टेट को इसके ऊपर कानून बनाना होता है । अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार चार राज्यों ने ऑनलाइन गैम्ब्लिंग और बेटिंग के विषय को प्रोहिबिट तथा रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया है । इसके लिए कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने कानून बनाया है ।

इसके अलावा, दो राज्यों ने इसको लीगलाइज़ भी कर दिया है । सिक्किम और नागालैंड ने इसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था की है । यह एक ऐसा कंप्लेक्स विषय है, जिसमें राज्यों और केन्द्र को मिलकर ही आगे कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जैसे सरकार ने पहले पॉर्नोग्राफी और पबजी जैसे गेम्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया, अब जो अन्य प्रकार के गेम्स आ रहे हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध लगाने का आपका विचार है?

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिबंध लगाने का अधिकार सेक्शन-69ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत दिया जाता है । उसमें पाँच क्राइटेरिया दिए गए हैं, जो स्ट्रैटवे संविधान से लिए गए हैं । Sovereignty of India, defence of India, friendly relations with foreign States, public order, preventing incitement to commitment of offence, इन सब कैटेगरीज़ में जो भी आते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड व्यवस्था है । उस व्यवस्था के तहत जाँच होती है और जाँच के बाद किसी भी वेबसाइट तथा ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है । अगर इस तरीके का कोई प्रपोजल आएगा तो उस पर इसी कानूनी दायरे में एक्शन लिया जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रंजीता कोली – उपस्थित नहीं ।

DR. M.K. VISHNU PRASAD : Mr. Speaker, Sir, I really appreciate the steps taken by the Government in maintaining harmony of the country. But I would like to know whether the Government will have stricter norms while censoring the movies and serials that are being telecast in OTT platforms like Netflix, Amazon Prime Video etc. Some of these movies and serials shown in these OTT platforms are creating some disharmony between various religions in the country.

SHRI ASHWINI VAISHNAV: Hon. Speaker, Sir, the hon. Member has raised a point which is really very important. All over the world people are really worried as to where the entire cyber world is moving because of the way social media intermediaries have become all pervasive today. So, the point which the hon. Member has raised needs a broader consensus not only in India, but across the world. We need to have a lot of discussion and a broader consensus is required throughout the society for this purpose.

DR. SHASHI THAROOR: Mr. Speaker, Sir, I actually wanted to ask a supplementary on the previous question. But you have been kind enough to give me the floor to ask a supplementary on this question, I thank you for the same.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ठीक है।

श्री बी. मणिकम तैगोर ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated in his reply that four States have passed laws to protect children from these online games. Will the hon. Minister take an initiative to call the IT Ministers of all the States for a Conference and decide about a uniform law across India because very serious issues are involved in this matter? Therefore, will the Minister assure the House about the actions to be taken in future?

SHRI ASHWINI VAISHNAV: Hon. Speaker, Sir, as I said right at the beginning, this is a constitutional arrangement in which the power is basically with State Governments. The matter concerns everybody and there is no boundary in cyber crimes and online gaming. It is all pervasive. So, if there is a

demand from State Governments for having a uniform law, definitely it will be considered.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 147 -- डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर ।

माननीय सदस्य बड़े शिक्षाविद् हैं । चेन्नै में एक बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं ।

(Q. 147)

DR. T. R. PAARIVENDHAR : Sir, whether the Central Government has planned to establish the price monitoring authority to control the price of raw materials, which is the urgent and foremost need of the hour to save the textile industry across the country, particularly in Tiruppur, Erode and Coimbatore in Tamil Nadu.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: सर, कल ही तिरुपुर और कोयम्बटूर के स्टैकहोल्डर्स से बात हुई । प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई जी के नेतृत्व में, टेक्सटाइल मंत्रालय में पीयूष जी की अध्यक्षता में, हम लोगों ने कई सारे स्टैक होल्डर्स से बात की । इसमें कॉटन की पूरी वैल्यू चैन के स्टैकहोल्डर्स से बात हुई और इस पर चार घंटे चर्चा हुई । वहां स्पिनर्स भी थे, प्रेसिंग वाले भी थे और ट्रेडर्स भी थे । उनको बताया गया कि कॉटन इंडस्ट्री पूरी वैल्यू चैन के ऊपर डिपेंड करती है । आजादी के बाद, सबसे ज्यादा किसानों को कॉटन के प्राइस मिले हैं । कॉटन यार्न का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है । अब जब कोरोना के बाद मार्केट ओपन हो गई है, तो डिमांड भी ज्यादा होने लगी है । किसानों के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, उसमें आज उनको कॉटन के ऊपर एमएसपी से भी ज्यादा प्राइस मिल रहा है । उनकी आय को दो गुना करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें कॉटन सबसे ज्यादा है । यह वैल्यू चैन की बात है । सब लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा ।

DR. T. R. PAARIVENDHAR : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any plan to reduce the GST from the existing 12 per cent to five per cent for handloom textiles, which is already in severe crisis due to COVID pandemic, market contractions and other natural calamities in Tamil Nadu. Will the Government take any remedial measures to save the textile industry from such crisis?

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: महोदय, सभी लोग जानते हैं कि जीएसटी के रेट तय करने के लिए हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में जीएसटी काउंसिल बनाया है । सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर और सचिव के साथ में सब लोग मिलकर ये प्राइस तय करते हैं । इंडस्ट्री हमेशा बातचीत से समस्या को हल करती है । कई जगहों से कई डिमांड्स आ चुकी हैं । पीयूष जी के साथ मिलकर हम लोगों ने काफी स्टैकहोल्डर्स से बात भी की है । आने वाले समय में जो भी इंडस्ट्री का स्टैंड होगा, वह क्लियर हो जाएगा ।

SHRI T. R. BAALU: Sir, the textile industry in Tamil Nadu is the second largest employment provider. Moreover, it provides 33 per cent of the business to India as far as textile garments and fabrics are concerned.

My problem is that of late, the prices of cotton and yarn have increased manifold thereby, the prices of garment and fabrics have increased proportionately. So, textile industry totally is in shambles. That is why, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to the Government of India to intervene in the matter because the taxes are too high on these products. There is a five per cent basic customs duty, five per cent infrastructural development cess and 10 per cent social welfare cess. Over and above, 11 per cent is the import duty. So, because of all these things, the textile industry is suffering a lot and that is why, the Government of Tamil Nadu has requested the Centre. The Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to the Government of India last week requesting to remove 11 per cent import duty on cotton; secondly, to reduce the minimum lot size of 500 bales which is sustainable to MSMEs; and thirdly, extend five per cent of interest subvention to spinning mills towards procurement of cotton during peak season.

These are the three demands made by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu. So, kindly see that the textile industry is saved. I would request the senior Minister, who is hear, to respond to the demands made by our hon. Chief Minister ... (*Interruptions*)

It is better that, Piyush-ji, you intervene. It is the most important issues. It is providing a lot of employment opportunities to the people.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY, MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYAL): I am very grateful to my good friend and senior colleague for highlighting the important contribution of Tamil Nadu in the textile sector.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक बात बताइए, क्या आप उनके डायरेक्शन मानेंगे?

... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, जब दो-दो मित्र बोलते हैं तो माननी पड़ती है । क्या करें?
... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Sir, hon. Minister is my friend. It is a pleasantry and I appreciate it.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, in fact, the Government of India also has been proactive in supporting the industry in Tamil Nadu. In fact, we are very proud of all our craftsmen, weavers and all the MSME sector industries in Tiruppur, Coimbatore, Madurai and many other places in Tamil Nadu. They are doing some very good work. The hon. Member has raised certain issues which directly do not come under us. So, we are not able to respond to his specific

points that the hon. Chief Minister has raised. We will consult with the relevant Ministries but issues like Import Duty, GST, all of these have to be seen in a much wider perspective. Now, when we look at Import Duty for example, it is also a tool which helps our farmers. Our effort is that our cotton farmers get a good value for their produce and to protect the farmers, at times, it is necessary to provide Import Duty protection so that imported goods do not flood the market and affect the remuneration that the farmers get. I think, the whole House is aggregable that our responsibility to upliftment of farmers and doubling farmer's income is a collective responsibility of the nation and all of us, the Members, in this august House. So, we are always trying to balance the different stakeholders and bring fair play. International prices of cotton and yarn are currently at high levels and market also is absorbing those high levels. In that process, our farmers are getting good value. After many years, farmers are getting these kinds of values, Rs. 6,500 or Rs. 7,000 per quintal. It is a great support to the farmers. Therefore, I think, at that stage, we are making every effort in balancing all stakeholders.

I can assure the hon. Member that the Government is in continuous dialogue with all the stakeholders. As the hon. Minister, my colleague, said, very recently we met everybody in the entire value chain in the cotton industry, that is, yarn-makers, traders, everybody. Prices are stable now. I have the exact detail. If you want, I can read it out also but I can assure you that in the last one month or so, after that meeting, prices are on a downward trajectory which will support the upstream industries, the apparel manufacturers and all,

so that our farmers do not face the stress of not getting a suitable remuneration for their produce.

SHRI K. SUBBARAYAN: Sir, there are 23 NTC mills functional in India. If all are operationalised, they can produce the yarn for national consumption as well as for export. This will generate employment also. Therefore, the Government should consider this suggestion.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश: माननीय अध्यक्ष जी, यह इससे रिलेटिड क्वेश्चन नहीं है ।...
(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Jasbir Singh Gill.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Q. No. 148, Shri T. N. Prathapan.

(Q. 148)

SHRI T. N. PRATHAPAN: Sir, what are the Government's schemes and projects for employment generation under the Make-in-India programme?

12.00 hrs

SHRI SOM PARKASH: Sir, the 'Make in India' scheme was launched on September 25, 2014. The focus is on 27 sectors. The DPIIT is coordinating Action Plans for 15 manufacturing sectors, while the Department of Commerce is coordinating for 12 service sectors.

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

**(Starred Question Nos.149 to 160
Unstarred Question Nos.1611 to 1840)
(Page Nos.51 to 599)**

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त ।

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मैं आपको शून्यकाल में बोलने का मौका दूंगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप बोलेंगे तो शून्यकाल में मौका नहीं मिलेगा । आप बिना इजाजत के बोलना चाहते हैं तो बोलें । अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको शून्यकाल में मौका दूंगा । मैं आपको गुरु पर्व के विषय पर बोलने का मौका दे दूंगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैंने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है । अगर आप विराजेंगे तो मैं आपको मौका दूंगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप विराजेंगे तो मैं मौका दूंगा, नहीं तो वह मौका भी आपका जाएगा । फिर, मैं नियम प्रक्रिया से चलूंगा । मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको मौका दूंगा तो दूंगा ।

... (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आईटम नम्बर-2, श्री प्रहलाद जोशी जी ।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:-

1. The Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.717(E) in Gazette of India dated 4th October, 2021.
2. The Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.717(E) in Gazette of India dated 4th October, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 5314/17/21]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5315/17/21]

(2) (एक) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, वास्को-डी-गामा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5316/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5317/17/21]

(4) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5318/17/21]

(5) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5319/17/21]

(6) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5320/17/21]

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5321/17/21]

- (8) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2021 जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5322/17/21]

- (9) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 515(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) चौथा संशोधन विनियम, 2021 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 678(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) पांचवां संशोधन विनियम, 2021 जो 24 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 834(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5323/17/21]

(10) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 319(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 4 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5324/17/21]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5325/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1	विवरण सं. 35		पांचवा सत्र, 2010 [Placed in Library, See No.LT 5328/17/21]
2	विवरण सं. 37		आठवां सत्र, 2011 [Placed in Library, See No. LT 5329/17/21]
3.	विवरण सं. 33		दसवां सत्र 2012 [Placed in Library, See No. LT 5330/17/21]
4.	विवरण सं. 30		ग्यारहवां सत्र 2012 [Placed in Library, See No. LT 5331/17/21]
5.	विवरण सं. 31		तेरहवां सत्र 2013 [Placed in Library, See No. LT 5332/17/21]
6.	विवरण सं. 26		चौदहवां सत्र 2013 [Placed in Library, See No. LT 5333/17/21]
सोलहवीं लोक सभा			
7.	विवरण सं. 26		दूसरा सत्र, 2014 [Placed in Library, See No. LT 5334/17/21]

8.	विवरण सं. 26		तीसरा सत्र, 2014 [Placed in Library, See No. LT 5335/17/21]
9.	विवरण सं. 25		चौथा सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 5336/17/21]
10.	विवरण सं. 22		पांचवां सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 5337/17/21]
11.	विवरण सं. 22		छठा सत्र, 2015 [Placed in Library, See No. LT 5338/17/21]
12.	विवरण सं. 20		आठवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 5339/17/21]
13.	विवरण सं. 19		नौवां सत्र, 2016 [Placed in Library, See No. LT 5340/17/21]
14.	विवरण सं. 17		ग्यारहवां सत्र, 2017 [Placed in Library, See No. LT 5341/17/21]
15.	विवरण सं. 15		बारहवां सत्र, 2017 [Placed in Library, See No. LT 5342/17/21]
16.	विवरण सं. 14		तेरहवां सत्र, 2017-18 [Placed in Library, See No. LT 5343/17/21]
17.	विवरण सं. 13		चौदहवां सत्र, 2018 [Placed in Library, See No. LT 5344/17/21]
18.	विवरण सं. 12		पंद्रहवां सत्र, 2018 [Placed in Library, See No. LT 5345/17/21]

19.	विवरण सं. 9		सत्रहवां सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 5346/17/21]
सत्रहवीं लोक सभा			
20.	विवरण सं. 8		पहला सत्र, 2019 [Placed in Library, See No. LT 5347/17/21]
21.	विवरण सं. 6		तीसरा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 5348/17/21]
22.	विवरण सं. 3		पांचवां सत्र, 2021 [Placed in Library, See No. LT 5349/17/21]
23.	विवरण सं. 2		छठा सत्र, 2021 [Placed in Library, See No. LT 5350/17/21]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5351/17/21]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5352/17/21]

(2) खाद्य अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. ईपी.33(1)/2017 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5353/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. MKT-REGN/0002/2017 in Gazette of India dated 1st November, 2021 under Section 39 of the Spices Board Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 5354/17/21]

(2) A copy of the Coffee Board (Cadre and Recruitment) Amendment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.747(E) in Gazette of India dated 20th October, 2021 under sub-section (3) of Section 48 of the Coffee Act, 1942.

[Placed in Library, See No. LT 5355/17/21]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 49 of the Tea Act, 1953:-

- (i) The Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2021 published in Notification No. S.O.3086(E) in Gazette of India dated 2nd August, 2021.
- (ii) The Tea (Distribution and Export) Control (Amendment) Order, 2021 published in Notification No. S.O.3158(E) in Gazette of India dated 6th August, 2021.
- (iii) S.O.3415(E) published in Gazette of India dated 23rd August, 2021, relating to suspension of the operation of Section 12 to 16, Section 39 and Section 40 of the Tea Act, 1953.

[Placed in Library, See No. LT 5356/17/21]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

- (i) S.O.3317(E) published in Gazette of India dated 16th August, 2021, regarding amendment in Export Policy of COVID-19 Rapid Antigen testing kits.
- (ii) S.O.3953(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2021, regarding amendment in Export Policy of Betel Leaves.
- (iii) S.O.3954(E) published in Gazette of India dated 23rd September, 2021, regarding amendment in Export Policy of Mercury and insertion of Policy Condition.
- (iv) S.O.4066(E) published in Gazette of India dated 4th October, 2021, regarding amendment in Export Policy of Syringes and incorporation of Policy Condition.
- (v) S.O.4141(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2021, regarding relaxation in Export Policy of Red Sanders Wood.
- (vi) S.O.4294(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2021, regarding amendment in Export Policy of Melt Blown Fabric.
- (vii) S.O.4295(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2021, regarding amendment in Export Policy of Syringes.
- (viii) S.O.4296(E) published in Gazette of India dated 14th October, 2021, regarding amendment in Export Policy of Diagnostic kit.

- (ix) S.O.4609(E) published in Gazette of India dated 8th November, 2021, regarding amendment in Export Policy of Animal By-products.
- (x) S.O.4014(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2021, regarding extension of Foreign Trade Policy 2015-2020 up to 31.03.2022.
- (xi) S.O.3203(E) published in Gazette of India dated 9th August, 2021, regarding amendment in import policy of Integrated Circuits (ICs) and incorporation of policy condition for HS Codes 85423100, 85423900, 85423200, 85429000, and 85423300, of Chapter 85 of ITC (HS), 2017, Schedule - I (Import Policy).
- (xii) S.O.3204(E) published in Gazette of India dated 9th August, 2021, regarding extension in period of modification of IEC till 31.08.2021 and waiver of fees for IEC updation done during August, 2021.
- (xiii) S.O.3215(E) published in Gazette of India dated 10th August, 2021, regarding amendment in Para 2.07 of Foreign Trade Policy, 2015-2020.
- (xiv) S.O.3464(E) published in Gazette of India dated 24th August, 2021, regarding relaxation in applicability of provision in Para 6 (b) of General Notes Regarding Import Policy Schedule – I (Imports) of the ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy) .

- (xv) S.O.3560(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2021, regarding amendment in Policy Condition No. 1 of Chapter 88 of ITC (HS) 2017, Schedule- I (Import Policy).
- (xvi) S.O.3594(E) published in Gazette of India dated 2nd September, 2021, regarding incorporation of Explanation in Notification No.36/2015-2020 dated 18th December, 2019.
- (xvii) S.O.3614(E) published in Gazette of India dated 3rd September, 2021, regarding inclusion of Ports of Import in continuation to Notification 20/2015-2020 dated 24.08.2021.
- (xviii) S.O.3657(E) published in Gazette of India dated 9th September, 2021, regarding amendment in Import Policy of Mercury under ITC HS Code 28054000 and insertion of Policy Condition No. 03 in Chapter 28 of ITC(HS), Schedule I(Import Policy).
- (xix) S.O.3708(E) published in Gazette of India dated 13th September, 2021, regarding clarification on last date of import in continuation of Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021.
- (xx) S.O.3803(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2021, regarding amendment of policy condition no. 5 of Chapter 27 of ITC (HS), 2017, Schedule I (Import Policy).

- (xxi) S.O.3966(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2021, regarding inclusion of Ports of Import in continuation to Notification No. 20/20215-20 dated 24.08.2021 and Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021.
- (xxii) S.O.4167(E) published in Gazette of India dated 8th October, 2021, regarding inclusion of Ports of Import in continuation to Notification No. 20/2015-20 dated 24.08.2021, Notification No. 23/2015-20 dated 03.09.2021 and Notification No. 32/2015-2020 dated 25.09.2021.
- (xxiii) S.O.4594(E) published in Gazette of India dated 3rd November, 2021, regarding amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2017, Schedule – I (Import Policy).
- (xxiv) S.O.4794(E) published in Gazette of India dated 22nd November, 2021, regarding amendment in policy conditions governing import and export in rough diamonds falling under Chapter-71 of Schedule (I) of ITC(HS) 2017 and Schedule(II) of ITC(HS) 2018.
- (xxv) S.O.3707(E) published in Gazette of India dated 13th September, 2021, making certain amendments in Notification No. S.O.1858(E) dated 15th May, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 5357/17/21]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Kochi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Kochi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Kochi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5358/17/21]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Council for Leather Exports, Chennai, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5359/17/21]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5360/17/21]

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021.
- (ii) Annual Report of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5361/17/21]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Tobacco Board Act, 1975:-

- (i) S.O.4437(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2021, authorising the Tobacco Board to allow the traders/dealers of the Tobacco to purchase at its auction platforms in the State of Karnataka and Andhra Pradesh during the auctions for Crop Season 2021-22, the excess flue cured Virginia tobacco produced by registered growers and unauthorized flue cured Virginia tobacco produced by unregistered growers in both the states, subject to the conditions mentioned therein.
- (ii) S.O.4438(E) published in Gazette of India dated 25th October, 2021, relaxing the operation of the provisions of sub-section (1) of Section 10 read with sub-section (1) of Section 14A of the said Act in the States of Karnataka and Andhra Pradesh during the auctions in the Crop Season 2021-22 and permits the sale of

excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and unauthorised flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board.

[Placed in Library, See No. LT 5362/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 55 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016:-

- (1) The Unique Identification Authority of India (Adjudication of Penalties) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.772(E) published in Gazette of India dated 2nd November, 2021.
- (2) The Aadhaar (Pricing of Aadhaar Authentication Services) Regulations, 2021 (No.1 of 2021) published in Notification No. K-11022/632/2019/Auth/UIDAI (No. 1 of 2021) published in Gazette of India dated 14th October, 2021.

- (3) The Aadhaar (Authentication and Offline Verification) Regulations, 2021 published in Notification No. K-11020/240/2021/Auth/UIDAI (No. 2 of 2021) published in Gazette of India dated 9th November, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 5363/17/21]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI
DARSHNA VIKARAM JARDOSH):** Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2019-2020.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5364/17/21]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Central Cottage Industries Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2019-2020.

- (ii) Annual Report of the Central Cottage Industries Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 5365/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Patents (Amendment) Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.646(E) in Gazette of India dated 21st September, 2021 under Section 160 of the Patents Act, 1970.

[Placed in Library, See No. LT 5366/17/21]

12.03 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

39th to 43rd Reports

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'पूँजीगत राजसहायता के संवितरण के बारे में योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता' संबंधी 39वां प्रतिवेदन*।
- (2) 'विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन' के बारे में समिति के 90वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन*।
- (3) 'सम्पदा निदेशालय का कार्यकरण' के बारे में 41वां प्रतिवेदन।
- (4) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2018-19) से अधिक व्यय' के बारे में 42वां प्रतिवेदन।
- (5) 'दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण और विकास' के बारे में समिति के 135वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

* 39th and 40th Reports have already been laid on the Table of the Rajya Sabha on 11.08.2021 and presented to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on 06.10.2021.

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

23rd to 25th Reports

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

- (1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 18 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 19 और 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021-22 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.04 hrs**STATEMENTS BY MINISTERS**

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Railways on 'Passenger Amenities Including Modernization of Railway Stations' pertaining to the Ministry of Railways.*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय से संबंधित 'रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाओं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Textiles.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHNA VIKARAM JARDOSH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 18th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Textiles.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5310/17/21 and 5311/17/21 respectively.

12.05 hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 160th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2021-2022) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 160th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2021-2022) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

12.05½ hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Information Technology on "Demands for Grants (2021-2022)" pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 22nd Report of the Standing Committee on Information Technology on "Demands for Grants (2021-2022)" pertaining to the Department of Posts, Ministry of Communications.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5312/17/21 and 5313/17/21 respectively.

12.06 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

**Agricultural and Processed Food Products Export Development
Authority (APEDA)**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL) :** Sir, I beg to move the

following: -

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Act, 1985 read with rule 3 of APEDA Rules 1986, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि इस सभा के सदस्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित एपीईडीए अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्याधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात

विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.07 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE-Contd.**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 5, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूँ :-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2021, जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 665(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन की रीति) विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. जे-25/6/2020/सीसीपीए में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5326/17/21]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/05/2018 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5327/17/21]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रिया ।

“तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू महि साका”

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस है । उन्हें ‘हिन्द दी चादर’ (दि शील्ड ऑफ इंडिया) का खिताब इसलिए दिया गया था, क्योंकि दुनिया और देश के इतिहास में पहली बार हमें एक ऐसी कुर्बानी और शहादत की मिसाल मिलती है, जहां एक गुरु ने किसी दूसरे धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी । सन् 1675 में कश्मीर के पंडित श्री आनंदपुर साहिब से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास रोते और कुरलाते हुए पहुंचे थे । उस वक्त मुगल हुकूमत ने ठान ली थी, कसम खा ली थी कि वे हिन्दुस्तान से हिन्दुओं को खत्म करके ही सांस लेंगे । उन्होंने ये ठान लिया था कि वे हर रोज सवा मन जनेऊ उतारकर ही सांस लेंगे ।

महोदय, आप सवा मन जनेऊ का मतलब सोचिए कि कितने हजारों, लाखों हिन्दुओं का कत्ल या धर्म परिवर्तन करके ही ये मुगल राजा-बादशाह सांस लेते होंगे ।... (व्यवधान) प्लीज एक मिनट । हमारा हिन्दुस्तान उनकी वजह से बचा है, आप मुझे कुछ मिनट तो बोलने दीजिए ।

महोदय, जब पहली बार ये सभी पंडित उनके पास जाकर रोए थे, तो बहुत सोच-विचार के बाद उन्होंने कहा कि जब कोई महान इंसान अपनी शहादत देगा, तभी यह जुल्म रुक सकता है । उनके 9 साल के बेटे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी आपसे बड़ा महान और कौन हो सकता है । पहली बार दुनिया के इतिहास में एक इंसान श्री आनंदपुर साहिब से चलकर दिल्ली में आया और चांदनी चौक में हमारे गुरु साहब ने किसी और धर्म को बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका धन्यवाद । यह सदन आपके साथ है ।

श्री रवनीत सिंह जी ।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, मैं यह अर्ज करती हूँ कि आज आप दो मिनट का मौन रखें।... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): स्पीकर साहब, आपने मुझे आज बोलने की इजाजत दी है, इसके लिए धन्यवाद। आपसे जब बात हुई तो आपने भी कहा था कि आज के दिन मेरा उनके आगे सिर झुकता है। गुरु किसी एक व्यक्ति या एक धर्म के नहीं होते हैं, चाहे वे हिन्दू, सिख, मुस्लिम, ईसाई धर्म के हों। चूँकि हम मानते हैं कि उस समय औरंगजेब एक अलग तरह का राजा था, लेकिन सिख गुरु ने हमेशा से सबके लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कभी भी किसी एक धर्म की बात नहीं की थी।... (व्यवधान)

12.11 hrs

At this stage, Shrimati Harsimrat Kaur Badal came and stood on the floor near the Table.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, हिन्द की चादर कहे जाने वाले हमारे 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी ने किसलिए कुर्बानी दी थी? उन्होंने शांति के लिए, सद्भाव के लिए कुर्बानी दी थी। आज ह्यूमन राइट्स को बचाने की बात हो रही है, उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी।... (व्यवधान) उनके बेटे सर्ववंश दानी, गुरु गोविन्द सिंह जी ने अपना पूरा परिवार वार दिया था। जब उनके पास कश्मीर के पंडित कृपा राम जी अपने अन्य लोगों के साथ आए तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब इतना जुल्म कर रहा है, इसलिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे 9वें गुरु ने कहा कि मैं कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और उनके 9 साल के बच्चे, गुरु गोविन्द सिंह जी ने भी कहा कि इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? आप दिल्ली जाइए और कुर्बानी दीजिए।... (व्यवधान) उन्होंने चांदनी चौक पर आकर कुर्बानी दी तो उनके साथ उनके भाई मतिदास, भाई सतिदास को भी आरियों से चीरा गया। उनके साथ भाई दयाला जी को भी उबले हुए तेल में डाला गया।... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सर, हमारी संसद के बगल में ही रकाबगंज गुरुद्वारा है । आज से 400 साल पहले यहां पर गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार हुआ था । उनकी शहादत हुई थी । लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा उसका प्रतीक है ।... (व्यवधान) जब डुगडुगी पिटवाई गई कि इन्होंने अपने धर्म के लिए अर्थात् जनेऊ, तिलक और चुर्की के लिए शहादत दी है और इनका संस्कार अगर अपने संस्कारों के अनुसार नहीं हुआ तो हम दफना देंगे, तब लक्खी शाह बंजारा नाम का एक बंजारा उन्हें अपनी बेलगाड़ी पर डालकर लाया और बच्चों को बोल दिया कि जानवर खोल देना और झोपड़ी के अन्दर डालकर आग लगा देना, जिससे उनका संस्कार हो जाए और उसके बाद उनका शीश लेकर आनन्दपुर साहब चला गया । इसके लिए पार्लियामेंट और हिन्दुस्तान का संविधान गवाह है । अनुच्छेद 25, जो हमें अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार देता है, वह इस शहादत से आया है । वे जनेऊ नहीं पहनते थे, वे तिलक नहीं लगाते थे, चुर्की नहीं थी, उसके बावजूद हिन्दू-ब्राह्मणों की चुर्की, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने शहादत दी थी ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज उनकी शहादत को सब लोग याद कर रहे हैं ।

... (व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: स्पीकर साहब, धन्यवाद । आपने समय दिया । अभी उनका 400वाँ जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है । प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनके बारे में कहा है । ह्यूमन राइट्स के बारे में अगली पीढ़ियां जान सकें, उसके लिए दिल्ली में उनके नाम पर एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जिससे उनका अगली पीढ़ियों तक नाम रहे ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैडम, आप भी सीट पर जातीं । माननीय सदस्या, अगर आप वेल में आ गई हैं तो मैं आपको बोलने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ । मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया था । आप सीट पर जाकर बोलती, लेकिन आप वेल में आकर बोल रही हैं ।

... (व्यवधान)

12.14 hrs

At this stage, Shrimati Harsimrat Kaur Badal went back to her seat.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, the tea plantation sector in Kerala generally sustains a large number of people directly and indirectly. There are 104 tea estates all over Kerala. There are 74 tea estates in my constituency, including Munnar and Peermade, 29 in Wayanad and three each in Palakkad and Thiruvananthapuram.

Unfortunately, the labourers, who are working in these estates, are from socially and economically backward sectors. Their living conditions are very poor. They do not have enough housing facilities and there is lack of water and sanitation, and other basic needs also. They are living in the housing structures called *layams* which are not being properly maintained. Their maintenance is the responsibility of the management, but they are maintaining them because of their financial crises.

In Peermade Taluk, there are 38 estates but only 17 are working partially. The wage disbursement is happening very rarely and labour strikes are very common. Due to this a very critical situation has arisen. The survival of labourers is in crisis.

That is why I urge upon the Government to look into this. I already met hon. Finance Minister two times, and through you, I am requesting the hon. Prime Minister to make a comprehensive, constructive and immediate

announcement of a special package of Rs. 1,000 crore just like it has already been announced for Assam and Bengal in the last Budget.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीश तिवारी जी, आपका विषय लॉटरी में खुला है, लेकिन इस विषय पर लोग कई बार बोल चुके हैं।

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुमति तो देनी पड़ेगी, यह आपका अधिकार है।

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो ऐसी कुछ दो-तीन बातें हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले जो विषय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री एस. एस. अहलुवालिया और श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने उठाया था, मैं आपने आपको उसके साथ एसोसिएट करता हूँ। जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, उसको इस सदन को जोड़ना चाहिए, न कि उसके ऊपर अलग-अलग ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। एक शायर ने लिखा था :

“नौ वरेया दे नानक ने आप जंजू नई पाया और
नौ वरेया दे गोविन्द ने नौवें नानक नू जंजू दी रक्षा
वास्ते विदा किता और मुस्कराया।”

यह संस्कृति थी पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की, जिसने इस देश की हिफाजत की है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो बातें सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। 11 अक्टूबर, 2021 को भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन और अध्यादेश जारी किया था, उससे पंजाब में बीएसएफ की ऑपरेशनल रिमिट 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दी थी। यह अध्यादेश, जो बीएसएफ का कानून है, उसके सेक्शन 139 के बिल्कुल विरुद्ध है। वह कानून कहता है कि “Adjoining the border areas of India”. पंजाब भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही छोटा प्रदेश है और जब आप 50 किलोमीटर की बात करते हैं तो इसका यह मतलब है कि आधा पंजाब बीएसएफ

की गिरफ्त में आ जाता है । मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के हिसाब से, जो लिस्ट-2 की एंट्री-1 और एंट्री-2 हैं – पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं । पंजाब की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि यह जो नोटिफिकेशन है, इसको वापस लिया जाए । सरकार में मेरी मांग है कि बीएसएफ की ऑपरेशनल रिमिट बढ़ाने का जो अध्यादेश है, यह संघीय ढांचे के ऊपर आघात है । पंजाब सरकार से बात किए बगैर यह काम किया गया है और इसे वापस लिया जाना चाहिए ।

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Speaker, Sir, with your permission I would like to draw the attention of the hon. Minister for Rural Development regarding the issue of pending list of beneficiaries who are deprived of PM Awas Yojana - Rural in Tamil Nadu.

The last list is already full and there is no information about when new beneficiaries will be added to this Scheme. If Housing for All by 2022 Scheme has to become successful, then it is imperative to include all such new beneficiaries. When the portal will be opened again is a question on which we get a lot of queries from general public. For effective implementation of the Scheme, the Ministry should ensure that the portal must work round the clock and without any glitches.

Thank you, Sir.

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय । आज मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मौका मिला है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में गुन्नौर विधान सभा क्षेत्र आता है, जो संभल जिले का हिस्सा है । आजकल कभी ओवरटेकिंग, कभी हाई स्पीड, और कभी ड्रिंक आदि की वजह से सड़क दुर्घटनाएं एक सामान्य सी बात हो गई हैं । हाल ही में हमारे गुन्नौर क्षेत्र में ट्रैक्टर और बस का एक्सीडेंट, बस और फोर-व्हीलर का एक्सीडेंट, ट्रैक्टर और टू-व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ है और इन एक्सीडेंट्स में बहुत से लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है । उन्हें बचाने में हम सफल इसलिए नहीं हो पाए, क्योंकि गुन्नौर का व्यक्ति इलाज के लिए एक्सीडेंटल केस लेकर अलीगढ़ जाता है और अलीगढ़ गुन्नौर से लगभग 70 किलोमीटर की दूर है । अगर वह बदायूं मेडिकल कॉलेज जाता है, तो उसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर है । इतनी लंबी दूरी होने की वजह से अगर हम एक्सीडेंटल पेशेंट को लेकर जाते हैं तो लगभग डेढ़ से पौने दो घण्टे की दूरी तय करते हैं, जिसकी वजह से हम सीरियस केस को बचाने में असमर्थ होते हैं । अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारी गुन्नौर लोक सभा में एक ट्रामा सेंटर खुलवाया जाए, जिससे गुन्नौर के साथ-साथ अन्य आस-पास के क्षेत्रों को भी लाभ मिल सके ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, नमस्कार । मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है । दिल्ली में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के जो 1031 स्कूल हैं, उनमें टीचर्स की 64 हजार सैंक्शंड स्ट्रेंथ है, लेकिन उनमें से केवल 35 हजार टीचर्स ही उपलब्ध हैं और 29 हजार टीचर्स की शॉर्टेज है । इन 35 हजार टीचर्स में भी 22 हजार टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, गेस्ट टीचर्स हैं । हर साल 9वीं क्लास में दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक लाख से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं । दिल्ली सरकार उनको न तो रिपीट करवाती है और न ही 10वीं में एडमिशन देती, केवल उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देती है । वे बच्चे कोरेसपोडेंस में चले जाते हैं । बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खराब हो रहा है । ये जो 21 या 22 हजार टीचर्स हैं, इनको महीने में केवल 15 दिन बुलाया

जाता है और एक हजार रुपये दिए जाते हैं । मैं आपसे और सदन से पूछना चाहता हूँ कि अगर महीने में टीचर को 15 हजार रुपये मिलेंगे तो वह बच्चों को क्या पढ़ाएगा और उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी?

एक तरफ तो दिल्ली के मुख्य मंत्री पंजाब में जाकर बोलते हैं कि वहां के 36 हजार गेस्ट टीचर्स को एक साल के अंदर रेगुलराइज कर दूंगा और दिल्ली में सात साल से, जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर उन्होंने अभी तक एक भी गेस्ट टीचर रेगुलराइज नहीं किया है । वहां 22 हजार गेस्ट टीचर्स हैं । उन्होंने दिल्ली में वादा किया था कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा और 20 नए कॉलेज बनाऊंगा, मगर एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना तथा एक भी गेस्ट टीचर रेगुलराइज नहीं हुआ ।

आज दिल्ली के बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, दिल्ली के मुख्य मंत्री उसका बहुत बड़ा कारण हैं । वे ... * के जहाज पर चलते हैं । भारत सरकार से कहूंगा कि वे दिल्ली के मुख्य मंत्री का ... * उनसे बात करे । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नो ।

... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, वह दिल्ली के मुख्य मंत्री से बात करें । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय हैं । आप ऐसे शब्द न बोला करें ।

... (व्यवधान)

* Not recorded.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ । ... (व्यवधान) सर, सात साल में दिल्ली के मुख्य मंत्री एक भी गेस्ट टीचर को पक्का नहीं कर पाए हैं और वे पंजाब में जाकर वादा कर रहे हैं तो इससे बड़ा ... * क्या हो सकता है ।

माननीय अध्यक्ष : उस शब्द को निकाल देना ।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद व आभार ।

महोदय, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ योजना को माननीय वन मंत्री और जल शक्ति मंत्री जी द्वारा मंजूरी दी गई है । सीमांचल क्षेत्र में एक ओर बाढ़ तो दूसरी तरफ सिंचाई की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए कोसी और मेची नदी जोड़ योजना में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपये की 'कोसी-मेची नदी जोड़ योजना' को मंजूरी दी गई । इस योजना के धरातल पर उतरने से न सिर्फ कोसी और सीमांचल के इलाके में बाढ़ की समस्या खत्म होगी, बल्कि इससे दो लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई भी हो सकेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि "कोसी-मेची नदी जोड़ योजना", जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पास लंबित है, इस योजना के लिए आबंटित राशि को दिया जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसानों को बाढ़ और सुखाड़ जैसी समस्या से निदान प्राप्त हो । हम लोग सीमांचल के एरिया से आते हैं, इसलिए इस योजना का पूरा किया जाए । धन्यवाद ।

* Not recorded.

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे यह अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है, वास्तव में केन्द्र की मद से 14वें और 15वें वित्त के जो पैसे हैं, उसका किस प्रकार से ...* किया जा रहा है, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ । छत्तीसगढ़ की सरकार आंगनवाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को रेडी टू इट पोषण आहार वितरण को महिला समूहों से छीन करके ठेकेदारों के माध्यम से वितरित करने और ...* की तैयारी की जा चुकी है ।...(व्यवधान) यह छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया है ।...(व्यवधान) वह वहां की महिलाओं का हक छिनने का काम कर रही है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है की प्रदेश में सक्रिय हजारों महिला समूह की लाखों बहनें बेरोजगार हो जाएंगी । उनके द्वारा क्रय की गई मशीनें अनुपयोगी हो जाएंगी ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2009 में जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए सभी प्रकार के पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला समूहों को दिया गया था, ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके और हजारों महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ । वहां ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी आर्थिक और सामाजिक रूप से बदलने लगी, वहां परिवर्तन आया ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे 30-35 हजार से ऊपर स्व-सहायता समूह बेरोजगार हो जाएंगे, उनको बेरोजगार होने से बचाया जाए ।... (व्यवधान) वहां सभी प्रकार से सभी व्यवस्थित हों ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में आरोप-प्रत्यारोप न किया करें, नहीं तो आइंदा बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी । इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, मैं सभी को एक साथ कह रहा हूँ ।

* Not recorded.

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Thank you, Sir. Tamil Nadu is a leading producer of tapioca starch and sago, and most of the manufacturing units are in my Parliamentary Constituency of Kallakurichi.

This essential agro industry is facing serious situation with the introduction of GST, and most of the tapioca starch and sago manufacturing units are struggling for their survival. While the starch is charged at 12 per cent, sago is in the five per cent slab. Sago -- that is made out of tapioca starch -- is marketed through Salem Sago Serve to the Northern States under the name sabudana, which is mostly consumed as a food product only. Since, the final product is a food consumable, the GST on the same has an impact on the price of the product.

Several representations by traders to both the State Government and the Union Government have not met with any positive response. Since, the industry is on the verge of collapse, their plea for reduction of 12 per cent on tapioca starch to five per cent, and exemption from GST for sago, that is, to bring it from five per cent slab to zero per cent may please be sympathetically considered.

I sincerely hope that the Government's promise to uplift the agriculture sector will come true through such kind gestures. Thank you.

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग दो सालों से रेलों का आवागमन काफी प्रभावित हुआ है । रेल मंत्रालय द्वारा स्थिति को सामान्य करने के लिए रेलों का संचालन पुनः शुरू किया गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में भी इस दौरान कुछ विशेष रेलगाड़िया चलाई गई थीं, जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे डिपार्टमेंट के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल और इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी हैं । वहां बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है । वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों का संचालन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है । परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उनका ठहराव नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में बहुत परेशानियां हो रही हैं । क्योंकि वे ट्रेन्स फिर से शुरू तो हो गई हैं, लेकिन पहले जहां उनका ठहराव था, वहां उन स्टेशनों पर ट्रेन्स का ठहराव नहीं हो पा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि सालासर सुपरफास्ट गाड़ी का रेलवे स्टेशन गोटन में, आला हजरत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन सेंदड़ा में, जम्मूतवी-जैसेलमेर गाड़ी का रेलवे स्टेशन डेगाना में, बांद्रा-चंडीगढ़ गाड़ी का ब्यावर में, कालका एक्सप्रेस गाड़ी का गोटन में एवं सालासर सुपरफास्ट का रेलवे स्टेशन रेन में ठहराव हो ।

अतः मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन स्टेशन्स पर दोबारा इन ट्रेन्स का ठहराव किया जाए । मैंने पहले भी बहुत बार यह प्रस्ताव दिया था । इस विषय पर ध्यान देकर जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाए । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

HON. SPEAKER: Shri Chandra Sekhar Sahu – not present.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, I would like to bring to your kind attention to the fact that one of the government-aided Central Universities is functioning in Thiruvavur, which is in my constituency. It is a pity to mention here that those who had given their land for establishment of this University, the Government have neglected them by not providing employment opportunities in various fields of this University. Earlier, people were recruited for skilled, semi-skilled and unskilled posts on temporary and contractual basis by outsourcing them. Now, the number of such posts has been reduced, thus, causing livelihood distress to the employees.

New courses on Microbiology and Pharmaceutical education should be introduced in this Central University. Already a vast land is available at their disposal, which will be more useful for local students to pursue these courses.

As the Central University conducts examination on all-India basis, the local students could not able to compete and do not get the merit in their desired courses, I would request the Government to take appropriate steps to conduct examination of this University at the State level only.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, the Silver line - (K Rail) - Semi High-Speed Rail project proposed in Kerala is very harmful for the interests of the State.

This project envisages a 529.45 kms-long Semi High- Speed Railway line passing through 11 districts. They have not conducted any kind of necessary surveys. It is quite unfortunate to note that no traffic survey, no

geotechnical survey, no environmental survey, and no social Impact study have been conducted.

The DPR prepared is mostly based on assumptions and hypothesis. Cost estimates, traffic projections and economics of the line are not reliable.

The said Semi High-Speed line will displace a large number of families.

As per a rough estimate, 20,000 families will have to be relocated. Under any circumstances, this will not be feasible. ... (*Interruptions*) This is not feasible at all.

I would like to humbly request that the Government of India and the Government of Kerala should desist from this project. It is against the public interest. ... (*Interruptions*)

Throughout Kerala, a lot of protests are taking place. The Government should take this very seriously and desist from this kind of move. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका जवाब हमेशा रिटिन में आता है।

... (व्यवधान)

***SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR**

(CHANDRAPUR): Hon'ble Speaker Sir, in Yavatmal district of Maharashtra, two assembly seats named Wani and Arni fall under my Lok Sabha Constituency.

One Kendriya Vidyalaya was started at Yavatmal in the year 2007 and since then it has been running through a Zila Parishad school for the last fourteen years, which is utilised for Sarva Shiksha Abhiyaan.

According to Census, 2011, the total population of Yavatmal district is 27.72 lakh and out of this around 5.15 lakh people belong to tribal community. Arni assembly seat is also reserved for ST category. Considering the sizeable population of tribals, it is necessary to construct an independent building for Kendriya Vidyalaya and all the sanctioned posts should also be filled.

In this Kendriya Vidyalaya Yavatmal, education is being imparted to the students of I to XII standard and around 560 students are studying in this school currently. Out of 36 sanctioned posts, only 18 posts have been filled.

Land has already been allocated at Mouza Dorli for the construction of school building, but due to the indifferent attitude of the central government, school building has not been constructed yet, and the students of the school are deprived of the benefits and basic facilities at the school.

*English translation of the speech originally delivered in Marathi.

I would like to urge upon the central government to take this issue seriously and sanction the funds for the construction of the school building immediately.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि 'केंद्रीय विद्यालय खोला जाए' लेकिन आप पूरी किताब पढ़ने लग गए हैं । यह गलत है ।

श्री गुमान सिंह दामोर ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने इलाके की बात संक्षिप्त में एक मिनट में समाप्त करें ।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि 15 नवम्बर को उन्होंने 'जनजाति गौरव दिवस' मनाने की घोषणा की है । मैं माननीय मोदी जी का और भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाया और ...* वालों से बचाया । ऐसे ही यशस्वी प्रधान मंत्री जी हमारा प्रदेश भी अपेक्षा करता है ।

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? आप अपनी बात कहा करो । यह शब्द गलत है, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दो ।

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर: अध्यक्ष जी, मेरे जनजातीय क्षेत्र में जो टोले हैं, वहां विद्युतीकरण शेष है और हमारे क्षेत्र में फीडर सैप्रेशन नहीं होने के कारण श्री फेज पॉवर सप्लाई नहीं मिल पा रही है । मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, I would like to take this opportunity to draw the attention of the Government through you, Sir, on the issue pertaining to my constituency.

* Not recorded.

Earlier, there was an LC railway gate no. 87 at 137/800 km at Periyangathunai village, Nagamangalam post, Denkanikottai taluk. The gate was closed in 1997 during the gauge conversion. This gate was used by the people of Kadur, Uppalam, Gawrikunta, Chinna Nagathona and Bedda Nagathona for their day-to-day movement. Now, the children have to go to school by crossing this line. The farmers have to cross this line for their daily farming activities. This is a life threatening and accident-prone area.

Therefore, I request the Government to build a railway under bridge for purpose of safety and easy passage for the daily commuters.

श्री अरुण साव (बिलासपुर): अध्यक्ष जी, देश में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नारी सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व काम हुए हैं चाहे वह तीन तलाक का मामला हो, चाहे हर घर में शौचालय निर्माण का मामला हो, चाहे हर घर में रसोई गैस कनेक्शन देने का मामला हो या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुड़े हुए 73 लाख महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई आठ करोड़ महिलाओं को आजीविका प्रदान कर उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 नवम्बर, 2021 को एक आदेश जारी करके 21 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं की आजीविका को छीनने का काम, उन्हें कमजोर बनाने का काम किया है । आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान ले और महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हो रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाए ।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): अध्यक्ष जी, आपने मुझे रादौर विधान सभा की एक गंभीर समस्या को उठाने का अवसर दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान रेलवे वर्कशॉप स्टेशन जगाधरी के पास फरखपुर, रेलवे कालोनी मडेबर सहित अन्य क्षेत्रवासियों की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ ।

महोदय, इस क्षेत्र की आबादी करीब 30-40 हजार है । इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को स्कूल, कालेज, मार्केट, अस्पताल और एकमात्र शमशान घाट तक जाने के लिए रेलवे लाइन की दूसरी तरफ जाना पड़ता है । यहां के बच्चों को स्कूल व कालेज तथा निवासियों को मार्केट अस्पताल और दाह संस्कार हेतु शमशान घाट जाने के लिए करीब तीन-चार किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 के बाद देश को कई रेलवे फाटकों से मुक्त किया है । इस क्षेत्र के अंदर एक क्रॉसिंग गेट 100सी था, जिसे अब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है । रेलवे द्वारा एक अंडरपास बनाया गया है जो आबादी से तीन-चार किलोमीटर की दूरी पर है । वह सुनसान जगह पर है और रात के समय लूटपाट व किसी अप्रिय घटना होने का डर है । बरसात के समय उस अंडरपास के नीचे पानी भर जाता है और लोगों को आने-जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है । मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अपील है कि जगादरी वर्कशॉप स्टेशन पर एक, क्रॉसिंग गेट नंबर-100 पर इस्पात का एक, ओवरब्रिज पैदल यात्रियों तथा दुपहिया वाहन चालकों के लिए बनाया जाए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके । धन्यवाद ।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित सिरमौर जिले में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय चलता था, जिसको वर्ष 2002 में किसी कारण से बंद कर दिया गया । इस विद्यालय की दो मंजिला इमारत में लगभग 35 कमरे हैं तथा यहां दो बड़े खेल के मैदान भी हैं । एक प्राइवेट कॉलेज इस समय वहां चल रहा है । वर्तमान समय में जिला-सिरमौर में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है और बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग यहां पर हैं । इस विद्यालय को दोबारा शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बहुत सारे सैनिक, पूर्व सैनिक, वीर नारियों के बच्चों को शिक्षा मिल सके । जिला-सिरमौर हिमाचल प्रदेश के किनारे स्थित एक दूरदराज का क्षेत्र है । शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की यहां पर कमी है ।

अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस केन्द्रीय विद्यालय को एक बार फिर से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके । धन्यवाद ।

श्री जसबीर सिंह गिल (खड्डर साहिब): धन्यवाद स्पीकर सर, पंजाब अपने आर्टिसेंस के लिए बहुत मशहूर है । अमृतसर में गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी है, जिसने एक प्रपोजल भेजी है कि आज गुरु तेग बहादुर साहब के 400 वर्षों पर उनको समर्पित करते हुए उनके नाम पर एक हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट खोला जाए, जिसकी जमीन और बिल्डिंग यूनिवर्सिटी बनाकर देगी । उन्होंने इसके लिए पहले से ही प्रपोजल बनाकर रखा हुआ है । मैं हमारी पूर्व टेक्सटाइल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रपोजल को माना था और डायरेक्टर, हैंडीक्राफ्ट की ड्यूटी लगाकर कमेटी बनाई थी । चूंकि उनका मंत्रालय बदल गया है और आज दर्शना जी बैठी हुई हैं । मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके इन हैंडीक्राफ्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप हमारा गुरु तेग बहादुर साहब हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जो सठियाला में बनना है, उसे अप्रूवल देने की कृपा करें । उस पर ज्यादा व्यय नहीं होगा, क्योंकि जमीन तथा अन्य आवश्यक सभी चीजें हम स्वयं देंगे । धन्यवाद ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिले के सीमान्त किसानों, जिनकी जमीन भारत-पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, उनकी वर्षों से लंबित समस्या और मांग की तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जी व भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान के बाड़मेर जिले के 10 हजार से अधिक किसानों की लगभग 11,468 बीघा जमीन तारबंदी और जीरो पॉइंट के बीच फंसी हुई है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1992-93 में राजस्थान के चार जिलों से लगती हुई पाकिस्तान की सीमा पर जब तारबंदी की गई तो कई किसान भूमिहीन हो गए । बॉर्डर पर जीरो पॉइंट तथा तारबंदी के मध्य में किसानों की लगभग 100 मीटर जमीन गई थी, उसके बावजूद कुछ किसानों को मात्र 1.5 मीटर जमीन का ही

मुआवजा दिया गया । इस प्रकार विगत 28 वर्षों से इस जमीन का न तो मुआवजा मिला और न ही किसान इस जमीन पर खेती कर पाए हैं ।

महोदय, सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन किसानों की खातेदारी में है । ऐसे में किसान उनकी जमीन का हक लेने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक गए, लेकिन अभी तक किसानों को जमीन न तो खेती के लिए मिली है और न ही जमीन का मुआवजा उनको मिल सका है । उच्च न्यायालय, राजस्थान ने भी बीएसएफ को मामले का निस्तारण करने पर विचार करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक निस्तारण नहीं हुआ है । बीएसएफ ने कई बार कहा कि हम फेंसिंग के गेट खोलकर खेती की अनुमति दे देंगे, जैसे गंगानगर व पंजाब में खेती होती है, लेकिन यहां बाड़मेर में 4 या 5 किलोमीटर दूर एक गेट खोलना वहां के किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है ।

महोदय, कुछ ऐसी ही स्थिति जैसलमेर व बीकानेर जिलों के सीमांत किसानों की है, जहाँ राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किसान की दर्शा रही है, लेकिन उसे तारबंदी के लिए ले लिया गया है परन्तु किसानों को उसका हक नहीं दिया गया है ।

महोदय, मेरा गृह मंत्री जी से और आपसे आग्रह है कि बाड़मेर जिले के हजारों किसानों के साथ बीकानेर व जैसलमेर जिले के किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर किसानों के साथ वार्ता करके किसानों को उनकी माँग के अनुरूप मुआवजा दिया जाए । जो किसान खेती करना चाह रहे हैं, उन्हें खेती करने की अनुमति देने हेतु फेंसिंग पर नजदीक गेट खोले जाएं ताकि किसानों को समस्या न हो और इस मामले का जल्द से जल्द सरकार निस्तारण करे ।

महोदय, यह बड़ी समस्या है और इस पर आप सरकार को निर्देशित करें ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, पिछले 6 दशकों से सीजीएचएस हमारे देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवा प्रदान कर रही है । वर्तमान में 12 लाख प्राइमरी कार्ड होल्डर्स हैं और 37 लाख लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं । मुम्बई डिविजन में 26 सीजीएचएस वेलनेस सेंटर और डिस्पेंसरीज हैं और सभी एमएमआर के बाहर हैं । केवल एक डिस्पेंसरी ही एमएमआर रीजन, मुम्बई मेट्रोपोलिटन रीजन में है । वह डिस्पेंसरी अंबरनाथ में है । इसके कारण सभी लाभार्थियों को अंबरनाथ, नहीं तो मुम्बई जाना पड़ता है, जिससे इन दो सेंटर्स पर बहुत ही भीड़ होती है । इन दोनों सेंटर्स पर निर्भर लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है ।

मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सीजीएचएस का एक और सेंटर डोंबिवली या कल्याण में दें, जिससे यह जो पूरी पॉपुलेशन है, इतने सारे लाभार्थी हैं, इनको लाभ मिल सके । उनको मुम्बई तक सफर न करना पड़े, क्योंकि उसमें ज्यादातर रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं । ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीजीएचएस का लाभ मिले, इसलिए आप सीजीएचएस का एक सेंटर मेरे चुनाव क्षेत्र कल्याण या डोंबिवली में शुरू करने की अनुमति दें ।

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु दत्त शर्मा— उपस्थित नहीं ।

श्री सौमित्र खान ।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे जन्मदिन पर बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बधाई हो ।

... (व्यवधान)

श्री सौमित्र खान : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ । मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और वह पूरा एरिया किसानों का है । पश्चिम बंगाल का किसान बहुत ज्यादा समस्या में है । हर महीने वहाँ परिवेश खराब हो जाता है । वहाँ बहुत बाढ़ आती है । इस बार भी जो जवाब बाढ़ आई है, उससे धान और आलू की खेती करने वाले बहुत से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है ।

पिछली बार हमने देखा था कि जब अम्फान आया था तो उस टाइम प्रधान मंत्री जी ने जाकर 2200 करोड़ और एक हजार करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया था, लेकिन उसके बाद पंचायत में बहुत घोटाला हुआ और किसी भी किसान को पैसा नहीं मिला । मेरी विनती है कि इस बार जवाब बाढ़ में जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनके लिए 500 करोड़ रुपये की मदद की जाए और डायरेक्ट पैसा किसानों के बैंक खाते में जाए । मेरी किसानों के लिए यह विनती है । किसान रहेगा तो हम लोग रहेंगे । धन्यवाद ।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir. Recent floods have caused huge damage in Chittoor and Kadapa districts of Andhra Pradesh. Our hon. Chief Minister has requested the Centre to help the State to cover the losses caused by these floods. The Central Government has already sent a team there and they have assessed the damages caused in the two districts.

So, I would request, through you, the Central Government to help the State immediately so that the losses are covered at the earliest.

Thank you, Sir.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, due to unannounced release of water from Mullaperiyar Dam, the previous day, houses were flooded and people had to leave their homes without any planning. Residents living downstream of the Dam, facing sleepless nights for over a week due to the release of water from Mullaperiyar, are tired of living like this in constant fear. The residents said that their children are unable to go to school and, at night, they do not know what to do when water suddenly enters their homes without any warning.

The only permanent solution to the eternal threat to the safety concerns of 126-year old existing Mullaperiyar dam, and to protect the safety of lakhs of people living in the downstream of the dam, is to build a new dam in the downstream reaches of the existing dam. ... (*Interruptions*)

The ageing dam is situated in the seismic zone III, and various studies say that this dam is in danger. So, I would request the Central Government to take an initiative for the construction of a new dam in Mullaperyar to save the lives of lakhs of people... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप क्या बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, the Supreme Court has given a verdict... (*Interruptions*) The dam is safe... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अकेले माननीय सदस्य हैं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब माननीय सदस्य हैं ।

... (व्यवधान)

SHRI D.M. KATHIR ANAND : Sir, we are ready to give any quantity of water.... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अब विषय खत्म हो चुका है । श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको मौका दे दिया है और आपको भी मौका दे दिया है । आप दोनों बैठ जाइये ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) ।

... (व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम):सर, मैं दूरदर्शन विषय पर बोलना चाहती हूँ । जिस दूरदर्शन के हम लोग नॉस्टैल्जिक हैं । बचपन में दूरदर्शन की उस ट्यून से सुबह होती थी और शाम होती थी । मेरे पास बोलपुर डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग आए थे । वह बता रहे थे कि पूरे इंडिया में 411 दूरदर्शन केन्द्र हैं, वे बंद होते जा रहे हैं । आधे बंद हो चुके हैं और 31 मार्च तक सब बंद हो जाएँगे । मुझे लगता है कि वे लोग कहाँ जाएँगे? उनकी सिर्फ सैलरी की बात नहीं है । वहां पर क्रिएटिव लोग होते हैं और क्रिएटिविटी भी होती है । जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर खुद देखेंगे, तो प्राइवेट चैनल्स इतने ग्लैमरस होते हैं और दूरदर्शन इतना कंजर्वेटिव मैन्टेलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन और नई टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट नहीं होने से वह पीछे जा रहा है । अगर यह बंद हो जाएगा तो मुझे नहीं, बल्कि पूरे देश को यह जानना है कि जो इंडस्ट्री, सेक्टर और प्रोडक्ट सरकार का होता है, वह लॉस में जाता है । जब वह प्राइवेटाइज होता है तो वह क्यों प्रॉफिट में जाता है? इसका राज क्या है? अगर यह बताएंगे तो मुझे लगता है कि देश का भी उपकार होगा । थैंक यू ।

माननीय अध्यक्ष : श्री संगम लाल गुप्ता – उपस्थित नहीं ।

श्री रवि किशन ।

श्री रवि किशन (गोरखपुर):अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बहुत अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । इसी सदन में हमारे सीनियर नेता माननीय अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी ने सिनेमा इंडस्ट्रीज के कलाकारों, सिंगर्स और लिрикस् राइटर्स के लिए एक आवाज उठाई थी । आज वे लोग धन्य हो गए हैं कि उनको रॉयल्टी मिल रही है और वे लोग इस भारतीय जनता पार्टी के बड़े शुक्रगुजार हैं । आज मैं उनकी आवाज बनकर इस सदन में दोबारा समस्त भारत के कलाकारों के लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ । हॉलीवुड में भी रॉयल्टी का एक सिस्टम है । एक सिनेमा लगता है और सिनेमा लगने के बाद कलाकार को एक

मेहनताना मिलता है । उसके बाद उसको पैसे नहीं मिलते हैं और कितने कलाकारों की भूखमरी एवं गरीबी से मृत्यु होती है । फिल्म हिट हो जाती है, मैं अपनी सरकार से यह चाहता हूँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिनेमा इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सोचती है । मैं अपनी सरकार और यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समस्त भारत के कलाकारों द्वारा सिनेमा के पर्दे पर जितना उनका फुटेज रहे, एक्टिंग के दौरान जितना उनका फुटेज रहे, सिनेमा एक समय तक चले और उसके बाद जब दोबारा कहीं पर भी लगे, वह टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो तो एक रॉयल्टी की कोई भी परसेंटेज तय होनी चाहिए । उनको एक रॉयल्टी मिले, तो कलाकार जिंदगी भर के लिए बहुत खुश होंगे । जैसे हॉलीवुड में है और चाइना में है । मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तानी कलाकारों के लिए, हिन्दुस्तान की अन्य भाषा तमिल, तेलुगू, हिन्दी, भोजपुरी, सब कलाकारों के लिए एक रॉयल्टी तय हो जाए, तो वह धन्य हो जाएंगे ।... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट दीजिए । आज समस्त इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों द्वारा अपने प्रधान मंत्री जी के लिए एक संदेश है । वह यह है कि –

“जो नहाते हैं पानी से, वह लिबास बदलते हैं,

यशस्वी प्रधान मंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वह इतिहास बदलते हैं ।”

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak.

Salem is an upcoming and a fast-growing city in Tamil Nadu and South India. The town has also many industries, like the Salem Steel Plant, Chemplast, MALCO, SISCOL, Sago Textiles, automotive and poultry, which provide employment to the citizens of Salem.

Under the Regional Connectivity Scheme of the Civil Aviation, flight services by TruJet Airlines have been commenced from Salem Airport from 25th March, 2018. The lone regional carrier, TruJet Airlines -- operating from

Salem-Chennai to Chennai-Salem on a daily basis -- is currently losing its air operator's licence and due to which, it has suspended its flight operations. Due to the non-availability of the flight services, the entrepreneurs and industrialists suffer a lot as their time gets wasted by road travel.

I feel that the hon. Prime Minister's dream scheme of UDAN did not give benefit to the people of Salem. Hence, I would like to request the Government to take immediate action for resuming the air connectivity once again from Salem Airport and provide services to all the sectors.

It may please be noted that Indigo, Spice Jet... ... (*Interruptions*)

श्री बालक नाथ (अलवर): अध्यक्ष महोदय, अलवर के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि एशिया में भी अपना स्थान रखता है । उसी इलाके की जमीन को अधिग्रहण कर के ये इंडस्ट्री या उद्योग लगाए गए हैं । इन उद्योगों के माध्यम से वहां पर भूजल का भी बड़ी भारी मात्रा में दोहन होता है और वहां के लोकल लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता है । उन इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो पैसा सीएसआर फंड में जाता है, मेरी सरकार से मांग है कि सीएसआर के पैसे का कुछ पर्सेंटेज उस इलाके के आस-पास के गांवों के विकास के लिए लगना चाहिए । वह निर्धारित होना चाहिए । जिस भी इलाके में वह इंडस्ट्री है और वहां से जो भी सीएसआर कलेक्शन होता है, उसका कुछ प्रतिशत उसी इलाके के विकास के लिए लगाए । आपके माध्यम से सरकार से मेरी यही मांग है । धन्यवाद ।

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA): Hon. Speaker, Sir, there are three Linear Projects which have been approved for Goa. The double line -- that is one of the projects -- has already been started. They are going to the wild sanctuary, destroying thousand of trees and also, disturbing the fauna. The people of Goa have protested several times. The other day, the hon. Chief

Minister said that he was happy that these projects were approved. I told him that in a democracy, there are elections in every five years and that these projects have not started. If in five years, people can change the Government, I said that it is his duty to change the decision.

The people of Goa are protesting against these projects because these projects are destroying the flora and fauna of the mountains, wildlife, etc. Therefore, I would like to request the Government to please stop these projects in the interests of Goa. Thank you, Sir.

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Hon. Speaker, Sir, through you, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Shipping and Waterways, Government of India, to this matter.

Sir, as it is known that there is a Coast Canal of 126 kilometres from Mankunda of Bhograi to Charbatia-Basudevpur-Chandbali of Bhadrak. Major portion of the coast canal comes under my parliamentary constituency of Bhadrak. This canal was constructed during the British period. It was considered as the lifeline of erstwhile Balasore District. It was mainly used for irrigation and maritime trade. It was said that due to flourishing maritime trade on this water route, several industrial units had developed along the banks of the canal earlier.

However, after Independence, trade on this route lost its relevance. Now, this coast canal is defunct. If it is renovated and becomes functional, it will be helpful to promote waterways and river-linking facilities and along with the same, drought-like situation could be avoided in the coastal parts of

Odisha. Its renovation will be immensely helpful for farmers and unemployed youths of Odisha.

I would like to request the hon. Minister to intervene in the matter by inviting experts for immediate restoration and renovation of the Coast Canal at the earliest.

13.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: श्री चंद्र शेखर साहू ।

माननीय सदस्य, मैंने आपको पहले भी मौका दिया था, लेकिन आप यहाँ नहीं थे ।

श्री चंद्र शेखर साहू (बरहामपुर): सर, हमारी बी.जे.डी. पार्टी की ओर से, हम सभी सदस्यों को पीयूष गोयल जी से मिलना था । इसलिए, हम सभी साढ़े बारह बजे उनसे मिलने के लिए गए थे ।

माननीय अध्यक्ष: आप उनसे मिलने के लिए गए, इसलिए आपके बोलने का समय निकल गया ।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU : Thank you Sir, as per the Disaster Risk Index worked out by the Commission for States, the score of Odisha is 90 out of 100, the highest among all the States for disasters and natural calamities. The sharing pattern in the State Disaster Response Fund as per the recommendations of the 14th Finance Commission was 90:10 for the Centre and the States respectively. However, the Union Government has modified the sharing percentage to 75:25 and released SDRF accordingly.

Sir, since our State has highest risk of disasters, I, therefore, request the hon. Prime Minister to consider Odisha as a special category and a special focus State and special dispensation may be given by allowing sharing pattern of 90:10 in SDRF at par with the North Eastern and Himalayan States.

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र खजुराहो हेरिटेज सिटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 आइकॉनिक सिटीज़ में से एक खजुराहो का चयन किया है। खजुराहो में विश्व स्तर से टूरिस्ट्स आते हैं। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं, वे भी इस समय बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहे हैं। माननीय उड़्डयन मंत्री जी ने अक्टूबर महीने में फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए घोषणा की थी। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहाँ फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण टूरिज्म बहुत प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, वहाँ कई प्रकार के फिल्म फेस्टिवल्स और अन्य चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि खजुराहो को फ्लाइट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाए। यदि वहाँ के लिए जल्दी से जल्दी फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी तो डोमेस्टिक एवं बाहर के टूरिस्ट्स आने के लिए आकर्षित होंगे। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर खजुराहो में फ्लाइट कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी शुरू हो तो अच्छा होगा।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में सिर्फ एक नवोदय विद्यालय है। जब कि उस जिले की आबादी लगभग 40 लाख है। शिवहर और शेखपुरा जिले की आबादी लगभग पाँच-पाँच लाख की है। उनकी आबादी के हिसाब से मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान एक विद्यालय के अतिरिक्त दो अन्य नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, ताकि बड़े जिले के छात्र एवं छात्राओं के साथ शिक्षा कार्य में न्याय हो सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ एवं उनसे माँग करती हूँ कि नवोदय विद्यालय खोलने के मामले में जिले की जनसंख्या को आधार माना जाए, ताकि हर क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को समुचित अवसर मिल सकें। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, मैंने शून्य काल के लिए सूचना दी थी, लेकिन लॉटरी में मेरा नाम नहीं आया । अब आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

महोदय, मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह किसानों से संबंधित है । बिहार के मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के दोनों जिले गया और औरंगाबाद में अभी रबी फसल की बुवाई का समय है, लेकिन वहाँ खाद की भारी किल्लत है । बिहार के कई सांसदों ने माननीय रसायन मंत्री जी से मिलकर इस बारे में निवेदन भी किया । आज की सूचना है कि कुछ खाद के रैक जाने वाले हैं । अभी वहाँ इसकी कमी है और इसका यही समय है । अगर 10 से 15 दिन के अंदर खाद नहीं पहुंचती है, डीएपी, एनपीके और फास्फेट नहीं पहुंचते हैं, तो फिर बुआई का समय निकल जाएगा और किसान भारी नुकसान में होंगे । मेरा आपके माध्यम से माननीय रसायन मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे संसदीय क्षेत्र और पूरे बिहार में जहां-जहां इसकी कमी है, लक्ष्य के अनुरूप खाद की उपलब्धता डीएपी, एनपीके, फास्फेट और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता शीघ्र से शीघ्र किसानों को कराये, ताकि उनको लाभ मिल सके ।

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak during the 'Zero Hour'. I represent the Jajpur parliamentary constituency in Odisha. My constituency is rich in mineral resources, culture and also has good education prospects. But lack of adequate telecom infrastructure of BSNL has become a major source of concern for the people of my constituency. Students are the worst sufferers because of this problem. Frequent disruption in connectivity deprives thousands of children from access to online education. Not only in the rural areas, but in Jajpur and in Jajpur town, the services of BSNL are very poor.

Considering this, high speed internet without any rural and urban divide is necessary to provide interactive online classes wherein students and teachers can communicate with each other. Also, uninterrupted communication is now a basic facility that should be made available to each and every one to avail of the advantages of Digital India.

Sir, in this regard my suggestion to the Government, through you, is that FTTH and broadband connection should be made available wherever possible. Along with that additional mobile tower should be installed to provide internet and Wi-Fi connection. The work in this area should be completed in a time-bound manner.

Thank you.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल, बिहार के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के पथ में पुल निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत एल 22 पिलुवाहा पीडब्ल्यूडी रोड से बेलापट्टी पथ पर सतगंडी धार में आरसीसी पुल का निर्माण, छातापुर प्रखंड के अंतर्गत एल 53- टी01 से नरैहिया पथ पर गेरा धार में आरसीसी पुल का निर्माण और पिपरा प्रखंड के अंतर्गत थुमहा से पिपराही पथ पर परमानें धार में आरसीसी पुल का निर्माण किया जाए ।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि अतिशीघ्र तीनों नदियों में आरसीसी पुल का निर्माण किया जाए, जिससे यातायात सुचारु रूप से हो तथा प्रतिवर्ष अनेक लोगों की जो डूबकर मृत्यु होती है, उन्हें बचाया जा सके ।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं हजारों-लाखों लोगों की तकलीफ आपके सामने बयां कर रहा हूं । देश भर में कुछ आकर्षक चिटफंड कंपनियों ने कई निवेशकों से अपना

पैसा इनवेस्ट करा लिया । किसी ने आरडी करा ली, किसी ने एफडी करा ली, यह सोचकर कि जब एफडी मैच्योर हो जाएगी, तो मैं मकान खरीदूंगा या अपने बच्चों की शादियां करूंगा । एक-एक पैसा सहेजकर व्यक्ति एजेंट के माध्यम से इनवेस्ट करता है और ये आकर्षक कंपनियां इन पैसों को या तो अपने या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफर कर देती हैं । समय आने पर पता लगता है कि उस कंपनी के कार्यालय पर ताला लगा है । मैं ऐसे हजारों-लाखों लोगों की तकलीफों के संबंध में आपके सामने मांग कर रहा हूं कि ऐसी चिटफंड कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए निवेशकों को पैसा लौटाया जाए । भविष्य में इस प्रकार की चिटफंड कंपनियां लोगों को गुमराह नहीं करें, ऐसा कोई कानून लाया जाए । मेरा आपके सामने यही आग्रह है ।

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a very important matter of public interest. We came across a story on the 4th of December in the town of Oting in Nagaland. It was an unknown village but because of this very unexpected cruel brutal murder of 14 civilians in that city in the State at the time of celebration and festivities, this town came into the news. The North-Eastern States of Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh have suffered much from the imposition of the Armed Forces Special Powers Act.

Too many lives have been lost because of the Armed Forces (Special Powers) Act. There have been too many murders; there are too many widows; too many have been raped and there have been too many human rights violations.

I request the Government to repeal the Armed Forces (Special Powers) Act.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के गर्हवा जिले के अंतर्गत बंद पड़ी लाइमस्टोन माइन्स के संबंध में मामला उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

वर्ष 1975 से लाइमस्टोन की यह माइन चल रही थी। 16 फरवरी, 2020 को पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण यह माइन बंद हो गई थी। इस बीच लीज के विस्तारीकरण का मामला आया और राज्य सरकार ने लीज विस्तारीकरण को अस्वीकृत कर दिया। राज्य सरकार का कहना है कि स्टील अथॉरिटी के पास नौ करोड़ रुपये बकाया है। वर्ष 2013 और 2015 के बीच ज्यादा खनन किया गया था, इस कारण डिपार्टमेंट ऑफ माइन्स द्वारा जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान सेल द्वारा नहीं किया गया। सेल द्वारा इतनी छोटी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह आश्चर्य की बात है। दूसरी ओर 730 रजिस्टर्ड मजदूर इसके चलते बेरोजगार हो गए हैं।

मेरा आपके माध्यम से इस्पात मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं और उस खदान को पुनः चालू करवाएं। इसके साथ ही मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान भी सुनिश्चित करें।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिले के साथ पूरे महाराष्ट्र में बीएसएनएल नैटवर्क की हालत के कारण जिन समस्याओं का निर्माण हो रहा है, संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अब सारी व्यवस्था बीएसएनएल के ऊपर निर्भर हो गई है। सरकारी, गैर-सरकारी, बैंकिंग या पेंशन आदि का पैसा बीएसएनएल नैटवर्क के माध्यम से एकाउंट में जमा होता है। बीएसएनएल की कनेक्टिविटी महाराष्ट्र में, खासकर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग के पहाड़ी एरिया में पूरी तरह से नाकामयाब है और इसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि इस समस्या का निराकरण करने के लिए गंभीरता से ध्यान दें।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, I thank you very much for allowing me to speak. It is very apt that today while we are discussing climate change and environment, I bring up the issue which has been brought up by my esteemed colleague as well.

The issue is that of the Mollem Reserve Forest in Goa which is one of the 36 global biodiversity hotspots. Over there, three projects have been done which are responsible for felling 52,000 trees or more. One is a double tracking of a railway line from Castle Rock to Vasco, the second is a power plant, and the third is the extension of the National Highway 4A.

We understand that all these are infrastructure projects but the Supreme Court Empowered Committee gave a Report saying that none of these need to be done through the forests.

Therefore, I would really urge the hon. Minister of Environment, Forests and Climate Change to rethink on this issue and see how we can preserve the Mollem Forest for future generations.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार के लाखों पेंशनधारी, जिन्हें एक हजार रुपये महीना मिलता है, मैं उनकी समस्या को सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

आज के परिवेश में एक हजार रुपये महीना उचित नहीं लगता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस राशि को बढ़ाया जाए। किसी रिटायर्ड कर्मचारी को एक हजार रुपये महीना मिल रहा हो तो उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति को देखते हुए आयुष्मान भारत का निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए।

आज मेरे क्षेत्र धनबाद में लोग आंदोलन कर रहे हैं । यह देश भर के पेंशनधारी आंदोलन कर रहे हैं । सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए । मेरा यही निवेदन है । धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल भी 106 माननीय सदस्यों ने बोला था । उसके पहले भी 105 माननीय सदस्यों ने बोला था । मैं भी यहां माननीय सदस्य रहा था, आप पुराना रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए और अभी का रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए, सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलता है । इसीलिए, जिन माननीय सदस्य का यदि कोई बहुत अर्जेंट विषय हो, जिसे वे आज ही उठाना चाहते हैं, वे हमें लिखकर दे दें । बाकी, बचे माननीय सदस्यों को मैं शुक्रवार को बोलने का मौका दूंगा ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मुझे बोलने दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष : मैं शुक्रवार को सबको पर्याप्त मौका दूंगा । लेकिन, यदि कोई अर्जेंसी है तो, मुझे अर्जेंसी लिख दिया कीजिए ।

प्रो. सौगत राय: सर, अर्जेंसी है ।

माननीय अध्यक्ष : आपके विषय को मनीष तिवारी जी ने उठा दिया है । धन्यवाद

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये ।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया ।
Shri S.S. Ahluwalia	Shri Rajendra Agrawal
Shri Vinayak Bhaurao Raut	Shri Shrirang Appa Barne Dr. Sujay Vikhe Patil
Shri Arun Sao	Dr. Sujay Vikhe Patil

Er. Guman Singh Damor Sushri Diya Kumari Shri Santosh Pandey	Shri C.P. Joshi
Shri Parvesh Sahib Singh Verma	Shri C.P. Joshi Shri Dhanush M. Kumar
Shri C.P. Joshi	Shri Ramcharan Bohra
Shri C.N. Annadurai	Shri K. Navaskani Shri Dhanush M. Kumar
Dr. A. Chellakumar	Shri K. Navaskani
Shri S.R. Parthiban Shri M. Selvaraj	Shri Dhanush M. Kumar Shri K. Navaskani
Shri Gautham Sigamani Pon Shri Pradeep Kumar Singh	Shri Dhanush M. Kumar
Shri E. T. Mohammed Basheer	Shri N.K. Premachandran Shri Kodikunnil Suresh Shri Rajmohan Unnithan Shri Anto Antony Shri M.K. Raghavan Shri Benny Behanan Adv. Adoor Prakash Shri Hibi Eden Shri T. N. Prathapan Shri V. K. Sreekandan Shri K. Muraleedharan Shri Mohammed Faizal P.P.

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.16 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.17 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Seveenteen Minutes
past Fourteen of the Clock.*

(Hon. Speaker in the Chair)

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ा हादसा हो गया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, उस पर पूरी सूचना प्राप्त होने के बाद बात होगी। यह एक गंभीर विषय है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ है, हमें उसका पता होना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी हमारे पास पूरी सूचना नहीं है।

... (व्यवधान)

14.17½ hrs

MATTERS UNDER RULE-377*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें ।

(i)Need to enact a law providing financial security to workers associated with film-making

श्री रवि किशन (गोरखपुर): हमारे देश में फ़िल्म जगत का प्रमुख स्थान है । मानव जीवन , समाज और देश के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करने के लिए फ़िल्म एक सशक्त माध्यम है । इसके साथ ही देश की कला और संस्कृति को जीवंत रखने का भी यह एक सशक्त माध्यम है । फ़िल्म जगत रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया है । हमारे देश में लाखों लोग फ़िल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं । फ़िल्म निर्माताओं - निर्देशकों को फ़िल्म निर्माण से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा मिलता है लेकिन फ़िल्म निर्माण से जुड़े कलाकार और अन्य लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं और वृद्धावस्था में जब वे काम करने लायक नहीं रह जाते तो उन्हें भुखमरी का शिकार होना पड़ता है । अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि क़ानून बना कर फ़िल्म की रॉयल्टी से होने वाली आय का एक हिस्सा फ़िल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों को दिया जाय ताकि उनके लिए आजीवन जीवन यापन का साधन उपलब्ध रहे । दुनिया के विभिन्न देशों में इस प्रकार के क़ानून बने हुए हैं और कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध हैं । अतः मैं केंद्र सरकार से माँग करता हूँ कि यथाशीघ्र ऐसा क़ानून बनाना चाहिए ।

* Treated as laid on the Table.

(ii)Need to take steps for promotion of jheenga (fish) farming in Sirsa and Fatehabad districts, Haryana

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): मैं माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरी सिरसा लोकसभा क्षेत्र (हरियाणा) के अंतर्गत सिरसा व फतेहाबाद जिले के अधिकतर हिस्से में खारा पानी है जो कि झींगा मछली पालन के लिए अति उपयुक्त है । माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र में सेम की काफी समस्या है जिस कारण कई भूमि मालिक भूमिहीन जैसे हो गए हैं । अगर केंद्र सरकार इन दोनों जिलों को झींगा मछली पालन हेतु विशेष दर्जा देती है और यहां विशेष मत्स्य यूनिट स्थापित करती है तो न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होगी अपितु जमीन का भी उपयोग हो सकेगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की वित्तीय सहायता के लिए विशेष स्कीम लागू की जाए ।

(iii)Need to upgrade Kameshwar Singh Sanskrit University, Darbhanga, Bihar to a Central University

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): दरभंगा में स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान जिसका शिलान्यास देश के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से 21 नवम्बर 1951 ई० को हुआ था तथा संस्कृत विधा के विभिन्न शाखाओं के अध्ययन-अध्यापन के साथ साथ इससे संबंधित उच्चस्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था, किन्तु इसकी वर्तमान स्थिति अत्यन्त दयनीय है । इसकी स्थिति में सुधार तथा पुराने गौरव को पुनः स्थापित करने तथा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा जो बिहार राज्य का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत करने की मांग माननीय मंत्री जी से करता हूँ।

(iv) Need to construct a goods siding for railway freight at Meerut as part of Eastern Dedicated Freight Corridor

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) हल्दिया से लुधियाना तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर मेरठ से होकर बन रहा है परन्तु मेरठ में माल उतारने-चढ़ाने के लिए इस कॉरिडोर के किसी भी स्टेशन (साईडिंग) का प्रस्ताव नहीं रखा गया है निश्चित ही यह कॉरिडोर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मेरठ औद्योगिक एवं आर्थिक दृष्टि से देश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है। मेरठ में विभिन्न उत्पादों से सम्बन्धित लगभग 20 हजार छोटी-बड़ी इकाईयाँ कार्यरत हैं। यहाँ से पूरे देश तथा विदेश में स्पोर्ट्स गुड्स, हैण्डलूम, कागज, चीनी, आलू, कैंची आदि की आपूर्ति एवं निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योग की जरूरत की पूर्ति हेतु कच्चे एवं निर्मित माल का विभिन्न देशों से आयात भी यहाँ किया जाता है। वर्तमान में मेरठ शहर छः नेशनल हाईवे एवं 2 एक्सप्रेस वे के माध्यम से अन्य औद्योगिक शहर जैसे- मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, बुलन्दशहर एवं नोएडा से जुड़ा हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ शहर के औद्योगिक महत्व तथा कनेक्टिविटी को देखते हुए EDFC का मेरठ में एक स्टेशन (माल साईडिंग) बनाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश करने की कृपा करे।

(v)Need to set up an Airport at Malda, West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान मेरे जिले मालदा में हवाई अड्डे के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूँ । मालदा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण शहर है जहाँ केन्द्र सरकार के कार्यालय रेलवे डिवीजन, बीएसएफ कैंप 2 केंद्रीय विद्यालय, एनटीपीसी, पावर ग्रिड के अलावा व्यापारिक गतिविधियाँ भी संचालित होती हैं । यहाँ के नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या वायु यातायात की है । यहाँ से निकटतम हवाई अड्डे बागडोगरा और कोलकाता हैं । मालदा से बागडोगरा की दूरी 250 किमी तथा कोलकाता की दूरी 350 किमी है । देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी एक शहर से हवाई अड्डे इतनी दूरी पर हैं । इमरजेंसी सेवाओं में चिकित्सा हेतु भी इसकी परम आवश्यकता है । अतः इन परिस्थितियों में मालदा में हवाई परिवहन सेवा हेतु हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक है । इस हेतु ये सुझाव भी मैं देना चाहता हूँ कि पुराने हवाई अड्डे के नवीनीकरण से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है । अतः पुनः मैं मालदा को हवाई यातायात के नक्शे पर जोड़ने के लिये माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ ।

**(vi)Need to expedite construction of NH 153 from Raigarh to
Saraipalli in Chhattisgarh**

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): जोहार मेरे लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ के जिला रायगढ़ से सरायपाली एन०एच० 153 होते हुए रायपुर राजधानी मार्ग है। जो कई वर्ष से स्वीकृत निर्माणाधीन है तथा आज पर्यंत तक अपूर्ण है। जिस निर्माण एजेंसी को यह कार्य दिया गया है उसने समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया और यह निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन किया गया है। जिससे रायगढ़ सरायपाली एनएच 153 मार्ग जर्जर अवस्था में है अतः उक्त कार्य को यथाशीघ्र गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराने हेतु एजेंसी के कार्य की जांच कराकर निर्देशित किया जाए। धन्यवाद।

**(vii) Regarding development of holistic plan for the conservation of
Sangai deer and Loktak Lake**

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The endangered Sangai Deer from Manipur, is facing the threat of extinction due to climate change. A critically endangered deer species, Sangai is listed in IUCN Red List, and is found only in Keibul Lamjao National Park. This deer lives around the floating biomass of vegetation in the Loktak Lake, locally known as Phumdi. However, climate change, water pollution and other human pressures are degenerating these natural habitats. As per the 2016 census, there are only about 260 Sangai Deers left at the protected park. Sangai as state animal of Manipur is deeply embedded in the cultural consciousness of the Manipuri people. The survival of Sangai and Loktak are complementary to each other, and the Health of Loktak Lake plays a critical role in conserving the economic and socio-cultural values of Manipur. I request Union Environment Ministry to help develop holistic plans for the conservation of Sangai and Loktak Lake.

(viii) Need to include Bundeli language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): बुन्देलखण्ड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है । लगभग 30 से अधिक जनपदों से गठित इस क्षेत्र की मुख्य बोली बुंदेली है । बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है । बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए । महान चन्देल शासक बिधाधर चन्देल, आल्हा-ऊदल, खेतसिंह खंगार, महाराजा छत्रसाल बुंदेला, राजा भोज, ईसुरी, रानी लक्ष्मीबाई, ददा मैथिलीशरण गुप्त, मेजर ध्यान चन्द्र, गोस्वामी तुलसी दास, ददा माधव प्रसाद तिवारी महोबा आदि अनेक महान विभूतियाँ इसी क्षेत्र से संबद्ध रखती हैं । बुंदेलखंड में ही तारण पंथ का जन्म स्थान है । बुन्देलखण्ड में शहर खजुराहो, झांसी और सागर विश्वप्रसिद्ध हैं ।

प्राचीन काल में बुंदेली में शासकीय पत्र व्यवहार, संदेश, बीजक, राजपत्र, मैत्री संधियों के अभिलेख प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । एक-एक क्षण के लिए अलग-अलग शब्द हैं । गीतों में प्रकृति के वर्णन के लिए, अकेली संध्या के लिए बुंदेली में इक्कीस शब्द हैं । बुंदेली में वैविध्य है, इसमें बांदा का अक्खड़पन है और नरसिंहपुर की मधुरता भी है ।

बुंदेली भाषा को संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल कराये जाने की मांग कई वर्षों से बुंदेलखण्ड के कई संगठनों द्वारा उठायी जा रही है । सरकार से अनुरोध है कि इतने बड़े समुदाय की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये इसे आठवी अनुसूची में शामिल कराये जाने की कृपा करे ।

**(ix) Regarding drinking water problem in Dausa Parliamentary
Constituency, Rajasthan**

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): दौसा संसदीय क्षेत्र में पेयजल समस्या की गंभीरता और भी गहरा चुकी है । जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वीकृत पंचायतों में राजस्थान सरकार केवल वोट बैंक के हिसाब से काम कर रही है । इस योजना में केन्द्र सरकार का 45 प्रतिशत बजट देने के पश्चात भी उसकी जानकारी सांसदों को नहीं दी जा रही है । मेरे क्षेत्र दौसा जिले के सभी गाँवों को ईसरदा बांध परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत है । बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन गाँवों को जोड़ने हेतु अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है । राजस्थान सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है । मेरा संसदीय क्षेत्र डार्क जोन में आने के बावजूद भी अति महत्वपूर्ण परियोजना धीमी गति से चल रही है । केन्द्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय राशि का क्या उपयोग हो रहा है ? देश में 2023 तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जा रहे पेयजल कार्यों के प्रति चिंता से मैं यह वक्तव्य लिख कर दे रही हूँ । अतः ध्यान दिया जाए ।

(x) Need to undertake rejuvenation of 'Tedhe Mahadev Shivling', an ancient Shiva temple in Farrukhabad Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक टेढ़े महादेव नाम से चर्चित बहुत पुराना शिवलिंग है। जहाँ आज से लगभग 40-45 वर्ष पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा काफी गहराई तक खुदवाया गया परन्तु आश्चर्य की बात है कि जैसे-जैसे शिवलिंग के आसपास खुदाई होती गयी वैसे-वैसे शिवलिंग का आकार बढ़ता गया अंततः पुरातत्व विभाग ने खुदाई रुकवा दी, तब से आज भी यह स्थान हिन्दू संस्कृति की आस्था का प्रतीक बना हुआ है यहाँ आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व मध्य शिव मंदिर था। अब केवल शिवलिंग ही रह गया है मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आदेशित करने का कष्ट करें जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI पुरातत्वकाल के टेढ़े महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान करें जिससे स्थानीय लोगों द्वारा टेढ़े महादेव मंदिर का निर्माण करा सकें।

(xi)Need to increase the frequency of local trains during morning and evening hours in Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): आजादी के बाद सभी सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं जिस कारण मध्यमवर्गीय गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने में काफी खर्च उठाना पड़ता है जिस कारण लोग रोड़वेज की गाड़ियों से यात्रा करने से परहेज करते हैं । कोविड काल के बाद रेलवे ने लोकल ट्रेनों की संख्या काफी कम कर दी है जिस कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से मोतीहारी, एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही काफी खर्च भी उठाना पड़ रहा है ।

मेरी माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि इन रूटों पर सुबह और शाम के समय में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे दैनिक यात्रियों को जिससे स्कूली छात्र, सरकारी नौकरी करने वाले एवं रोजमर्रा के व्यापार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके ।

(xii) Regarding construction of dam in Ambala Parliamentary Constituency, Haryana

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): मैं जल शक्ति मंत्री का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र अम्बाला (हरियाणा) में सरस्वती के उद्गम स्थल आदिबद्री जिला यमुनानगर, हरियाणा की ओर दिलाना चाहता हूँ। नासा के लिए गए चित्रों व वैज्ञानिकों की खोज से पता चलता है कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर 5 से 6 हजार साल पहले भारत की प्राचीन सभ्यता थी और मां सरस्वती इसी क्षेत्र से होकर बहती थी लेकिन वक्त के साथ आए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सरस्वती लुप्त हो गई है।

हरियाणा की वर्तमान सरकार ने सरस्वती की पवित्र धारा को फिर से जमीन पर लाकर भारत की इस प्राचीन धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया है।

वर्तमान जल शक्ति मंत्री भी आदिबद्री स्थल का दौरा कर चुके हैं, हरियाणा सरकार हिमाचल सरकार के साथ मिलकर इस स्थान पर एक डैम बनाने की योजना बना रही है जिसकी रूपरेखा सेंट्रल वाटर कमिशन कर रहा है।

मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उस पर बांध के निर्माण में केन्द्र अपनी भूमिका निभाएँ एवम् हिमाचल व हरियाणा के अधिकारियों को इस विषय में दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।

(xiii) Need to provide passage across railway lines to farmers of villages located near level crossing Nos. 166 and 41 in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत रेलवे लाइन समदडी-भीलडी ब्रोडग गेज लाइन पर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम मोटी-गरनाल है और जिसका LC No-166 है , वहां रेल लाइन के दोनों और बाउंड्री वाल बनने से किसानों को खेतों में आवाजाही का रास्ता बंद हो गया है । इसके साथ ही एक और रेलवे लाइन भुज-पालनपुर पर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम जुना नेसडा भीलडी है और जिसका LC No-41 है , वहां भी रेल लाइन के दोनों और बाउंड्री वाल बनने से किसानों को खेतों में आवाजाही का रास्ता बंद हो गया है इस कारण किसान अपने खेत नहीं बो पा रहे हैं है । इस संबंध में मेरे द्वारा वहां के डीआरएम को भी सूचित किया गया है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

अतः मेरा निवेदन है कि किसानों के खेतों के लिए आवाजाही के लिए दोनों स्थानों पर रास्ते का प्रबंध किया जाये जिससे कि किसान अपने कार्य को बिना किसी बाधा के कर सकें ।

(xiv) Regarding repeal of CAA

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): The Citizenship Amendment Act 2019 is discriminatory in nature taking into consideration the homogeneous characteristics of our society. The act is very much against the spirit and sentiment of the people of India, more so of Assam. Multi-culture and multi-language are the hall marks of Assam.

The bill is primarily against the spirit of the Assam Accord signed in 1985 according to which foreigners who had entered Assam before March 25, 1971 were to be given citizenship. Religious persecution was no consideration. However, the Amended Citizenship Act shifts the cut-off date to December 2014 with a religious discrimination. The shift is an insult to the martyrs and lakhs of people of the state who fought for the accord. Moreover, the act is also an insult to the Bengali speaking Hindu people who have been staying here for ages.

Therefore, I demand that CAA should be repealed at the earliest.

(xv) Regarding recently approved mission on Oil Palm

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): The recently approved mission on Oil Palm, seeks to turn the North East region and Andaman and Nicobar Islands into an oil palm hub, ignoring opposition from various stakeholders. While oil palm cultivation may be useful in the short term to reduce edible oil imports, it is not a sustainable strategy. Countries like Malaysia and Indonesia provide precedent to the devastating effects of monoculture oil palm plantations on biodiversity, depletion of water supply and degradation of soil due to substantial chemical input requirements. Such concerns led Sri Lanka to uproot existing oil palm plantations and ban palm oil imports earlier this year. Not only do these proposed plantations stand to destroy forests, but significantly alter social dynamics given the community ownership of lands in the North-East. I urge the Government to reconsider the plan and engage in wider local consultation to ensure the best interests of the respective regions.

(xvi) Regarding Tamil Nadu Defence Industrial Corridor Project

SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): The Central Government has already announced the “Tamil Nadu Defence Industrial Corridor” project. 6 cities including Salem will benefit through this project. The Cabinet Committee on Security has approved a ₹10,990-crore programme to indigenously develop airborne early warning and control (AEW&C) systems for the use of Indian Air Force. It has been developed by the Centre for Airborne Systems, a DRDO lab, with active participation from the industry in Tamil Nadu. Tamil Nadu government is actively promoting the formation of a PPP consortium through TIDCO to develop commercial production of these systems.

I request the Union Govt to promote TIDCO-led industry for the development, commercial production of AEW&C System in the unused land available in Salem Steel Plant. Funding may be shared between the State and Central governments in the ratio of 25:75 instead of 50:50. I also request to increase the number of units in both the Defence Industrial Corridors.

(xvii) Regarding enhancement of Women representation in Judiciary

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Even after more than 75 years of independence, the representation of women in the judiciary is dismal. Women judges make up just 12% of the pool of sitting judges in the Supreme Court and High Courts (81 out of 677). Lower courts have a better showing, at 27% as per a Vidhi Legal report, this is nowhere near what would be considered ideal. Despite efforts, women are being excluded from positions of power in the judiciary. Gender continues to be an identity that puts women at a serious disadvantage. While I agree that women are not a homogenous group and are divided along caste and class lines, it is undeniable that all women are negatively impacted by the patriarchal system.

The government of Andhra Pradesh fully supports the empowerment of women and already has reservation in place for women in public employment, including 50% reservation for women in all nominated positions. Representation of women via reservation in the judiciary will ensure that the institution which protects the right to justice of all citizens is also internally just. I thus request that the government bring forth necessary legislation for the same.

(xviii) Regarding use of Solar Power for clean cooking

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): A perfect solution to clean cooking can be only be achieved by usage of an induction stove powered by a solar energy which can be ideally achieved by a stand alone solar panel on house by house basis. An electric solar stove backed by a solar panel through a efficient battery will enable not only clean cooking but also zero cost cooking.

I would now request the Dept.of Science& Technology to take up a research to come up with a radical solution to derive a perfect Electric Stove back by a Solar panel and battery back up which could be reasonably priced to compete with the traditional LPG usage.

Our Scientists can pride over the fact of reducing emissions and also assisting in reducing poverty world over besides saving billions of foreign exchange for our nation by reducing dependence on LPG. I hope and pray for early and effective solution.

**(xix) Regarding problems being faced in running of post offices in
Arambagh Parliamentary Constituency**

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): The post office especially in my constituency which is a totally rural area, plays an important role in providing financial services but due to lack of basic infrastructure the account holder faces problem. There is inadequate number of staff in post offices, no proper sitting arrangement and no sufficient space in the post offices to set up a counter with a computer. The sub-post offices are facing most problems in Khanakal block, Goghat block, Pursurah block etc. I urge the Government to look into it and take necessary steps.

**(xx) Regarding declaration of Ambernath railway station
as a Heritage station**

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Ambernath is situated in my constituency of Kalyan and is home to the 11th century sacred Shiv Mandir. Due to its religious and cultural significance, Ambernath has a high tourist footfall comprising of devotees and art enthusiasts who attend the Ambernath Art Festival. Ordnance Factory, Rail Neer plant along with 160 large scale manufacturing units which include MNCs are also located in Ambernath. Ambernath is developing as an alternative to settlements of Mumbai and Metropolitan region and its railway station on Central Line of Mumbai Suburban Network is used by a large chunk of local commuters in addition to devotees and tourist resulting in increased footfall. Due to its industrial, cultural and historical heritage, I request the Government to declare Ambernath Railway Station as a Heritage station incorporating ethnic and architectural elements on the lines of CSMT Redevelopment project to enable its modernization and beautification and to honour the long pending demands of the people of Ambernath.

**(xxi) Need to undertake electrification of villages in Valmikinagar
Parliamentary Constituency, Bihar**

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): मैं सरकार का ध्यान अतिमहत्वपूर्ण विषय वाल्मीकिनगर लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत दोन क्षेत्र में “दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से दोन वासियों को लाभान्वित करने के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं, मेरे लोक सभा क्षेत्र में थारू जनजाति के अधिकांश लोग दोन में रहते हैं (दोन नदियों और जंगलों से घिरा हुआ भू- भाग है), इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है । दोन क्षेत्र में विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है । बिहार सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर वैकल्पिक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है जिससे गांव में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है जो कि पर्याप्त नहीं है । पर्याप्त मात्रा में बिजली ना होने की वजह से ये लोग आज भी प्राचीन काल की तरह जीवन जीने के लिए विवश है तथा जंगली जानवरों का खतरा बरकरार रहता है एव कई बार जंगली जानवर ग्रामीण इलाको में प्रवेश कर जान माल की क्षति पहुंचाते हैं ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वाल्मीकिनगर लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र दोन में “दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना” से विद्युतीकरण करके इस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करे जिससे ये लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें ।

(xxii) Regarding sanctioning of more Mobile Base stations in Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): There are about 6,278 villages in Odisha without any mobile access or connectivity which is largest in the country. Sir, during Covide-19 pandemic, internet service played vital role not only to boost the economy but also for the education of our school/college going children and also delivery of all government services. You can imagine the loss suffered by them.

I thank the Union Home Ministry for sanctioning 488 mobile towers for Odisha recently. However, to provide coverage to other uncovered villages including in Gajapati and Ganjam Districts, an estimated 2000 more mobile base stations are required in Southern and Western Odisha. Today, the basic need is 4G mobile base stations at all places.

I request the Union Minister of Communications to sanction minimum 2000 more mobile base stations and also upgrade the 2G base stations so that the Southern and Western Odisha could be benefitted.

(xxiii) Regarding commencement of full train service from Thiruvarur to Karaikudi and reintroduction of train operations in Chennai-Karaikudi section

SHRI M SELVARAJ (NAGAPATTINAM): I would like to bring to kind notice of the Government that my Parliamentary Constituency comprises of large number of farmers and the average low income group. Transportation plays a major role in rural development. Railways being no exemption. Thiruvarur-Karaikudi Railway Gauge Conversion Project work was completed in 2017 and Train trial was conducted in 2019 successfully. However, till date Southern Railways has not commenced full services in the renewed section. This project has incurred more than Rs. 1000 crore but due to its non-utilization it has resulted in absolutely waste. It was stated that 72 railway gates in this route have not been assigned to gate keepers. The process for appointment of ex-servicemen as gate keeper is progressing very slowly.

I request that Government should take positive measures for commencement of full train service from Thiruvarur to Karaikudi rail route and also reintroduce earlier operated trains Chennai Karaikudi section in the name of Kamban Express and Ramesharam Express at the earliest.

14.18 hrs**HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2021-Contd...***

माननीय अध्यक्ष : श्री किरन रिजिजू जी ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, हम जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2021 लेकर आए हैं, कल यहां पर जितने भी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

कई अच्छे सुझाव आए हैं और कई ऑब्जर्वेशन्स भी हुए हैं । कुछ-कुछ जगहों पर ऐसी चीजों का जिक्र हुआ है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि उनका जिक्र नहीं होना चाहिए था, फिर भी उन चीजों का जिक्र हुआ है । हमने एक अच्छे स्पिरिट में इस पर चर्चा की, इसलिए जितने भी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, वैसे तो बिल का इन्टेंशन बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन कई सदस्यों ने इसके दायरे को बढ़ाया और उन्होंने कई विषयों का जिक्र भी किया, जिसके चलते चर्चा का दायरा थोड़ा सा बढ़ गया है । इस बिल को जिस मकसद से लाया गया है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं।

महोदय, जब छठे पे कमीशन ने रिकमेंडेशन्स की थीं, तो हम मानते हैं कि वह देश भर में सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे ज्यूडिशियरी हो, एग्जिक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट हो, हम सभी इस देश के नागरिक हैं । सामान्य रूप से कोई भी नियम सभी पर लागू होना चाहिए ।

* Further discussion on the Motion for Consideration of the Bill moved by Shri Kiren Rijju on 7th December, 2021.

वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज़ और सर्विस कंडीशन्स को लेकर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाया गया था, क्योंकि बाकी सिविल सर्वेण्ट्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से फाइनेलाइज किया जा सकता है, लेकिन जजेस की सैलरीज़ के लिए संविधान में प्रावधान है और अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जा सकता है । इसलिए पार्लियामेंट में इसके लिए एक बिल पास हुआ, लेकिन इसको लेकर ऐसा कुछ हो गया, जिससे आज यह बिल लाना पड़ रहा है । उसमें स्लैब्स दी हुई थीं । जब जजेस रिटायर होते हैं तो 80, 85, 90, 95 और 100 साल के ऊपर तक स्लैब से उनको पेंशन मिलती है । गुवाहाटी हाई कोर्ट में उस समय रिटायर्ड जस्टिस वीरेन्द्र दत्त ज्ञानी जी ने अपील की थी । उन्होंने अपील करने के बाद एक ऑर्डर अपने पक्ष में प्राप्त किया था, जिसमें यह लिखा है कि when you enter 80 years of age, you are entitled for the pension. यहां पर पेंशन की स्लैब्स हैं, डिटेल है, उसको सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा । इसमें प्रॉब्लम यह हुई कि अगर गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट को सभी सिविल सर्वेण्ट्स क्लेम करने लग जाएंगे तो यह हमारे लिए एक विषय खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा मामला बन जाएगा । जितने भी सिविल सर्वेण्ट्स हैं, वे उसे 80 ईयर्स प्लस में ही एन्टाइटल्ड मानते हैं । इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर मध्य प्रदेश जजेस एसोसिएशन ने भी अपील की थी । इसलिए वहां पर भी लागू किया गया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हमारा ज्यूरिडिक्शन सिर्फ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है इसलिए हम इसे पूरे देश में लागू नहीं कर सकते हैं । इसके चलते हमें फिर से प्रावधान में जाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, प्रावधान तो बिल्कुल साफ है । जब लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है तो उसकी इंटेंशन को हम बहुत तवज्जो देते हैं । What is the intention of the Legislature? सर, लेजिस्लेशन का इंटेंशन तो बहुत ही साफ था । कल हमारे माननीय सदस्य श्री भर्तृहरि महताब जी ने विषय उठाया था, बाकी सभी माननीय सदस्यों ने सपोर्ट किया, लेकिन भर्तृहरि महताब जी ने जो मैटर रेज़ किया, वह वैलिड नहीं है ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It was Shri Pinaki Misra-ji and not Shri Bhartru Mahtab-ji, who raised the issue.

SHRI KIREN RIJJU: Sorry, I stand corrected. Yes, it was Shri Pinaki Misra-ji. पिनाकी मिश्रा जी ने जो तर्क दिया था, वह सही नहीं था । हमारे लेजिस्लेचर के इंटेंशन को अगर कोर्ट में मिसइंटरप्रेट किया जाता है या कोर्ट का जजमेंट लेजिस्लेचर के इंटेंशन को दूसरे तरीके से प्रभावित करता है तो यह पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि हम अपने पारित किए हुए कानून को और ज्यादा स्पेसिफाई करें, उसमें और ज्यादा क्लेरिटी लाएं । यही कारण है कि एक्सप्लेनेटरी क्लॉज लाई गई है । इसमें यह कहा गया है कि पेंशन के लिए 80 साल का मतलब है कि जब 80 साल क्रॉस हो जाएंगे । जिस महीने में आप 80 साल क्रॉस हो जाएंगे, उसी महीने की पहली तारीख से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय, पेंशन के बारे में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है । मैं ब्रीफली में इसके बारे में बताना चाहता हूँ । चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेसिक सैलरी 2 लाख 80 हजार रुपये है । सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 2 लाख 50 हजार है । चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट की 2 लाख 50 हजार रुपये है और बाकी जजेस की 2 लाख 25 हजार रुपये है । इसके अलावा उनको जो-जो सुविधाएं मिलती हैं, उनकी सारी डिटेल् बताने की जरूरत नहीं है । ऐसा नहीं है कि जजेज का ध्यान नहीं रखा गया है, जो भी सरकार आई है, उसने समय-समय पर जजेज की सैलरी बढ़ाना, उनकी पेंशन और बाकी बेनिफिट्स बढ़ाने का काम किया है । पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाकर उसको बढ़ाते रहे हैं । कल कुछ लोगों ने इसका जिक्र किया कि हम लोग जजेज का ध्यान नहीं रख रहे हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जजेज की सैलरी इतनी बढ़ा दो कि रिटायरमेंट के बाद वे कुछ न मांगें । इस तरह की टिप्पणियां मुझे सुनने को मिली हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जजेज को जो प्रावधान और फैसिलिटी इस वक्त जजेज को दी गई हैं, चाहे घर हो, बिजली, पानी या पेंशन हो । ... (व्यवधान) मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना देना चाहिए,

हम पर्याप्त दे रहे हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे काम करेंगे और उनको जो भी तकलीफे होंगी, उनको दूर करने का प्रयास करते रहेंगे।

सर, गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट को लेकर माननीय पिनाकी मिश्रा जी ने जो तर्क दिया, मैं उसके बारे में फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जजेज की सैलरी का जो प्रावधान है या उनका जो एनटाइटलमेंट है, उसे हम कम नहीं कर रहे हैं यानी हम जजेज को डिसएडवांटेज में नहीं डाल रहे हैं। हमारे इस डिस्मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि इसे कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी, इसे स्ट्राइक डाउन करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर हम लेजिस्लेचर की इंटेंशन को क्लियर करते हैं तो यह हमारी ड्यूटी है। The legislative supremacy of this House cannot be challenged. हम कोर्ट के दायरे में नहीं जा रहे हैं। हम अपने दायरे में बैठकर काम कर रहे हैं। जब सिक्स्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशन आई, उस समय बाकी गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स के लिए ऑफिस मेमोरेण्डम के माध्यम से क्लियर कर दिया गया। उस समय एक गलती हुई, यह मानता हूं। वर्ष 2009 में एक गलती हुई, अगर वह चूक नहीं हुई होती तो आज यह नौबत नहीं आनी थी। उस समय सरकार अगर जजेज के बारे में भी ओ.एम. इश्यु कर देती, जैसा बाकी सिविल सर्वेण्ट्स के लिए किया गया था, तो यह नौबत नहीं आती। वह क्लैरिफिकेशन सही है। मान लीजिए अगर हम यह अमेंडमेंट बिल नहीं लाते हैं तो सारे सिविल सर्वेण्ट्स अगर यह क्लेम करने लग जाएंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, एज का पैमाना बराबर है। अगर वे ऐसी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि 79 वर्ष का होने से आपको 80 वर्ष का ट्रीट किया जाएगा तो हमारे लिए बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि यह एक छोटा अमेंडमेंट है। इसके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा काफी चीजें कही गई हैं। सरकार के ऊपर भी कई टिप्पणियां की गई हैं, मैं मानता हूं कि इस हाउस में सभी सदस्यों को अपनी-अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है और मैं उसका पूरा स्वागत करता हूं, लेकिन इस छोटे से अमेंडमेंट के बारे में मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर कोई विवाद न करके, हमारी एक सर्वसम्मति बननी चाहिए, ताकि कोई गलत संदेश न जाए और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम जजेज की फैसिलिटी को कम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही

क्लैरिफाई किया है कि जजेज की सैलरी या पेंशन को कम नहीं किया जा रहा है, पहले जो एक एम्बिग्यूटी थी, हम एक एक्सप्लेनेशन क्लॉज लगाकर सिर्फ उसे क्लियर कर रहे हैं।

सर, चर्चा के दौरान कई मुद्दे उठाए गए हैं और अन्त में अधीर रंजन चौधरी जी, हम लोग कई सालों से इस हाउस में साथ रहे हैं, ने मेरी तारीफ भी की और कुछ अन्य बातें भी कही हैं। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर जी ने शुरुआत की और बाकी कई मेम्बर्स ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। सबसे पहले जूडिशियरी की प्रॉब्लम और पेंडेंसी ऑफ द केसेज को लेकर कई मेम्बर्स ने सवाल उठाए और कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो टोटल पेंडेंसी है, मैं उसके कारणों की डिटेल्स नहीं कहूँगा, लेकिन सबको मालूम है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा पेंडेंसी ऑफ द केसेज लोअर जूडिशियरी में है, उसके बाद हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में है। मैं यह मानता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी को ठीक करने की एक व्यवस्था है, लेकिन जो लोअर जूडिशियरी है, जहां सबसे आम आदमी न्याय पाने के लिए जाता है, उसको चुस्त-दुरुस्त करके ठीक करना बहुत जरूरी है।

जब हम सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों में जजेस से मिलते हैं, तब भी मैंने कहा है कि आम आदमी और न्याय के बीच में फासला नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी को अगर न्याय के लिए तड़पना पड़े और न्याय प्राप्त करने के लिए उसके पास व्यवस्था न हो तो सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी कैबिनेट डिस्मिशन में 9 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट ने लोअर जूडिशियरी, सबऑर्डिनेट जूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं।

मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि हमें राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो राज्य सरकारों को ही करना है। मैं सोच रहा हूँ कि राज्य सरकारों के साथ तालमेल करके बहुत जल्द, जितने भी स्टेट्स के लॉ मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बाद उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनमें राज्य सरकार के साथ

हमारा तालमेल होना जरूरी है । इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीजें जैसे टॉयलेट, बाथरूम और कोर्टरूम हैं । अभी भी कई जजेस रेंट हाउस में बैठते हैं तो यह परिस्थिति ठीक नहीं है । अगर जज को रेंट हाउस में रहना पड़ रहा है या जो कोर्ट रूम है, वह रेंटेड प्रिमाइसिस में है, कोर्ट रूम में डिजिटल चीजों का कोई प्रावधान नहीं है और आजकल तो वर्चुअल हियरिंग और हाइब्रिड मोड का मामला है तो इसके लिए ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज, अमेनिटीज होना बहुत जरूरी है । इसके लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स का सहयोग नहीं होगा, तब तक केन्द्र सरकार के लिए अपने आप से लोअर ज्यूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले को ठीक करना संभव नहीं है । हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए । ज्यूडिशियरी के मामले में हमारे बीच में ऐसी कोई समस्या भी नहीं है ।

दूसरी बात डिस्पोजल ऑफ द केसेज की है । यह एक बड़ा मुद्दा है । डिस्पोजल ऑफ द केसेस में 4 करोड़ 30 लाख के लगभग हम जिन पेंडिंग केसेस की बात करते हैं, उसके कई कारण हैं । हम मानते हैं कि भारत सरकार को प्रोएक्टिवली काम तो करना ही चाहिए, लेकिन ज्यूडिशियरी ने भी अपनी तरफ से कई कदम उठाए हैं, लेकिन और भी कदम उठाने की आवश्यकता है । जब हम लोग स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं availability of adequate number of Judges or Judicial Officers, supporting court staff and physical infrastructure, complexity of facts involved, nature of evidence, cooperation of stakeholders viz. Bar, investigation agencies, witnesses and litigants, and proper application of rules and procedure.

इसमें कई चीजें होती हैं, जिनकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती है । कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनकी वजह से केसेस पेंडिंग होते हैं । Frequent adjournment of cases, and lack of adequate arrangement to monitor, track and bunch cases for hearing, ये सारी चीजें एक तरह से आर्टिकल 21, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा पैमाना है, उसको नुकसान पहुंचाती हैं । इसलिए जब पेंडेंसी ऑफ द केसेस बढ़ती है और भारत सरकार को सवाल करते हैं, यह तो ठीक

है, लेकिन सामूहिक रूप से इसको देखने की जरूरत है । भारत सरकार, राज्य सरकार और ज्यूडिशियरी का अपना मैकेनिज्म बना हुआ है ।

सर, उसके बाद पेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने कई रास्ते खोजे हैं । अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें एक बहुत बड़े रास्ते का हम लोगों ने प्रयास किया है । एक आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है, हम सब मीडिएशन बिल की चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रावधान है । हम जितनी जल्दी किसी भी तरह से जस्टिस दे सकें तो हमको देना चाहिए । अभी हम मोबाइल कोर्ट के बारे में सोच रहे हैं । हम नालसा के माध्यम से देशभर में लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं । मैं अभी दो दिन पहले उत्तराखंड गया था, उससे पहले मैं गुजरात और जम्मू-कश्मीर गया था और मैं कई राज्यों में जाने वाला हूँ । इसमें खुशी की बात यह है कि लोक अदालत के माध्यम से तथा अलग-अलग तरीकों के माध्यम से ऑन द स्पोट हियरिंग होती है और केस डिस्पोजल किया जाता है ।

हमें इस तरह से अलग-अलग रास्ते खोजने होंगे, अदरवाइज अभी देश में लगभग साढ़े चार करोड़ केसेज की पेंडेंसी हो गई है, तो नॉर्मल कोर्ट की हियरिंग प्रोसेस से इसके समाधान होने की कोई संभावना नहीं है । कल माननीय सदस्यों ने चर्चा के समय appointment of the judges के बारे में ज्यादा जिक्र किया है । उनको मालूम है कि इस सदन में वर्ष 2015 में National Judicial Appointment Commission के बारे में चर्चा हुई थी । कई माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया । हमारे कुछ प्रॉमिनेंट साथियों ने उसमें हिस्सा लिया था, मैं उनकी बातों को यहां कोट करना चाहता हूँ । अभी कल्याण बनर्जी जी यहां नहीं हैं, वह कहीं बाहर गए हैं । उनकी जगह पर सौगत राय जी हैं । कल उन्होंने, बहुत तेज, कुछ रिमार्क्स किए हैं, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ । ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी के बारे में कहा था । ... (व्यवधान)

श्री किरन रिजिजू : उन्होंने सिर्फ संजीव बनर्जी के बारे में नहीं कहा है ।...(व्यवधान) शायद कल आप नहीं थे । ...(व्यवधान) अगर हम नाम न लें, तो अच्छा है । जब इस Constitution Amendment Bill पर चर्चा हुई थी, तो कल्याण बनर्जी जी ने जो कहा था, मैं उनकी बातों को कोट करना चाहता हूँ:

“Collegium system was not introduced by this Parliament.

Collegium system is an introduction of the Supreme Court. It is a law laid down by the Supreme Court not by reason of its interpretation of the Constitutional provisions but with an idea that there may be political influence in the appointment of judges pre-1993. Therefore, the collegium system was born and the collegium system has really usurped the entire set of functions of the political executive. With great respect to Supreme Court, I would like to say that it has reduced the status of the political executive to that of a mere clerk. This system has been going on right from 1993. This collegium system should go. The time is right for this. We have to substitute it. We have to substitute it under compulsion. Our experience shows that this is indeed to be done.”

उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा । उसके बाद मैं अपने वरिष्ठ साथी महताब जी की बातों को यहां कोट करना चाहता हूँ । महताब जी यहां बैठे हैं । मैं आपके शब्दों को आपके सामने इस सदन में रख रहा हूँ:

“The view of the Assembly at the time of enacting the Constitutional provision was that the Chief Justice of India should not be the final appointing authority. This was disregarded by the court, and in the meantime, during the last 20-21 years, this issue was never raised in the court of law. In the first instance, the collegium system lacks transparency and security. The public is not aware of the selection of a judge until his or her name is forwarded to the Government by the collegium.

Second, there have been instances of judges being selected or not selected due to favouritism or prejudices of members of the collegium.”

14.38 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

महताब जी, आपने यह बात इसी सदन में कही थी । कांग्रेस के सदस्य, उस समय जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, मैं विरप्पा मोइली जी के लाइन को कोट कर रहा हूँ:

“When I was the Law Minister, I conducted a lot of national consultations which included an important consultation meeting of the political executive, including the Prime Minister, the then Chief Justice of India, all the judges of the High Courts, all the Chief Justices of the High Courts and also eminent jurists. By and large, a consensus really emerged out of that meeting. Thereafter, we wanted to see that this consensus is evolved. We are not concerned with who is having an upper hand. We are not for

upmanship. Ultimately, our concern is on the kind of appointment system which should prevail in the country, which is good for the nation. That is why I said that this should ultimately reflect the will of the nation and not merely the will of the judiciary and the political executive.”

यह मोइली साहब ने कहा है । मैं इसलिए उनको क्वोट कर रहा हूँ, ताकि सबको क्लियर हो जाए कि इस हाउस का सेन्स क्या रहा है और ओपोज़ीशन के हमारे माननीय सदस्यों, जिन्होंने कल चर्चा में हिस्सा लिया है, उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है और आज किस परिस्थिति में हम पहुंचे हैं ।

माननीय सभापति जी, गवर्नमेंट कभी भी ज्यूडिशियरी की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करती है । कल श्री कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट जबरदस्ती करती है और हम जब चाहें ट्रांसफर कर देते हैं, जब चाहें रोक देते हैं । Appointment of Judges का जो लार्जर इश्यू है, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ । वर्ष 1993 से पहले हमारे पास जो सिस्टम था, उस सिस्टम से कितने अच्छे-अच्छे जजेस अपॉइंट हुए हैं, यह सबको मालूम है । उदाहरण के तौर पर श्री वी. आर. कृष्णाअय्यर, श्री एच. आर. खन्ना, जस्टिस विजन मुखर्जी, जस्टिस विवियन बोस, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस एस. आर. दास, ये सब लेजेंड हैं, यह सबको मालूम है । वर्ष 1993 में क्या परिस्थिति हुई कि यह पूरा सिस्टम बदलना पड़ा?

वर्ष 1993 और सब्सिक्विन्टली वर्ष 1998 में जो पुराना सिस्टम चल रहा था, वह प्राइमरी ऑफ अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस के हाथ में चला गया । कई लोगों ने इस विषय पर अपनी-अपनी बातें रखी हैं । वर्ष 1993 में खासकर कोलोजियम सिस्टम का एक्सपेंशन किया गया । उसके बाद जो कोलोजियम सिस्टम बना, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्रिएट किया गया, जिसके तहत जो सिस्टम आज तक चलता आ रहा है, मैं उसके बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहता हूँ ।

हम लोगों को कांस्टिट्यूशन प्रोविजन्स को भी याद रखना चाहिए और उसके बाद क्या चेंजेज आए हैं और उसके बारे में हम क्या फील करते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए । अपॉइंटमेंट के मामले में कांस्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है । मैं फिर से उसे पढ़ना चाहता हूँ । The judges of the Supreme Court are appointed under Article 124(2) and judges of the High Courts are appointed under Article 217(1) of the Constitution by the President. The *ad hoc* judges and the retired judges of the Supreme Court are appointed under Articles 127(1) and 128 of the Constitution respectively. The appointment of additional judges and acting judges for the High Courts are made under Article 224 and appointment of the retired judges of the High Courts and sittings of the High Court are made under Article 224(a) of the Constitution. Transfer of judges from one High Court to another High Court is made by the President after consultation with the Chief Justice of India under Article 222 (1) of the Constitution.

14.44 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांस्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है । वर्ष 1981 का जो केस है, जिसे फर्स्ट जज केस भी कहा जाता है, वह एस. पी. गुप्ता केस है । तब तक भी कांस्टिट्यूशन के अनुसार प्राइमरी सरकार के पास ही थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के साथ कन्सलटेशन का प्रोसेस चलता था । लेकिन जब सेकेंड जज केस हुआ, उसके बाद कन्सलटेशन कन्करेंस हो गया । कल हमारे माननीय साथी श्री पी. पी. चौधरी जी ने इस विषय का काफी डिटेल में जिक्र किया था कि दूसरी जगहों पर कन्सलटेशन, कन्सलटेशन ही होता है और कन्करेंस, कन्करेंस होता है । लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामले में कन्सलटेशन को सुप्रीम कोर्ट की कांस्टिट्यूशन बेंच ने कन्करेंस का रूप दे दिया । तब से

पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, कोलोजियम सिस्टम की जो पूरी रूपरेखा सामने आई है, आज हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं।

उसके बाद इस साल एक और इश्यू हुआ कि महानदी केस में एक और डायरेक्शन आया। मैं इसे हाउस में कंसीड्रेशन के लिए रखना चाहता हूँ। महानदी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस सूर्यकांत का जो जजमेंट आया, उसमें अलग से एक डायरेक्शन आया है और उसमें कहा गया कि जब सैकेंड रीड्रेशन होता है उसके बाद सरकार को तीन या चार सप्ताह में ही अपॉइंट करना अनिवार्य होता है। It was made mandatory that the Government has to appoint judges whose names are there in the reiterated cases. इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन यदि इस तरह के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आते रहेंगे, हम ज्यूडिशियरी को चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन हमें संविधान के प्रावधानों को फिर से रिविजिट करके देखना होगा। ...

(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: We all support the National Judicial Appointments Commission Bill. The Government's position is also same. Now, we are doubtful regarding the opinion of the Government. What is the reaction of the Government regarding NJAC?

SHRI KIREN RIJJU: The hon. Member knows the whole case of NJAC.

Now, I want to make it very clear that we respect the Judiciary. My words and my statement should not be construed as a challenge to the independence of the Judiciary, but I also believe that when there is independence of the Judiciary, then there is independence of the Executive also and there is independence of the Legislature also because it has been defined by the Constitution of India.

When a Bill or an Act passed by Parliament is struck down by the Supreme Court, then it is a larger issue for all of us to consider and discuss. I may take it up later on. Maybe, in due course of time, the issues will come up again. But in today's time, since we are dealing with a very specific case, I would not like to dwell much on the question of NJAC right now. ...

(Interruptions)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): There is a larger question of vacancies ... *(Interruptions)* There are a large number of vacancies in the Judiciary, especially in the High Courts.

SHRI KIREN RIJJU: Right now, I can definitely say that the appointment process is going on smoothly. From the Government side, there is no effort to scuttle or to create any kind of slow down in the process of appointments. Some of the allegations are also not correct to say that the Government is stopping some of the names recommended by the collegium. We all have to understand that Government cannot just remain a mute spectator or we cannot just sign on any of the names. We have to do due diligence. ... *(Interruptions)*

I think, you have just arrived. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आधा घंटा बोले हैं । जब मंत्री जी की बात समाप्त हो जाएगी, तो आपको फिर बोलने का मौका दूंगा । अभी आप माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब मत कीजिए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, मंत्री जी आप बोलिए ।

... (Interruptions) ... *

श्री किरन रिजिजू : अध्यक्ष जी, आप माननीय सदस्य को चुप कराएं । कल श्री कल्याण बनर्जी ने सदन में नाम लिया । यदि सदन के सदस्य किसी रिकमेंडेड नेम को लेते हैं, then how should I construe it? How should I construe that, when you take out the names of some judges who are being transferred or are under transfer, or whose names are under consideration? Personally, we have nothing to oppose each other, but on the question of propriety, if you take those recommended names or those names which are under consideration, which are on my table, how would I construe that?

जब मैं ड्यू डिलिजेंस की बात करता हूं तो सरकार के पास एपरेटस होते हैं, हमारे पास आईबी इनपुट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम्स होते हैं और उनको एसेस करना पड़ता है । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनकी किसी भी बात का जवाब मत दीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजिजू : सर, मैं तो good faith और अच्छे भाव से उनको उत्तर दे रहा था, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर विराजिए ।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजिजू : सर, अगर कोलेजियम ने कुछ नाम हमारे पास भेजे हैं और वे अगर बार-बार how long, बोलते हैं, तो क्या यह दबाव नहीं है? वह दबाव डाल रहे हैं । ... (व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप उनकी बात का जवाब क्यों दे रहे हैं? आप इधर देखिए । कोई स्पष्टीकरण मत दीजिए । उनकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, इसलिए आप उनको जवाब मत दीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजिजू: सर, कल शशि थरूर जी और कुछ अन्य मॅबर्स ने पेंडेंसी के संबंध में प्रश्न किया था, तो मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जब नियुक्त होती है तो उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम से जेनरेट होता है । हाई कोर्ट जजेस का जब नाम आता है, तो वह हाई कोर्ट के कोलेजियम से जेनरेट होता है । पहला नंबर चीफ जस्टिस, उसके बाद नंबर-2 और नंबर-3, इन नामों को सबसे पहले लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जाता है । लॉ मिनिस्टर के पास भेजते वक्त, समय बचाने के लिए पैरलली वे नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास भी जाते हैं, so that when Law Minister sends the file to the Chief Justice and the collegium, by that time they should also do due diligence. किस परिस्थिति में नाम आते हैं और किस तरीके से वहां से नाम भेजे जाते हैं, उसके बारे में मुझे बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी को यह मालूम है । जब नाम आता है और हम अपने तरीके से ड्यू डिलिजेंस के प्रॉसेस को करते हुए जब नाम भेजते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम हमें दोबारा नाम भेजता है । मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि इतने दिनों में आपको नियुक्ति करनी ही है । यह तो इसमें मॅशन नहीं है । मैंने महानदी केस का जो जिक्र किया, उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने यह मॅशन किया कि आपको इसे तीन या चार हफ्तों में करना है । ...

(व्यवधान) It is a larger question which is not part of the Memorandum of Procedure but if The Supreme Court gives a direction, then we have to take a call. That is why I am indulging the House. You cannot question how long you want to keep it pending. ... (*Interruptions*)

Sir, I agree with whatever emotion our hon. Member is generating. But it is not wise to stick to a timeline for particular names of the judges. It will not send a right signal. ... (*Interruptions*)

सर, चूंकि अच्छी चर्चा चल रही है, अतः मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: मेरा प्रोटेक्शन यह है कि आप उनकी बात का कोई जवाब मत दीजिए । आप यदि फिर भी जवाब दें, तो यह आपकी इच्छा है ।

... (व्यवधान)

श्री किरन रिजिजू : सर, वह माइक ऑन करके बोलते हैं, तो सब रिकॉर्ड में आ जाता है ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है । उनका कल का पूरा भाषण रिकॉर्ड में आ गया है ।

... (व्यवधान) *

श्री किरन रिजिजू : सर, देश में कुछ केसेज की पेंडेंसी तो रहेगी । ... (व्यवधान) एक तरफ जब जजेस की नियुक्ति होती है, तो दूसरी तरफ उनका रिटायरमेंट भी होता है और उसमें मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर क्लीयरली लिखा हुआ है । जज के रिटायरमेंट से 6 महीने पहले वह प्रॉसेस शुरू होती है । देश में जो सर्वे नंबर ऑफ पेंडेंसी है, वह हमेशा ही रहेगी, क्योंकि जब आप प्रॉसेस करते हैं तो उसमें टाइम लगता है । आप ऐसा मत सोचिए कि 100 परसेंट वैकेंसीज हमेशा फिलअप रहेंगी टू दी स्ट्रेथ । This is not possible. इस वक्त जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, As a Law Minister, I want to give an assurance कि हमने अनावश्यक रूप से without any valid reason कोई फाइल होल्डअप करके नहीं रखी है । We have, in fact, enhanced the speed.

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उनको देखकर जवाब दे रहे हो । आप मुझे देखकर जवाब दो, नहीं तो वे चार प्रश्न और पैदा करेंगे ।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Senior advocate, please sit down.

... (Interruptions)

श्री किरन रिजीजू : महोदय, जैसे मैं कह रहा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ दी जजेस के प्रोसेस को स्पीडअप करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है । लेकिन फिर भी कुछ वैकेंसीज रहेंगी, क्योंकि परिस्थिति, जैसे मैंने बताया, वह एक प्रोसेस है । उस प्रोसेस में, क्योंकि मीडिया में भी यह आता है कि सरकार इतनी वैकेंसीज क्यों नहीं भर रही है, जबकि सारा प्रोसेस हाई कोर्ट से शुरू होता है और फिर सरकार के पास आकर कॉलेजियम में जाते हैं, फिर फाइनली अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास आता है । फिर हम प्रधान मंत्री जी के पास फाइल भेजते हैं, राष्ट्रपति जी के पास भेजकर फाइनल अप्रूवल करते हैं ।... (व्यवधान) यह प्रोसेस में है ।... (व्यवधान)

सर, जब हम लोग बाहर मिलते हैं तो कल्याण जी का बहुत अच्छा व्यवहार होता है । वे हाउस में आने से बदल जाते हैं । वह मजबूरी होगी, लेकिन मैं उसे निजी तौर पर खराब नहीं मानता हूँ ।... (व्यवधान) नहीं-नहीं, जो आप नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं कि कब तक, उसके लिए बोल रहा हूँ ।... (व्यवधान)

सर, आपने जैसा निर्देश दिया है, मैं वहाँ नहीं देखूँगा ।... (व्यवधान) कई अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं, कुछ बातें हमारे कंसीडरेशन के लिए रखी हैं और कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है । हम क्रिटिसिज्म को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम नकारते नहीं हैं । इस देश में हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जिस हिसाब से हम केसेस एडमिट कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट्स में हों या लोअर ज्यूडिशियरी हो, तो नम्बर्स ऑफ केसेस को भी आप देखिए । कल कई माननीय सदस्य रेश्यो ऑफ जजेज भी बता रहे थे । अब रेश्यो के अलावा आप नम्बर्स ऑफ केसेस को भी देखिए । We are the largest

democratic country in the world और उसमें हर आदमी को कोर्ट में जाने का राइट है और साथ ही साथ कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट को समझिए । Free legal aid is a right of the citizens of this country. जस्टिस उनका अधिकार है । न्याय उनका अधिकार है । उसके लिए हम सिर्फ कानूनी किताब से जुड़े रहेंगे, उससे भी नहीं होगा । हमें बढ़-चढ़कर के आगे काम करना होगा । इसलिए हमने कहा कि आप न्याय कोर्ट रूम से भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कोर्ट के रूम से ही आप न्याय देंगे । जमीन पर जाकर भी आप न्याय दे सकते हैं । आप लोगों की चौखट पर जाकर भी न्याय दे सकते हैं । 'नालसा' का जो कार्यक्रम इस वक्त देश भर में चल रहा है, मैं इस सदन से, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, जस्टिस उदय उमेश ललित जी की एग्जिक्यूटिव चेयरमैनशिप में जो काम कर रहा है, लॉ मिनिस्टर होने के नाते पिछले 6-7 महीने में जो मैंने देखा है, वह काबिले तारीफ है । लोगों को उससे बहुत लाभ मिल रहा है । जब मैं कश्मीर गया था, हजारों लोगों को लीगल ऐड, हमारे पैरा लीगल वालंटियर्स के माध्यम से, हमारे पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स चल रही हैं, उस स्कीम का फायदा उठाने के लिए, जो हमारा legal aid and outreach programme चल रहा है, उससे सुविधा मिल रही है । हर तरह से हमें प्रयास करना होगा, अदरवाइज हम सिर्फ कोर्ट रूम से ही सबको जस्टिस देंगे, इस पर निर्भर रहेंगे तो अकेला कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर ज्यूडिशियरी हो ।... (व्यवधान)

15.00 hrs

सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान हमारे देश में काफी सालों से चल रहा है । उसमें खास कर मैं यह जिक्र करना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय में चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर ज्यूडिशियरी हो, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है । मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं that the Supreme Court of India has emerged as a global leader during COVID-19. The total number of cases heard by the district courts since COVID-19 lockdown started is 11,077,289 cases. यह लोअर ज्यूडिशियरी में होना है । You also have to appreciate some good work done by the Judges. You should not be so critical about the judiciary all the time. The High Courts heard 5,524,021 cases. The Supreme Court had 1,50,692 hearings since the COVID-19 lockdown period till 29/10/2021. ... (*Interruptions*) मैं इनको इज्जत देता था, लेकिन अब जैसे वे कमेंट पास कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी इज्जत डाउन हो रही है ।... (व्यवधान) As a lawyer, I expected a higher standard of intervention from you. ... (*Interruptions*) बाहर दोस्ती रहेगी, लेकिन मैं हाउस की बात कर रहा हूं ।... (व्यवधान) हमारे सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में जो ई-कोर्ट मिशन चल रहा है, वह भी बहुत एप्रिशिएबल है । इसमें हम सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दे रहे हैं । डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ को-ऑर्डिनेशन का काम करके और तालमेल करके जो भी सम्भव मदद दे सकता है, चूंकि मैं इसको डिटेल में बताना नहीं चाहता हूं, मेरे पास बहुत लम्बी सूची है । मैं इस हाउस का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं । लेकिन जो वर्चुअल हेयरिंग है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, एक तरीके से लोगों के हाथ में एक अपॉर्च्युनिटी आई है कि अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो वर्चुअल हेयरिंग के माध्यम से आपको न्याय दिया जा सकता है । सर, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि देश में कई जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट का बहुत अच्छा काम चल रहा है । जैसे स्पेशल कोर्ट होती है, पोक्सो एक्ट के

मुताबिक जो कोर्ट बने हैं और वर्ष 2018 में जब हम लोग क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल लाए थे, उसके तहत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हैं, उसमें कुछ स्टेट्स और यूटीज़ में थोड़ा स्लो है । मैं अधीर जी, कल्याण जी और जो माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना है कि इस वक्त सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोक्सो एक्ट के प्रावधान में आगे नहीं बढ़ पाया है ।... (व्यवधान) यह मैं गुड फेथ में बोल रहा हूं ।... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): No, you cannot say like this. ...
(Interruptions)

SHRI KIREN RIJJU : No, this is correct. ... (Interruptions) I am saying this on record. ... (Interruptions) I have written to the hon. Chief Minister and I am waiting. ... (Interruptions) I am saying this in good faith so that we can work together and not as part of criticism. ... (Interruptions) I want to work together with the State Government and with the hon. Chief Minister with whom we have worked together in Parliament House. She was here as part of us, and equation-wise personally there is no problem. All that I am stating here to this august House is a matter of fact.

सर, जैसा मैंने कहा है कि हमारे कई सदस्यों ने कल कई चीजें रिक्वेस्ट भी की हैं, इनक्लूडिंग कुछ लोगों ने सर्किट बेंच के लिए कहा है, अलग से बेंच खोलने के लिए कहा है और ओडिशा के मैटर में तो सारी चेयर से ले कर ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने वन वॉयस में इस बात को रखा है । I have noted down all the important matters raised by all the hon Members. All the matters are close to my heart. मैं फॉलोअप भी करूंगा । सर, ऐसा नहीं है कि मैंने नोट किया और मैं उसे फॉलोअप नहीं करूंगा । I will follow up those important requests and suggestions which came up during the discussion. ...

(Interruptions) सर, कांग्रेस के बारे में हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने करना चाहा, वह हमने किया तब भी वे क्रिटिसाइज़ करते हैं और कभी-कभी वे जो नहीं कर पाए, हमने किया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं । इस पर हम कोई पॉलिटिकल एंगल्स नहीं देखते हैं । अच्छी चीज़, जो कांग्रेस के समय में शुरूआत हुई, वे नहीं कर पाए, तो हम उसको पूरा करेंगे । इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है । ... (व्यवधान) सर, कोई बीच-बीच में बोलता है तो अपनी बात कहने में मज़ा नहीं आता है । सर, कल इंपॉर्टेंट विषय, जो इस सदन में चर्चा के समय आया, जजेस की संख्या बढ़ाने की बात आई, उनकी ऐज बढ़ाने की बात आई, जिसका अभी माननीय सदस्य जी ने जिक्र किया । सोशल एण्ड इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन का विषय भी आया । मैंने रीसेंटली हाई कोई के सभी जजेस को एक पत्र भी लिखा कि जब आप नाम भेजते हैं कि जजिस किसको बनाना है, उस समय इस बात को याद रखा जाए कि जो वीकर सेक्शन है, वुमेन है, एससी, एसटी आदि जो कमज़ोर वर्ग के हैं, आपके द्वारा उनके नाम भी किसी तरह से रिकमेंडेशन में सम्मिलित किए जाएं । हमने यह रिक्वेस्ट की है ।

सर, मैं आपके माध्यम से, इस सदन से फिर से यह मैसेज़ देना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि ज्यूडिशियरी में भी हर वर्ग का, हर राज्य का अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए । सबको जगह मिलनी चाहिए । क्योंकि हम अपने आपसे रिज़र्वेशन तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमारे एक्शन में इनक्लूसिविटी दिखाई देनी चाहिए । मैं यह मानता हूँ ।

सर, कल चर्चा के दौरान बहुत सी बातें आईं, लेकिन मैं बहुत लंबा जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब जितना लंबा दूंगा, उतने विवाद खड़े होने के चांसेज़ रहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ और मैं डिबेट को सीमित रखना चाहता हूँ ।

पिनाकी मिश्रा साहब द्वारा कुछ बातें उठाने के बाद रामचंद्रन जी ने कहा कि उनका व्यू चेंज हो गया है । ... (व्यवधान) I stand corrected सॉरी, प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि वे कुछ सोच कर आए थे, लेकिन मिश्रा जी के कहने के बाद व्यू चेंज हो गया । You need not change your view. It is very clear. On the apprehension about the tenability of the Bill, there

is no issue at all. It is a simple amendment just to make very clear what it means by saying 80 years and above. That means, you have to exceed 80 years not when you enter 80 years of age, that means, when you enter the age of 79. सर, अगर इसको हम आज पास नहीं करेंगे, इस छोटे से अमेंडमेंट को पास नहीं करेंगे, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल इफैक्ट होगा, उसको भी सोचना चाहिए । We have to give it a serious thought कि आप जजेस को 79 में ट्रीट कर रहे हैं, तो इतने सालों से, 2006 से पहले जितने सिविल सर्वेंट्स रिटायर हो गए हैं, कितने लोग तो इस दुनिया में भी नहीं हैं, सब क्लेम करने लग जाएंगे कि जजेस को मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए । If every civil servant starts claiming on the basis of the judgement of the Guwahati High Court, then, you can imagine what kind of situation we are likely to face. इन सब चीजों को थोड़ा सा ब्रॉडली सोचते हुए हमको इस पर विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सर, अभी मुझे एक माननीय सदस्य का नाम याद नहीं आ रहा है । उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, वह कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा । मैं कहता हूँ कि इसमें स्ट्राइक डाउन होने की संभावना नहीं है । सिविल सर्वेन्ट के लिए जो ऑफिस मेमोरेन्डम निकला है, अगर यह चीज उस समय निकली होती तो आज यह विषय हमारे सामने नहीं आता । मैं इस हाउस को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसमें जस्ट एनॉमली है, इस एनॉमली को ठीक करने के लिए हम एक छोटा-सा अमेंडमेंट बिल लाये हैं ।

अभी इंडिया के सभी पार्ट्स से, स्पेशली साउथ इंडिया से काफी मुद्दे उठाए गए । ओडिशा के बारे में जैसा मैंने बताया, यू.पी. के बारे में हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी ने मुद्दा उठाया है । इन सब विषयों को हम एक कंसल्टेशन की प्रोसेस में रखेंगे । आप लोगों ने जो डिमांड की है, उसको मैं जायज ठहराता हूँ और यह अच्छी डिमांड है । चूंकि यह कंसल्टेशन का प्रोसेस है, इसलिए मैं सदन में उसके बारे में वादा नहीं कर सकता हूँ । इस सदन में मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ । Without consultation with the High Court, or Supreme Court and other

stakeholders, it will not be wise on the part of the Law Minister to give a commitment in this august House. जब आप अलग से आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे । इस हाउस के बाहर हम लोग कई मैम्बर्स के साथ चर्चा कर चुके हैं ।

सर, मैं आपसे परमिशन माँगना चाहता हूँ कि कुछ चीजें हैं, जिनके बारे में मैं अलग से मैम्बर्स को जवाब दूँगा । जैसा मैंने आपसे वादा किया कि इस चर्चा को हम लंबा लेकर नहीं जाना चाहते हैं । यह एक बहुत ही सीमित बिल है । हमने कमिटमेंट किया है कि इस देश में संविधान के तहत जिस प्रकार से जुडिशियरी, एग्जिक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम करते हैं, अगर हमारी तरफ से कभी-कभी विरोधाभास लगता है तो हम अपनी तरह से प्रयास नहीं करेंगे । अभी जो बातें की गई, मैं उनका उस हिसाब से जवाब नहीं दे पाया । ... (व्यवधान) सभी को संविधान के दायरे में जो अथॉरिटी दी गई है, उसी दायरे में हम सभी को रहना है ।

सर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आज की इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में जितने भी मेम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । आज बिना विरोध के इस छोटे-से बिल को पास किया जाए ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, थर्ड रीडिंग के समय मैं आपको मौका दूँगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन के बारे में बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। कई साल पहले एक प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कि “Not taking a decision is also a decision”. Should we understand that the hon. Minister is not taking a decision relating to the issue of judges’ appointments? We will otherwise wait for another ten years. This is my question. I am not saying anything to do with Orissa High Court, bifurcation of Orissa High Court or something.

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा। अगर माननीय मंत्री जी इस बिल के संबंध में जवाब देना चाहते हैं तो वह जवाब दें। इस बिल के अलावा, अगर वह जवाब नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दें। यह आपकी इच्छा पर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, अब आप बोलिए।

SHRI KALYAN BANERJEE: The hon. Law Minister referred to my name and said that I supported National Judicial Appointments Commission Bill. Yes, I support it. Mr. Ravi Shankar Prasad was the Law Minister when I spoke for fifty minutes on the Bill, and he also praised me on the floor itself. Incidentally, that Act was declared *ultra vires* by the hon. Supreme Court. Now, if an Act is declared *ultra vires* by the hon. Supreme Court, where do we stand? We stand

in the collegium. In addition to that judgment, only the MoP has come. The Act has been declared *ultra vires* and the MoP will be there. Therefore, the argument which I made on that day, you cannot take the support of it.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has replied and cleared the cloud of suspicion, I do agree. At the same time, I would like to seek a clarification. The Minister is not invalidating the Supreme Court judgment according to him or according to the Government. He was elucidating by way of explanation to the Bill and making the Government's position clear. I would like to pose a specific question in relation to this. Regarding the NJAC Bill also, though the Supreme Court has declared it as *ultra vires* of the Constitution for changing the basic character of the Constitution, would the Government consider that the will of the people is entirely different? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न बिल से संबंधित होगा, तो मंत्री जी जवाब देंगे, नहीं तो आपने अपनी बात कह दी।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: सर, यह बिल से संबंधित है। Ravi Shankar Prasad ji is here. It was a wonderful legislation that the Parliament had passed. I would once again appeal to the hon. Minister to consider bringing the NJAC Bill back. If there was any mistake in the drafting or anything, the Minister may correct it and bring it back to the House. The entire House will support it.

DR. SHASHI THAROOR: I just wanted to mention that we took note of the Law Minister's assurance at the end of his remarks that various other suggestions made by the MPs will be taken into consideration. One of my key

suggestions was that the Government should consider a larger Bill on salaries and conditions of service of judges that will incorporate a number of these issues including issues of retirement age, speed of vacancy filling, all of these issues, in order to tackle the problem of pendency and others in the country. I hope that the Minister's assurance means that there will be consideration given expeditiously to a new Bill on these issues. Thank you.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, कल पिनाकी जी ने इसके बारे में कहा । सरकार इस बिल को लेकर आई है कि सुप्रीम कोर्ट के बिल को क्वेश्चन करने, मतलब जजमेंट के बाद भी हम इस बिल को करेक्ट करने के लिए आए हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से पूरा सदन एनजेएसी बिल के लिए आग्रह कर रहा है... (व्यवधान) सर, यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी हम इस बिल को लेकर आए, क्योंकि करेक्शन करना था, क्योंकि वह जजमेंट गलत था । इसलिए मुझे लगता है कि आर्टिकल 368 के तहत हमें एनजेएसी लाना चाहिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बताना चाहिए और उसे कायम करना चाहिए ।... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there is a growing trend that our legal professionals are being corporatized. The traditional way of legal practice is declining. Brilliant and potential professionals in the legal service are being allured and enticed by the corporate houses and they are inclined to join those firms instead of pursuing traditional legal practice.

श्री किरन रिजिजू: जो एडीशनल सजेशंस और क्लेरिफिकेटरी कुछ पूछे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर विषय पर अलग से चर्चा करनी है, तो मैं हाउस के बाहर अपने साथियों से मिलूंगा ही, लेकिन ऑन रिकार्ड कुछ कमिटमेंट, जैसे मैंने कहा कि कंसल्टेशन प्रॉसेस होता है । इसमें और भी

स्टेकहोल्डर्स इनवॉल्व्ड होते हैं । स्टेकहोल्डर्स से कंसल्टेशन से पहले अगर मैं यहां कुछ एश्योरेंस दूं, तो यह सही नहीं रहेगा ।

दूसरा, एनजेएसी को लेकर काफी भारी सपोर्ट की वाइस आई है, तो मैं ऑन रिकार्ड सदन को बताना चाहता हूं कि कई रिटायर्ड जजेज़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुझे लिखित रूप से दिया है कि अभी जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम अपाइंटमेंट ऑफ जजेज़ के लिए है, वह सही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है । यह थोड़ा सा जस्टीफाइड भी नहीं कर पाता है, जिस इंटेन्शन से कांस्टीट्यूशन में प्रावधान डाला गया । इस तरह के कई सजेशंस मेरे पास आए हैं । इन्क्लूडिंग एनजेएसी बिल को फिर से रीड्रॉइयूस करने के लिए भी एक आवाज देश भर से आ रही है । मीडिया के माध्यम से भी, अलग-अलग एनजीओज़ के माध्यम से भी और लार्ज नंबर ऑफ जुरिस्ट्स की यह आवाज आ रही है । इसलिए जैसा मैंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, तो मैं इसमें कमिटमेंट के तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस सदन को अवगत करना मेरा दायित्व है कि इस तरह की बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, including voices coming from judiciary. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसमें समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या है? बाकी जितने सदस्यों ने रिक्वेस्ट की है, मैं पहले वादा कर चुका हूं कि इसके लिए अलग से मिलेंगे ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) विधेयक, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री किरन रिजजू: माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 22

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ।

15.21 hrs

DAM SAFETY BILL, 2019*
Amendments made by Rajya Sabha

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- ”

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द “सत्तरवें” **के स्थान पर** “बहत्तरवें” **प्रतिस्थापित** करें।

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में, “2019” अंकों **के स्थान पर** “2021” **प्रतिस्थापित** करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि

* The Bill was passed by Lok Sabha on the 2nd August, 2019, and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 2nd December, 2021 and returned it to Lok Sabha on 3rd December, 2021.

तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- ”

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द “सत्तरवें” के स्थान पर “बहत्तरवें” प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में, “2019” अंकों के स्थान पर “2021” प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Bill was discussed in this House. ... (*Interruptions*) Why is the hon. Member putting those amendments in the Lok Sabha? Without amendment, it has gone to the Rajya Sabha. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द “सत्तरवें” के स्थान पर “बहत्तरवें” प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5 में, “2019” अंकों के स्थान पर “2021” प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा पारित किए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 27, नियम 193 के अधीन जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा।

15.24 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Climate Change

माननीय अध्यक्ष: मैं इस विषय पर नियम 193 के तहत आज जिस विषय पर अल्पकालीन चर्चा हो रही है, यह विषय पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यता पर एक बड़ा संकट है, जिसे लेकर आज पूरा विश्व चिंतित है ।

हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समस्या के समाधान के लिए अग्रिम भूमिका निभा रहा है । यह एक ऐसा व्यापक विषय है, जिसमें देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, समस्त जनता तथा जनप्रतिनिधियों के सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है ।

मेरा आग्रह है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में जो भी प्रयास किए हैं, इस चर्चा में अवश्य साझा करें ताकि अपने योगदान और अनुभव से देश की विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके । मेरा विश्वास है कि इस विषय पर आज की चर्चा अत्यंत सार्थक, रचनात्मक और प्रोडक्टिव रहेगी ।

श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Thank you, Sir.

It is very heart-warming to listen to your words which give us a lot of credibility because there are people who still do not accept that there is climate change and it is a crisis. So, I start by thanking you for your words.

Today, human beings have become richer, more powerful, and more advanced. The literacy rate is much higher than ever before. But today's youth have never ever been faced with this kind of climate anxiety.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में आपस में चर्चा मत कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Their minds are eclipsed with fear. When I was talking to a group of youngsters, one of the boys told me that he is not sure whether he will reach the age of 50. It was very disturbing to listen to a young person, in his early 20s, saying that he does not know whether he will reach the age of 50. We cannot wish climate change away.

One of our youngest climate activists, Greta Thunberg said, “I want you to act as if your *house is on fire*”. *We cannot call climate activists as alarmists or we cannot push it away saying that there is a conspiracy behind it. Our oceans are heating up. The rains are acidic. Forests are burning. Coasts are eroding. Sea levels are rising, and people are getting displaced. That is the truth.*

We are bickering and politicking over caste, religion, and racial differences. While we are doing all these, we are losing the only habitat known to human kind. This is an existential crisis and nothing is more important than this.

The IPCC Assessment Report, which was released in August this year, has stated that it is a ‘code red for humanity’. It is said that it is not just climate change but a climate emergency.

The COP 26, 26th Conference of Parties for United Nations Framework Convention on Climate Change was held one month ago in Glasgow. The 26th COP meeting is considered as the most significant meeting of the century because of the crisis in front of us.

15.28 hrs

(Dr. Prof. Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

There were around six trillion trees on this earth before agriculture revolution, which started nearly 10,000 years ago. Today, it is less than half of what was there before the revolution started. Losing our forests is not just losing places of calm and comfort. We are losing the diversity of life, human health, the livelihood it provides, and the climate resilience it gives to the earth.

Global warming is simply increasing carbon emissions in the atmosphere, more than what can be absorbed by the trees, seas, and natural environment. Sir David Attenborough recently mentioned that the concentration of carbon in our atmosphere finally comes down to a single number. We should all join our hands together to combat it.

The IPCC Report 2018 also warned us that global warming will increase during the 21st century unless de-production in carbon dioxide and other greenhouse emissions occur in the coming decades.

The Paris Climate Agreement of 2015 was about limiting the rise in global temperature to well below 2 degrees Celsius. The Glasgow Agreement has gone a step ahead and has set an ambitious goal of reducing it to around 1.5 degrees Celsius, that is pre-industrial revolution levels.

Our hon. Prime Minister has made five important commitments in the Climate Summit. They are: India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030; India will fulfil 50 per cent of its energy requirements with renewable energy by 2030; India will reduce its carbon emissions by one billion tonnes by 2030; India will reduce carbon intensity of its economy by 45 per cent by 2030; and India will achieve net zero emissions by 2070.

‘Net zero’ is a balance between the amount of greenhouse gases produced and removed from the atmosphere.

All five commitments made by India are about mitigation aspects of climate change. The final commitment of achieving net zero by 2070 has received the most praise. The IPCC Report – 1.5 degrees Celsius is the first document that mentions about net zero emissions. The report explored and presented pathways for countries to limit the global average temperature increase within 1.5 degrees Celsius. One of the key insights from this Report is that the world needs to achieve this by 2050 to limit its temperature. Sir, I would like to ask what does it mean to achieve net zero emissions by 2070 for India.

According to the study conducted by the Council on Energy, Environment, and Water, India’s total installed solar power capacity needs to increase to 5,630 gigawatts by 2070 to achieve this net zero which we have made as a promise in the Summit to the world. But the Government in its reply to a question in the Lok Sabha on 2nd December, 2021, has said that only 46.25 gigawatt of grid-connected solar power has been installed in this

country. So, how are you going to achieve your target? I mean this is nothing compared to what we have promised to the world.

The usage of coal especially for power generation would need to peak by 2040 and drop by 99 per cent between 2040 and 2060. Further, crude oil consumption also has to peak by 2050 and fall substantially by 90 per cent. In the Paris Agreement, India committed to increase the share of non-fossil fuel resources to 40 per cent of the power generation capacity and reduce the emissions intensity of the economy by 30 to 35 per cent compared to the 2005 levels. To achieve our Paris pledge, we have to complete, at least, 175 gigawatt of renewable energy generation by 2022. But we have not even achieved two-thirds of what we have to achieve. So, how are you going to keep up the promise you have made to this world?

To achieve its new goals, India will need to do much more in a holistic way. For instance, our country has a target of achieving 40 gigawatt of green energy from the rooftop solar sectors by 2022. But so far, we have not been able to achieve even 20 per cent of that.

In the transport sector, India's target is that around 30 per cent of the share of the electric vehicles will be increased by 2030. But according to the Climate Action Tracker, to be compatible with the Paris Agreement, the share of EV sales needs to be between 95 to 100 per cent by 2040. Our target is 30 per cent but it has to be nearly 85 to 100 per cent. How are you going to bridge this gap?

The next major roadblock for India achieving its net zero emissions is India's increased reliance on coal for power generation. More than 52 per cent of India's energy needs are met by coal alone and more than 60 per cent are from fossil fuels. While in the past seven years, the country has invested Rs. 5.2 trillion in renewable energy but the investment in fossil fuel industry has come down only by four per cent which is around Rs. 245 trillion. So, how are you going to keep the promise you made to the world?

The coal production is estimated to increase by one billion tonnes by 2024 from 716 million tonnes in 2021. India has the second largest coal fired power plant pipeline in the world. According to the Central Electricity Authority, coal capacity is projected to increase from 202 gigawatt in 2021 to 266 gigawatt by 2029-30. The thermal power plants are not only a major source of carbon emissions, they also have other emissions like nitrous and sulphur oxide. India is the largest emitter of sulphur dioxide in the world. How are we going to reduce this? The Government initially had set a deadline for 2017 to instal flue gas desulfurization units that will cut sulphur dioxide in coal plants. But then, we have moved the deadlines for future. We did not do anything to cut the emissions. But the easiest thing to do was to move the deadlines from 2017 to a future date. The reason is cost. It is because private players and corporate companies do not want to pay that much to instal the desulfurization units to cut down the emissions and even the Government did not want to do it. But I would like to ask one question. Which is more important - human lives or the costs? It is very clear that the reliance on coal for energy in India will

continue and it will peak by 2040. But the Government is not honouring it. After that, demand for energy will fall and then only, you will be able to reach your net zero by 2070. You have not started honouring your commitments. You are just pushing deadlines. How will you achieve what you have promised to do?

Sir, everybody blames the developed nations and it is true that all of us are paying the price for what the developed nations did. Today, India wants to position itself as the voice of the developing nations and the third world countries. It is our duty to make sure that they have made a commitment of Rs. 100 billion dollars to combat climate change. What have we done to ensure that this commitment made by these nations is fulfilled?

Today, what we eat, how we travel, how we live, everything has an impact on environment. Who is making profits out of it? It is the big corporate companies. These corporate companies do not let justice be done to people. Their lobbies will not allow the Governments to make policy changes and they do not allow justice to be done to the people and we have examples like the Union Carbide plant. Even after 35 years of that incident, still people are seeking justice. The people have not got what they have to be given. The compensation has not been given to them and there is no clean up. Whatever was dumped there, it is still there. It is lying around. They have not cleaned up. Same thing has happened in Kodaikanal in Tamil Nadu. The Unilever which has dumped mercury is poisoning the forests for the past 14 years. The people who are working are facing the problems. The river water is so polluted. Are

they held accountable? No, they get away without any penalty. Without getting justice for the common people, what are we going to do? How are we going to keep the promises made to the world?

Sir, we talk about so many disasters. We talk about refugees around the world -- people who are affected because of political turmoil; because of religion; because of race and because of so many other reasons. But we forget to talk about climate refugees. These people are going to constitute the largest number of people in the future.

According to statistics, an average of 26 million people around the world have been forcibly displaced by floods, wind storms, earthquakes and droughts. This number of people, by 2050 will be increasing to 2 more million who will be forced to flee their home, the places where they live in; the places where they work; where their forefathers lived; where their children are supposed to live. They will have to leave these places and move and run as refugees because of climate change. Sadly, the Refugee Convention in 1951 did not talk about the climate refugees and we did not care about them then. We did not even know much about them then. But it is the responsibility of countries like India to make sure that these climate refugees are included and there is a definition for climate refugees so that their plight can be addressed and the world can be more sympathetic towards them.

In India itself, close to 1.5 million people are being displaced every year because of climate change and because of extremities which we face every year. This displacement of people does not affect just the people of our

country, but even neighbouring countries are going to be affected because of the rising water levels in the sea and if they are submerged, then people are going to come to our country and we will be affected. What is the plan? What is the policy? Does the Government have any clarity or idea? Have the Government thought how they are going to handle the people who are going to be internally displaced? Agriculture is going to be affected. People living in the coastal areas are going to be affected. The fishermen are going to be affected. Their livelihoods are going to be affected? How are we going to handle that? How are we going to handle people who would be coming from other nations into our country?

Sir, the hon. Members of this House must have seen as to what happened in many of the States in India. Recently, in the State of Tamil Nadu there has been 75 per cent rainfall. These extreme weather conditions are caused by erratic rainfall pattern. The impact of climate change cannot be ignored because they are overlapping. Cities and agricultural lands are being affected. Cities are being flooded. Does the Government have any plan about how we are going to deal with this problem in future? We have a problem; there is excessive rainfall. Chennai was flooded. My parliamentary constituency Thoothukuddi was flooded. We are struggling to drain the water out. I think, the Union Government has to have a clear plan on how we are going to deal with it. How future monsoons are going to be dealt with? Does the Government have any plan and clarity about it?

Sadly, Chennai is struggling with floods. Water has stagnated and does not have a way out to the sea. In spite of all that the Government intends to expand the port. The Government even proposes to close the Ennore Creek and the Kosasthalaiyar River Basin because they want to expand the port. What happens to the city and the people there? Should we all get drowned? That is the only thing which will happen if the Creek is closed.

We have to think about what is good in the long run, what is good for the people and not what is good for the corporates.

The Prime Minister's Council on Climate Change was constituted in 2007 and then it was reconstituted, like every organisation would be reconstituted, in 2014. The Prime Minister held the first meeting of the Council on 19th January, 2015. I would like to ask the Minister if the Council ever met after that or not. I have gone through the media news and other reports. There is no information of the Council meeting ever again. So, the Council did not meet after that, and the Prime Minister went to the Glasgow Summit on Climate Change. He made promises, he delivered a speech and said what the stand of the country is going to be. The Minister was also there.

If you had not consulted the Council, then why do you have it? You did not consult any of the States; you did not consult any of the Chief Ministers. Whatever promise you make, it is the State Governments which have to implement it. Without the support of the State Governments, nothing can move. This is a federal nation and it is called the Union of States. I hope the Government remembers that and it has to consult the States. It has to include

the States because we are the worst affected. When there is a flood, when farmers and people are affected, and when we ask the Central Government for funds, we get very little funds. If we ask for Rs. 4000 crores, not even Rs. 150 crores reach us. So, neither you help us by giving funds nor you consult us. I think it is very important to consult us.

Moreover, I would like to ask about the progress achieved through the National Action Plan on Climate Change. It was recently constituted. I would like to know what they have done. The Report of the Apex Committee for implementation of the Paris Agreement is also not available. We do not know what they have done and what they have achieved. It should be made available to the public so that they can understand what you have been doing and how you have been working.

On Atma Nirbhar..... (*Interruptions*) That is the problem. You do not understand that we speak different languages. Either it should be in English or you should have it in regional languages so that all of us can say it....

(*Interruptions*)

* All right. I will speak in Tamil from now onwards. You tell me whether you understand or not. For that, you are saying that we have to seek permission. That is the problem.

**English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

The stimulus package not only has no place for environmental safeguards but also it is actually ecologically very regressive. One would have thought that the increasing scientific evidence linking economic problems and livelihood and disease outbreaks to ecological devastation would prompt the Government, that proclaims itself to be sustainable, to put in place measures for conservation of natural eco systems and wildlife. This is totally missing from your vision.

We say 'Make in India'. I would rather say it as *Tharcharbu* India but we are waiting for technologies from developed nations for tackling climatic change problems. There is a lot of discussion about carbon capture, utilisation, storage, hydrogen cells, etc. I would like to know the stand of the Government on what it thinks about it. Do you think it is efficient, do you think that we can also include that or that we can think about it? Nobody knows what the Government thinks about it and whether it can be taken seriously or we are not going to include that in our Climate Policy. It is prohibitively very expensive. You are not doing anything to stop emissions. Sulphur oxide emissions are there in the coal factories. This is very prohibitive. So, under 'Make in India', why can we not think about technologies which will reduce emissions and protect our people?

India has not invested in policies to facilitate our Net Zero commitments to COP26. It has also not made the budgetary allocations necessary to execute our promise to Net Zero 2070.

The Union Government has actually reduced the budgetary allocation to the Environment Ministry. The Minister, I am sure, is well aware of it and he must have felt the pinch. It has been reduced by Rs.230 crore this year compared to the previous year.

In Glasgow Summit, our Environment Minister had said that climate finance is not charity. This is an obligation, responsibility, duty and a vow. I hope he reminds the Government and the Finance Ministry about this that it is not charity and it is a very, very important department and they have to allocate enough funds to protect our people and the country.

The economic development and environmental conservation do not have to be on opposite sides. There are many models in front of us which can ensure both development and conservation. But we have to listen and we should believe in consultation. We should consult the experts, scientists and people who have been working at the grass-root level.

I think climate literacy is very important. Not just for students, I think the for politicians, for public representatives, for the officers, whoever is involved in policy making and will be policy makers of the future, they have to have climate literacy and they should understand that it is very important to protect this world.

The Governments needs to formulate a policy on climate change mitigation and adaptation with adequate investment in research and development. It is imperative that the Central Government holds the

consultations with all the State Governments, environmentalists, activists and people who have been working towards combating climate change.

I would like to conclude by quoting Mr. Jay Inslee, 23rd Governor of Washington: “We are the first generation to feel the sting of climate change and we are the last generation that can do something about it”. So, let us do something about it together. We are not here to say that you are in the Treasury and we are in the Opposition. Nobody can be above the criticism. We accept that. I think that we have to come together to protect and do something about climate change. That is the only true gift we can give to the next generation. Thank you. *

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आसन से जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो रूलिंग दी है, उसके लिए संसद ही नहीं, बल्कि पूरा देश उनका आभारी है। साथ में, उन्होंने यह भी कहा था कि हम अपने क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, अगर इसके बारे में माननीय सांसद बताएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा।

मुझसे पहले जो वक्ता बोल रही थीं, तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में जितने प्रश्न लिखे हुए हैं, उनके उत्तर प्रश्न थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया, प्रदेश में क्या किया? वह खुद ही कह रही थीं कि हम बिना प्रदेश के सहयोग के चल नहीं सकते हैं, प्रदेशों को हर हालत में काम करना होगा, प्रदेश के साथ ही काम करना होगा, लेकिन प्रदेश ने क्या किया, वह उसके बारे में भी हम लोगों का ज्ञानवर्धन करतीं, तो हम लोगों को भी अपने प्रदेशों में उसे लागू करने का मौका मिलता। उन्हीं का प्रदेश है, उन्हीं का शहर है, जहां पर ग्राउंड वाटर जीरो हो गया है। जिस तरह से लोग हिमालय टेरेन में परेशान रहते हैं, उसी तरह से समुद्र के किनारे भी लोग बाढ़ से परेशान रहने लगे हैं।... (व्यवधान) अगर आप वह बता देतीं, तो वह बहुत अच्छा रहता। आपके बगल में महिला मित्र कमेंट कर रही थीं, अगर वह भी बतातीं, तो और अच्छा रहता।

भारत क्या कर रहा है, इसके बारे में इन्होंने बहुत प्रश्न पूछे हैं। अगर इसका हम बहुत छोटे में जवाब दें, तो कॉप-26 कॉन्फ्रेंस में मैं खुद युनाइटेड नेशन्स के ऑब्जर्वर की हैसियत से वहां गया था। राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक हो रही थी, उसमें भी मैं शामिल था। राष्ट्राध्यक्षों के उस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन भी मौजूद थे, यूरोपियन यूनियन की सम्माननीय अध्यक्षा भी मौजूद थीं। इसके अलावा अन्य देशों के अध्यक्ष भी थे और साथ में बहुत सारे एनर्जी मिनिस्टर्स भी थे। उस मंच से ब्रिटेन के माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं - "There is one Sun, one world, one grid and one Narendra Modi". मुझे लगता है कि माननीय सदस्या के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए यही काफी है।

सभापति महोदय, हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील हैं । हम इतने संवेदनशील आज से नहीं हैं, बल्कि हजारों वर्षों से उसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं । हमने हमेशा पृथ्वी को अपनी माता का स्थान दिया है । हमारे वेदों में भी कहा गया है कि 'हे पृथ्वी माता, आप हमें हमेशा कामधेनु की तरह दूध दो, पर हम आपका इतना भी दोहन न करें कि आप बीमार पड़ जाओ' । आज कहीं न कहीं पृथ्वी बीमार पड़ गई है । मैं जब छोटा बच्चा था, तो मुझे जो चीज़ सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, उसमें से एक थी, जब मेरे यहां खेतों से व्यक्ति और अन्य लोग आते थे । वे लोग धोती-कुर्ते में आते थे और पढ़े-लिखे भी नहीं होते थे । वे अपनी लोकल भाषा में कहते थे कि आज तो काम करना है, क्योंकि कल हथिया नक्षत्र है, बहुत पानी बरसने जा रहा है ।

हम सोचते थे कि इतना अच्छी तरह सूरज उगा हुआ है, यह क्यों बारिश की बात कर रहा है । अगले दिन जमकर बारिश हो जाती थी । अर्थात् हमारे पास सैकड़ों सालों का जो पुरातन एक्सपीरिएंस था, उस कारण सब लोग जानते थे कि कब बारिश होनी है, कब हमें बुआई करनी है और कब कटाई करनी है । यह प्रक्रिया अनवरत चली आती थी और सभी लोग इस बात को जानते थे । लेकिन समय के साथ आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ बदल गया है । आज तो आईएमडी जो कहता है, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, जबकि हम इतनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ हैं ।

मैं हिमालय की तलहटी के क्षेत्र से आता हूं । मैंने देखा कि मई में, जब लू चलने का सीज़न था, तब भी हमारे यहां बाढ़ आई और अक्टूबर में दशहरा के समय, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय भी ऐसा ही हुआ । हर महीने हिमालय पर लगातार अनसीजनल रेन हो रही है । हमारे यहां के किसानों ने चार बार बोआई की और चारों बार बीज बह गया । अतः यह जो जलवायु परिवर्तन है, यह बहुत सीरियस इश्यू है । इस पर हम लोगों को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा ।

मुझसे पहले माननीय नेत्री कह रही थीं कि सभी को साथ मिलकर काम करना होगा, बिल्कुल हमें मिलकर काम करना पड़ेगा । हम इस दुनिया के सबसे वलनिरैबल देशों में से एक हैं । अगर क्लाइमेट रिफ्यूजी की बात हो रही है, तो हमें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि

हमारे पास तीन प्रतिशत जमीन है, तीन प्रतिशत स्वच्छ जल है और हम दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी का पालन-पोषण और सब कुछ कर रहे हैं ।

अगर मानसून का 20-25 परसेंट भी डेविएशन होता है, तो यह पूरे भारत की कृषि व्यवस्था के लिए बहुत ही खराब होगा । अगर पिछले वर्षों की बात करें, तो कोरोना के विपरीत काल में भी हमारे पास जो कृषि आधारित धन था, उसी से हमने काम किया । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि दुनिया के किसी देश ने जो नहीं किया, वह उन्होंने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो सालों तक गरीबों को मुफ्त अनाज देकर किया । 80 करोड़ जनता को अनाज देने का जो काम किया है, वह बताता है कि हम हर कार्य के लिए, दूसरों की चिंता करने के लिए, गरीबों की चिंता करने के लिए कितने ज्यादा संवेदनशील हैं ।

15.58 hrs

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

माननीय सभापति महोदया, अगर हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले जलवायु के बारे में अगर किसी ने चिंता की थी, तो वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे । उन्होंने आज से 80 साल पहले कहा था - “This world has enough for everyone’s need, but it does not have enough for everyone’s greed.” अर्थात्, धरती इंसानों की जरूरत की आसानी से भरपाई कर सकती है, लेकिन हम इंसानों के लालच की वह भरपाई नहीं कर सकती है । महात्मा गांधी जी के इस आदर्श सूत्र को ध्यान में रखते हुए अगर भारत में किसी सरकार ने पहली बार जलवायु परिवर्तन पर सीरियसली काम किया था, तो वह गुजरात की सरकार थी, जो वर्ष 2002 से 2010 के बीच तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो प्रदेश में कार्य किया था, अगर वह भी उन लोगों ने देख लिया होता, तो उन्हें समझ में आता कि प्रदेश क्या-क्या कर सकते हैं ।

16.00 hrs

सभापति महोदया, यदि हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले जलवायु के बारे में किसी ने चिंता की थी तो वे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे । उन्होंने आज से 80 साल पहले कहा था कि This world has enough for everyone's need but it does not have enough for everyone's greed. अर्थात् धरती इंसानों की जरूरत की भरपाई आसानी से कर सकती है, लेकिन हम इंसानों के लालच की भरपाई वह नहीं कर सकती है । महात्मा गांधी जी के इस आदर्श सूत्र को ध्यान में रखते हुए यदि भारत में किसी सरकार ने पहली बार जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से काम किया था, तो वह गुजरात की सरकार है । वर्ष 2002 से 2010 के बीच तत्कालीन मुख्य मंत्री और आज के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जो प्रदेश में कार्य किया था, यदि वह भी उन लोगों ने देख लिया होता, तो उन्हें समझ में आता कि प्रदेश क्या-क्या कर सकते हैं । वर्ष 2002 से 2010 के बीच में भारत सरकार की अपनी कोई निश्चित नीति नहीं थी कि हम जलवायु परिवर्तन पर कैसे काम करें । उस समय भी गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वाटर ग्रिड बनाकर जहां कम पानी के क्षेत्र थे, वहां ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों से पानी पहुंचाने का काम किया और इतना ही नहीं इसके अलावा उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग हटाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेगर ट्रांसिट सिस्टम का काम भी गुजरात के मुख्य मंत्री जी ने किया था । इसके अलावा वर्ष 2002 में सोलर और विंड एनर्जी में गुजरात की क्षमता केवल 11.95 मेगावाट थी । वर्ष 2010 में गुजरात की क्षमता 1865 मेगावाट की हो गई और इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं था, जिस बात को यहां बार-बार कहा जा रहा है । उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए कामों को उन्होंने किताब के रूप में रखा था, जिसका नाम 'Convenient Action' था । इस किताब में उन्होंने तब लिखा था क्लाइमेट चेंज कोई पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है । मिस्टर स्टीव हॉवर्ड जो लंदन के क्लाइमेट ग्रुप के सीईओ और बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद् हैं, उन्होंने इस पुस्तक को फॉरवर्ड करते हुए उस समय के मुख्य मंत्री मोदी जी की तारीफ की थी ।

Steve Howard said:

“It is remarkable to know that as early as 2010, when climate change did not even dominate the national debate, somebody was thinking of it.”

यह प्रदेश कर सकते हैं, केवल यह बात रखने से काम नहीं होता है । उस समय हम भी लोक सभा में मौजूद थे और आज केंद्र सरकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं उस समय एस्टीमेट कमेटी का सदस्य था और कांग्रेस के भी हमारे बहुत मित्र सदस्य थे । सभी ने मिलकर एस्टीमेट कमेटी में एक प्रस्ताव पास किया था कि वन परसेंट प्लान्ड बजट को हम सोलर और रिन्युएबल एनर्जी के लिए देना चाहते हैं । क्लाइमेट चेंज विषय पर पार्लियामेंट का हमारा एक ग्रुप है, हम उस समय के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह से भी मिले थे । उन्होंने हमें कहा कि यह मुद्दा हमारे हृदय से जुड़ा मुद्दा है लेकिन भारत के प्लान्ड बजट का एक प्रतिशत रिन्युएबल को तभी मिल सका जब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी इस देश के प्रधान मंत्री बने । इतना ही नहीं, इससे भी आश्चर्य यह है कि बहुत सारे मिशनस यूपीए सरकार के समय भी आए थे, लेकिन फिर भी ये अपनी तारीफ करेंगे । मैंने लोक सभा में प्रश्न पूछा था कि आपने जो सब्सिडी दी है, वह गुजरात राज्य सरकार को क्यों नहीं दी है । इसी लोक सभा में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वे इस समय भी सदस्य हैं, लेकिन यहां मौजूद नहीं हैं । उन्होंने जवाब दिया कि गुजरात ने हमसे पहले योजना शुरू कर दी, इसलिए सब्सिडी नहीं देंगे । जब आज वे उधर हैं तो इस तरह की बात आज कोओपरेटिव फैइलिज्म के लिए करती हैं ।

सभापति महोदया, आज हम हर कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं । यह देश डिटरमाइन्ड है कि हम पर्यावरण के लिए बहुत ही चिंतित हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट को किसी ने लेटर एंड स्प्रिट में लागू किया है, तो वह केवल और केवल भारत है । हमने अपने जो एनडीसीज दिए थे, उसे हम लगातार पूरा कर रहे हैं और कोई दूसरा देश इस कार्य

को नहीं कर रहा है । इतना ही नहीं जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें टॉप-10 में लगातार पिछले तीन सालों से भारत है । इसके वन, टू, थ्री में कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो इतना अच्छा काम कर सके और जो बाकी छह देश हैं, मेरे बिहार की आबादी के बराबर उन छह देशों की आबादी नहीं है, फिर भी हम हमेशा उसमें शामिल रहते हैं ।

सभापति महोदया, स्वस्थ शरीर के लिए जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने योग का मंत्र पूरी दुनिया को दिया, उसे ग्रहण करते हुए 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है । ठीक वैसे ही कॉप-26 में भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाइफ का मंत्र दिया है, अर्थात् लाइफ स्टाइल फॉर इनवायरमेंट । इसका ध्यान जब तक प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति नहीं रखेगा, तब तक हम पर्यावरण में वह सब-कुछ नहीं कर पाएंगे, जो हम करना चाहते हैं । किसी समय हमारी हिंदू संस्कृति को बहुत अजीब ढंग से देखा जाता था । लोग कहते थे कि भारत जाइए तो आप देखेंगे कि ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं और नदियों की पूजा करते हैं । पूरी दुनिया के लिए यह एक कौतूहल का विषय था । आज पूरी दुनिया यह समझ चुकी है कि अगर हम इन सभी चीजों को पूजनीय नहीं बनाएंगे, तो यह पृथ्वी बचने नहीं पाएगी । आज हर व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार बैठा हुआ है ।

“माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या”

इसका मतलब यह है कि पृथ्वी हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ । यही माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है और इसी के तहत हम लोग ‘मनरेगा’ से पौधरोपण, तालाबों का निर्माण, जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट एवं जैविक कूड़े से कम्पोस्ट खाद बनाने से लेकर ‘नमामि गंगे’ परियोजना में हजारों करोड़ रुपये पर्यावरण को बचाने के लिए खर्च कर रहे हैं । आज भारत सरकार की नीतियों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी, एथेनॉल मिश्रण, सोलर पीवी और बैटरी निर्माण के लिए पीएलआई, पेट्रोलियम में भारत का स्टेज-4 से सीधे स्टेज-6 पर जाना वर्ष-2030 तक भारतीय रेल को नेट-जीरो का लक्ष्य रखना जैसी योजनाओं में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा

है । इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि यह हमारे लिए विकास और रोजगार का रास्ता भी खोलेगा ।

महोदया, कॉप-26 में भारत और ब्रिटेन ने 'ग्रीन ग्रिड इनीशिएटिव', 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' की घोषणा पूरी दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए की है, जो न केवल दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि हमारे लिए रोजगार के अवसर देगा । पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां पूरा देश एक ग्रिड की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है । हम सीधे कहीं से कहीं स्विच ओवर कर सकते हैं । पूरी दुनिया में यह किसी दूसरे देश के पास नहीं है । जब हम "OSOWOG" की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जब यह ग्रिड बनेगा तो इससे बहुतों को रोजगार मिलेगा और यह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाकर पूरे विश्व में एक हस्ती बनाने का काम करेगा । इंग्लैंड ने भी अपनी तरफ से जो जीजीआई "green grid initiative" जोड़ा है, वह भी उनका शब्द नहीं है । वर्ष-2015 क्लाइमेट पार्लियामेंट, शंघाई की मीटिंग में हम लोगों ने "green grid initiative" को पूरे विश्व के सामने रखा था । कॉप-26 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों की हेल्प ली थी और हम लोगों ने इस पर लगातार काम किया था । यह एक सिम्पल-सी योजना है । अगर हम चाइना के मरुस्थल से थार होते हुए, मोरक्को के मरुस्थल तक एक डीसी ग्रिड बना दें तो हम सोलर से ही इन तीनों महाद्वीपों का हमेशा के लिए विद्युतीकरण कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन इलाकों में 24 घंटे सूरज जरूर मौजूद रहेगा और इससे हम तीनों महाद्वीपों को बिजली दे सकते हैं ।

महोदया, "green grid initiative" कहीं न कहीं हमारी ही देन है और मैं माननीय मंत्री जी, जो कॉप-26 को भारत की तरफ से चेयर भी कर रहे थे, का ध्यान एक बात की ओर जरूर दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने अप्रैल में इस बात की घोषणा कर दी थी कि दोनों देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स मिलकर एक संयुक्त डिक्लेरेशन देंगे और हम दुनिया के सभी एनर्जी मिनिस्टर्स को उस मीटिंग में बुलाएंगे, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री जी "green grid initiative" और "OSOWOG" की घोषणा करेंगे । आखिर यह लेटर क्यों 15 सितम्बर तक पहुंच पाया?,

इसमें पांच-छः महीने की देरी क्यों हुई? यही वजह थी कि इसके कारण बहुत सारे एनर्जी मिनिस्टर्स चाहते हुए भी नहीं पहुंच सके । अतः इस पर जरूर चिंतन होना चाहिए । मैं माननीय भूपेंद्र जी का बहुत-बहुत आभारी हूं । मैं लगातार पूरे कॉप को फॉलो कर रहा था । विकसित देश अड़े हुए थे कि हम फॉसिल फ्यूल को फेजआउट करेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, फेजआउट नहीं, बल्कि फेजआउट शब्द का प्रयोग होगा, वह यह बात बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत अपने विकास को लेकर किसी से भी समझौता नहीं कर सकता है । हम तीन बहुत-बड़े काम करने में सफल हो पाए हैं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो पंचामृत की घोषणा की है और भारत ने जो लक्ष्य रखा है, वह अपने-आप में ऐतिहासिक है । उन्होंने कहा था कि मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं । पंचामृत की सौगात देना चाहता हूँ । पहला, भारत वर्ष 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुँचायेगा । दूसरा, भारत वर्ष 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा । तीसरा, भारत अब से लेकर वर्ष 2030 के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में एक अरब टन की कमी करेगा । चौथा, वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45 प्रतिशत से भी कम करेगा और पाँचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा । यह पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत का था ।

दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था, वह माननीय प्रधान मंत्री जी का यह दुनिया को बताना कि आपने वर्ष 2009 में 100 बिलियन डॉलर का वादा किया था और आज भी आप वर्ष 2025 की बात कर रहे हैं । यह विकासशील देशों के प्रति अन्याय है और आपको हर हालत में यह तो करना ही चाहिए, बल्कि उन्होंने वन ट्रिलियन डॉलर की बात की थी । हमारा आज भी 5 प्रतिशत हिस्सा ही कार्बन उत्सर्जन में है । जिन्होंने 60 प्रतिशत खर्च किया, यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस आदि देशों ने, इनको इसके लिए आज जो विकासशील देश हैं, उनको हर हालत में मदद करनी ही चाहिए । तीसरा, जो सबसे बड़ा कॉप 26 का निर्णय हुआ, आखिरी दिन फॉसिल फ्यूल को फेजआउट करने की जो एक साजिश थी, वे लोग तो अपनी पूरी एनर्जी बना चुके हैं, आज उन्हें

एक्सट्रा की जरूरत ही नहीं है । जितनी बिजली आज अमेरिका में है, जितने बल्ब जलते हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, उससे ज्यादा वे क्या बना पाएंगे, लेकिन हम विकासशील देश हैं । हम आज गति शक्ति के माध्यम से एक लाख किलोमीटर से बढ़कर दो लाख किलोमीटर सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं । हम अपनी विभिन्न योजनाओं में विकास की बात कर रहे हैं । हमें अपनी जरूरत है । मैं माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी को धन्यवाद दूँगा कि विकसित देशों के प्रेशर के आगे नहीं झुकते हुए उन्होंने जो फेजडाउन की बात की, उसने पूरे के पूरे विकासशील देशों के ब्लॉक में पूरी दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया । हमने वैश्विक पटल पर यह साफ संदेश दिया कि हम एक तरफ तो जो हमारे एनडीसीज हैं, हम पेरिस एग्रीमेंट के एक-एक एनडीसीज को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, हम पर्यावरण के लिए सबसे ईमानदार देश हैं, पर हम अपने देश के विकास के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे । इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ । आज दुनिया के सारे विकासशील देश ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की ही बात दोहरा रहे हैं कि 'One Sun, One World, One Grid, and only One Modi'.

महोदया, हम जितने संवेदनशील हैं कि दो डिग्री सेल्सियस से कम ग्लोबल वार्मिंग का तापमान है । ये दुनिया में भारत के ही नेतृत्व में सक्षम हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं, क्योंकि मुझको पूरा विश्वास है कि 'मोदी है तो मुमकिन है' और इसलिए हम अपने सभी विकास को करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने में जरूर सफल होंगे ।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, climate change has become a household term, not only in the country but also across the world. It is because now, each and every nook and corner of the globe has been affected by climate change or climate warming.

Climate change refers to the change of composition of the atmosphere which is attributable by the direct and indirect intervention of human beings. That is why, it is the people of the globe who are responsible for this kind of nemesis under the rubric of climate change. Nature does not do any bail-outs; that is why, no one on the globe, no one under the Sun is spared from the onslaught of nature's fury and frenzy.

Simply, nature has been committing its retributive action against us because we have never given the due importance to the nature which has given birth to all of us, and that is why, we are all suffering. So, the time has come to have a deep introspection by all of us without exchanging credits and discredits because you know that you can easily measure the Gross National Product by applying a few parameters. It is a very simple thing and could be done in a short moment. But how can you measure the sustenance of our life? Do you have any parameters of it to measure the life to be sustainable, to be worthwhile? No.

Everybody knows the Greenhouse gases, that is, carbon dioxide, in addition to other gases also. It is the most potential source of global warming and pollution. It is invisible. It is tasteless. It is odourless and it is largely

invisible to the market calculation also. And, whichever is beyond the market calculation, it always treated it indifferently. This is the problem of the globe. This is the problem of the humanity. Right now, it is much easier for the Government machinery and the rest of us to pretend that it does not exist. Yes, we can easily pretend that it does not exist but by pretending this, willy-nilly, we are destroying the inhabitability of the planet. There lies the crux of the problem.

Each and every day, we are putting more than a billion tonnes of carbon dioxide in the atmosphere. India, in the year 2019, had emitted 2.96 billion tonnes. By 2030, it is estimated to emit 4.5 billion tonnes. The crude reality is that we are treating the earth as if it is a business in liquidation. So, we are playing ducks and drakes with our own existence. Again, there lies the problem of humanity in the globe.

According to the IPCC, yes, the average global temperature is estimated to have increased by 0.85 Celsius between 1880 and 2012. In 2013, the IPCC had estimated that the global temperature is likely to increase by at least 1.5 centigrade as compared to the pre-industrial level, that is, 1850 to 1900, by the end of the 21st century.

However, in August 2021, the IPCC estimated that 1.5 degree centigrade increase may happen much earlier by 2040. This could lead to a reduction of the snow cover, increasing heatwave, extreme precipitation, and intensification of tropical cyclone and increase in sea level.

Our Minister, Shri Bhupender Yadav ji, recently joined the COP26 global initiative, where 197 countries have participated. We must know that India is already feeling the heat and impact of climate change. Heat waves are becoming more common and severe with many cities reporting temperatures as high as 48 degree Celsius in 2020. Heavy rain events have increased three-fold since 1950. But total precipitation is declining.

A billion people in India currently face severe water scarcity for at least one month of the year. Rising sea levels are also creating risks as a third of India's population live along the coasts where the north Indian ocean has risen by an average of 3.2 millimetre per year over the last two decades. The alarming signs are already in sight.

The economic costs of climate impact in India are already immense. In 2020, a single event, cyclone Amphan has ravaged the entire Bengal, affected 13 million people and caused over \$13 billion in damage after it made landfall. Declining agriculture productivity, rising sea level and negative health outcomes were forecast to cost India 3 per cent of gross domestic product at one degree Celsius of global warming.

Low income and other marginalised groups are most vulnerable to the impacts of climate change. Lower carbon development could yield initial benefits such as cleaner air, greater energy security, and rapid job creation. We all know the impacts of climate change across the globe. India spans a wide range of climate. In parts of Jammu and Kashmir the annual average temperature is an icy 2 degree Celsius and temperature in the mountains can

fall as low as -45 degree Celsius. The Himalayas shields most of the country from the cold winds of Central Asia. So, the average temperature in some of the southern States is a balmy 29 degree Celsius.

The amount and frequency of rainfall across the country equally varies. Parts of Meghalaya receive over 4000 millimetre of rain a year and parts of the Thar deserts receive less than 100 millimetres of rain, recorded in 2017. The southwest monsoon – June to September – brings the majority of the country's rainfall while the northeast monsoon – October to December – plays an important role in supplying southern India.

The country's coastline of over 7500 kilometres also influences local climate patterns. Taken together India's size and topography create a wide range of ecological zones including the Alpine ecosystem, arid and semi-arid deserts, humid sub-tropical landscape, and both wet and dry tropics. The country's immense climatic and geographic diversities is key to making sense of the diverse climate change impacts different regions are experiencing.

Recently published data suggests that the average temperature across India increased by 0.62 degree Celsius over the last 100 years. Temperatures are therefore rising at a slower rate than the global average, but the impacts are nonetheless being felt. The reason is that as the economy has been globalised, the climate is also being globalised. Any incident which may take place anywhere in the world will certainly have a cascading effect on us. It may be in the field of economy, climate or any other field. Now, we should ponder over what is to be done in an effective manner so as to mitigate the fury and

frenzy of climate change. It is not the time to pass the buck on each other; it is the time to sit together, it is the time to think together, and it is the time to ponder over together. I would suggest that we should think globally, but act locally. That would be the most effective measure right now which we can adopt.

Under the United Nations Framework Convention on Climate Change, COP-26 Summit was held in Glasgow. Our Sanjay Agarwalji also visited Glasgow. He was very effusive in praising our Prime Minister, Modiji. He has every right to praise him, but the fact is that I do not know whether his 'Panchamarit' will solve the problem of the world. We had got one *amrit* and thought that it was nectar, it was elixir. The first elixir we had got was *notebandi*. The second elixir we had got was GST. The third elixir we had got was lockdown. We do not need any more elixir or nectar, before being too cautious.

Let me come to India's position at COP-26. India has the lowest *per capita* emissions among the major economies of the world with contribution of only five per cent to total emissions despite accounting for around 17 per cent of global population. At present, India is the fourth largest carbon emitter after China, the USA and the EU.

Delivering the national statement at COP-26 Summit, the Prime Minister Narendra Modiji announced a 5-Point Action Plan, 'Panchamrit', to underline India's commitment to containing climate action. Certainly, he has contributed something more tangible. I do not have any dispute about it, but we have to

think reasonably and judiciously. Otherwise, it may go astray. The first of the 'Panchamrit' is that India will increase its share of non-fossil fuel energy capacity, renewable energy to 500 GW by 2030. The country will meet 50 per cent of its total energy requirements from clean, renewable energy by 2030. India will reduce by one billion tonnes of carbon emissions equivalent of greenhouse gases from total projected carbon emissions from now till 2030. By 2030, the country will reduce the carbon intensity, carbon emissions per unit of gross domestic product, of its economy by 45 per cent from 2005 levels. By the year 2070, India will achieve the target of net zero emission. It refers to a balance where the emission of greenhouse gases is offset by absorption of an equivalent amount from the atmosphere. This is the first step. This is the first time that India has committed to net zero emission to become a carbon neutral country. So what? It has been committed only. But how will it be realised? In the Paris Agreement you have committed to do it by 2050 but now you are committing to do it by 2070. However, this is the first time India has committed to net zero emission to become a carbon neutral country. But how is it possible? What is your roadmap? How much fund do you require? These are all the aspects that need to be elaborated. We should not take it as a matter of right in so far as climate change is concerned. Otherwise, we all will be deceiving ourselves because the ultimate sufferers will be the people of our country, the people of the globe.

Glasgow Pact has some salient features also. I will highlight some of them. The first is adaptation. Glasgow Pact has created a two-year Glasgow-Sharm el-Sheikh Work Programme to define the global goal on adaptation. It is very good. It called for developed countries to, at least, double their 2019 levels of adaptation financed by 2025. Adaptation finance lags behind finance for mitigation representing roughly 25 per cent of total climate finance in 2019. This is the first time an adaptation specific financing goal has ever been agreed globally. It has been agreed globally.

Now, I will come to mitigation part of Glasgow Agreement. It called upon countries to scale up their 2030 climate action plan for NDC (Nationally Determined Contribution) by COP27 next year. It asked countries to accelerate shift of fossil fuel and coal to renewable energy.

Sanjay Jaiswal Ji, you are saying that India took the lead. But no, it is not right. After objection by India, China, Iran, Venezuela, Cuba and other developing countries, the amended paragraph asked for all countries to escalate a force towards the phase-down instead of earlier phase-out.

डॉ. संजय जायसवाल: आपने बोला कि इंडिया ने नहीं किया । ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सिर्फ इंडिया की बात नहीं है । देखिए, चाइना ने क्या किया? चाइना ने Common But Differentiated Responsibilities and respective capabilities की बात कही है । इसमें आपकी सरकार का रवैया क्या है? वह तो जानते ही नहीं हैं । मैंने कहा कि सिर्फ इंडिया ने नहीं किया । यह फेज़ डाउन का मसला अनअबेटेड कोल पर... (व्यवधान)

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE,
AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER**

YADAV): Adhir Ranjan Ji, CBDR (Common But Differentiated Responsibilities) is a principle which is accepted in the Paris Agreement by all the countries. We all agree to go for the mitigation about the global warming and that is our common aim but differentiated responsibility according to the national circumstances.

श्री अधीर रंजन चौधरी: भूपेन्द्र जी, मैं यह कह रहा हूँ कि अभी तक इसमें स्पष्टीकरण नहीं है । चाइना ने इसमें ज्यादा तर्क किया है ।

श्री भूपेन्द्र यादव: मैं आपको विषय नहीं कहना चाहता हूँ । वह केवल चाइना का विषय नहीं है । सीबीडीआर पूरी दुनिया ने समग्रता के साथ पेरिस में स्वीकार किया था और बाकी पेरिस के बाद जितनी भी जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं हुई हैं, उसमें सीबीडीआर प्रिंसिपल को माना ही जाता है । यह सबके लिए स्वीकार्य है ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं माना । ये एनडीसी की बात कह रहे थे, सीबीडीआर की बात नहीं कह रहे थे । मैंने कहा कि यह भी एक मुद्दा है, जिसे चाइना ने उठाया । आपने माना या नहीं माना, मैंने यह मुद्दा नहीं उठाया । मैं कह रहा हूँ कि जो फेज़ डाउन का मुद्दा है, वह सिर्फ हिंदुस्तान ने ही नहीं उठाया । इंडिया के साथ, चाइना, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी ऐसा किया है, मैं यही कह रहा हूँ । हर चीज में ढिंढोरा पीटने का एक काम बन गया है । ढिंढोरा पीटते-पीटते कब खुद को पीटने लगेंगे, पता नहीं है । आपने ग्लासगो में बैठते हुए फेज़ डाउन के बारे में एक्सप्रेसशंस दिए हैं ।

फेसडाउन ऑफ़ अनएबेटेड कोल, मैंने पढ़ा है । यह भी कंट्रोवर्शियल है । आप यह नहीं कह सकते कि हमने दुनिया को कोई राह दिखाई है । ऐसी भी कंट्रोवर्सी है । अगर फेस डाउन ही करना है तो मकसद क्या पूरा होगा? यह भी चर्चा है । बहुत देशों ने इस विषय पर आपत्ति भी

जताई है । अगर फेस आउट के बदल फेस डाउन करने में और वह भी वर्ष 2070 तक, तब तक क्या बचेगा? यह भी तर्क है । आप मानें या न मानें, हमारे देश की जानी मानी हस्ती, **Shyam Saran, former Foreign Secretary and senior fellow at Centre for Policy Research** says, “India's intervention to get the language on coal watered down might have been a misstep.” यह भी तर्क है । यह श्याम सरण जी ने भी कहा है । मैं तर्क के मुद्दे पर कह रहा हूँ । Further, at COP, these facts were also put. “Phase-down of Unabated coal power and ‘phase out’ of inefficient fossil fuel subsidies while providing targeted support to the poorest and most vulnerable in line with national circumstances.” यह पहला कदम है । This was the first time that cutting down on coal consumption was explicitly mentioned in a COP text. यह भी सही है । “Committed to halting and reversing deforestation, speeding up to switch to electric vehicles and reducing methane emissions; launched a work programme to enhance mitigation ambition and implementation, and convening of annual high level Ministerial meetings; preparation of annual synthesis reports to provide latest information on progress of countries on NDCs and long-term strategies for mid-century low greenhouse gas emissions.”

इसके बाद तो मैंने एडॉप्शन के बारे में पढ़ दिया । मिटिगेशन आ गया अब फाइनेंस आ गया । The developed countries had promised in 2009 to mobilize at least USD 100 billion of climate finance every year from 2020 to 2025 for developing countries. I do not know what is the fate of it. The developed countries now affirmed that this climate finance goal will be met in 2023. So, it is a very positive stand if it is rightly adopted. I must say that. the Glasgow Agreement

asked the parties to initiate the process of setting the new climate finance target beyond USD 100 billion for the post-2025 period.

Now, I talk about Paris Rulebook. COP26 finalized the 'Paris Rulebook' by resolving the key outstanding political decisions needed for parties to fully operationalize the Paris Agreement provisions at COP26. वहां इतने विषय रखे गए । यह कहते हैं कि पहले कुछ नहीं किया गया । जो कहते हैं पहले कुछ नहीं किया, सिर्फ मोदी जी ने ही देश के लिए सब कुछ किया, उनके सामने मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं । Addressing climate change as one of the key national priorities, India launched its National Action Plan on Climate Change in 2008 with eight National Missions which are - National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission on Sustaining Himalayan Eco-system, National Mission for a Green India, National Mission on Sustainable Agriculture, and National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change.

इसके बाद और स्टैप ग्लासगो में लिया गया, यह मैं संजय जी को बता रहा हूं । At the COP26, India and the United Kingdom launched a new initiative - Infrastructure for Resilient Island States. और भी लिया गया ।

डॉ. संजय जायसवाल : गुजरात को पैसे केवल इसलिए नहीं दिए जा रहे थे कि उन्होंने पहले क्यों शुरू कर दिया । यही तो मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं । ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सारे मोदी जी के कॉप्स हो रहे हैं । मोदी जी ढिंढोरा पीटने में माहिर हैं, सब जानते हैं । ... (व्यवधान) आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो और ढिंढोरा पीटने चले जाएंगे, यह भी हम जानते हैं ।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मोदी जी काम करने में माहिर हैं, डिंडोरा आप पीटते हैं । मोदी जी काम करने में माहिर हैं ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अभी देखकर बता रहे हैं कि आप कैसे काम कर रहे हैं । आपको धैर्य नहीं हुआ । अभी बता रहे हैं कि कैसे काम कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए । ... (व्यवधान)
मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ ।

मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप कैसा काम कर रहे हैं । ... (व्यवधान) आपको तो धैर्य नहीं है । मैं अभी आपको बता रहा हूँ । एक मिनट रुकिए । हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं । ... (व्यवधान) India launched an ambitious initiative -- One Sun, One World, One Grid during the COP26 along with the Green Grids Initiative of the United Kingdom. मैंने मान लिया कि आपने किसी के साथ चलना चाहा । यह अच्छी बात है । यह क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल फिनामिना है, हम इससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं । हम सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा । यह अच्छी बात है । मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ । अर्जुन मेघवाल जी, आप थोड़ा गौर से सुनिए । Climate change is the most under-reported failure of the Modi Government. The assault on climate began as soon as the Modi Government took over in 2014. कैसे ? In June 2014, मतलब, जिस साल मोदी जी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री बने, the Environment Ministry used a bureaucratic shortcoming to remove the ban on setting up of factories in eight critically-polluted industrial belts.

Secondly, environment clearances were eased to allow mid-sized polluting industries to operate within five kilometres of eco-sensitive areas as against the earlier limit of 10 kilometres. Norms for coal tar processing, sand mining, and paper pulp industries were also eased.

In August 2014, the number of Independent Members in the National Board for Wildlife (NBWL) was reduced from 15 to just three. More Government Members in this Board meant more Government influence -- a decision that many say was key to the environmental damage that was to follow. The new NBWL was a mere puppet of the Government. Five years later, we saw the result that NBWL approved 99.82 per cent of all industrial projects giving them environmental clearance. A total of 682 projects were allowed from the 687 projects it had to examine. In contrast, under the UPA-II, ... (*Interruptions*) यूपीए-2 की बात करते हैं, only 80 per cent of the projects got clearance -- 260 were allowed out of 328 projects. सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भूपेन्द्र यादव जी की काबिलियत पर जरा सा भी शक नहीं है । लेकिन, वे इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? इस बारे में मुझे जरूर शंका है । क्योंकि, दावे को छोड़कर, हर बार जितने भी एनवॉयरमेंट मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनके कंधों पर और ज्यादा बोझ रख दिये गये । मुझे नहीं पता कि इतने सारे बोझ वे कैसे संभालेंगे? However, I must admit that he is a versatile personality. I have the fullest regard for him. The next assault came on 11th December, 2017 when the Central Pollution Control Board wrote to over 400 thermal power units in the country allowing them to release pollutants in violation of the 2015 limits set by the Government, which were to be followed till another five years. It also wanted newer thermal power plants to follow the new norms of clean technologies set by the Government.

मैडम, आप चिंता मत कीजिए । हमारे पास समय है ।

माननीय सभापति: आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है ।

श्रीमती काकोली घोष जी ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: It comes as no surprise that by 2018, 15 of the world's most 20 polluted cities were in India. विश्व के अंदर 15 सबसे पॉल्यूटेड सिटी कहां है? मोदी जी के हिन्दुस्तान में है । ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या हिन्दुस्तान आपका नहीं है? क्या आपका बांग्लादेश या पाकिस्तान है? ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हिन्दुस्तान हमारा भी है । मैंने क्या कहा? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: आपने मोदी जी का हिन्दुस्तान कहा है । क्या हिन्दुस्तान आपका नहीं है? ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने मोदी जी को दोष नहीं दिया । ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: देश की आलोचना मत कीजिए । आप हमारी आलोचना करेंगे तो समझ में आता है, लेकिन देश की आलोचना मत कीजिए । ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह सबका दोष है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सबका दोष है । मोदी जी का अकेला दोष नहीं है । यह सबका दोष है और सारी दुनिया का दोष है । ... (व्यवधान)
तभी तो हमें यह सब भुगतना पड़ रहा है । यह मानना चाहिए इसमें सबका दोष है । लेकिन, यहां ढिंढोरा पीटा जा रहा है । इसलिए, मैं बोलने पर मजबूर हूं ।

According to the 12th Edition of the Environment Performance Index ...

(Interruptions)

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 32 मिनट्स हो गए हैं ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, अभी मेरा समय बाकी है । मुझे बोलने दीजिए ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको 35 मिनट का समय दिया गया है ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, ... *...(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या कहा आपने? यह गलत बात है ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, ... * मैं बस 5-7 मिनट में अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, मैंने बता दिया है कि मुझे कितने समय की जरूरत है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप और भी लोगों को बोलने दीजिए ।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, according to the 12th edition of the Environmental Performance Index (EPI) released by Yale University, India has performed poorly. Out of 180 countries analysed, India stood at 168th position behind all South Asian nations, except Afghanistan. हम लोग अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों से पीछे हैं ।

We have the score of 27.6. According to the Report, the laggards, such as, Nigeria and India, need to redouble their sustainability efforts. As the Environmental Performance Index shows India needs to match its talk on environment with more action. मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाषण कम कीजिए, एक्शन ज्यादा कीजिए । मैं यही कह रहा हूँ ।

* Not recorded.

India performed the worst regionally on all five key parameters for environmental health. क्या-क्या पैरामीटर्स हैं? सैनीटेशन फिसड्डी हो गया, ड्रिंकिंग वॉटर, फिसड्डी हो गया, एयर क्वालिटी, दिल्ली में पता चलता है कि कैसी एयर क्वालिटी है । हम सभी यहां रहते हैं । हैवी मेटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ फिसड्डी हो गया ।

We are all lagging behind on all environmental health parameters. We need to seriously focus on fixing air and water quality and biodiversity. India, this Report shows, is quite far from achieving the targets of the Sustainable Development Goals on environment. While the rhetoric on sustainability efforts of India has gone up, the increased vigour of efforts, though significant, still fall short. महोदया, आप मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है । हाउस छः बजे तक ही चलेगा । अन्य माननीय सदस्यों को भी अपने विचार रखने हैं ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मुद्दे पर तो सभी लोग बोलेंगे ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, मैं इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूं । यह हो सकता है कि उनको न अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप पूरे हिन्दुस्तान को दोषी बना रहे हैं ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, यह हो सकता है कि किसी को मेरी बात न अच्छी लग रही हो, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. काकोली घोष दस्तीदार जी, आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, अगर आप मुझे बोलने देंगी, तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं छोड़ दूंगा ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बाद में बोल लीजिएगा ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, मैं एक कविता सुनाकर बैठ जाऊंगा ।... (व्यवधान)

यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है,
 यह हवा की सरसराहट, यह पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों की चहचहाहट,
 यह समंदर की लहरों का शोर, यह बारिश में नाचते सुंदर मोर,
 कुछ कहना चाहती है हमसे, यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है,
 यह खूबसूरत चांदनी रात, यह तारों की झिलमिलाती बरसात,
 यह खिले हुए सुंदर रंग-बिरंगे फूल, यह उड़ते हुई धूल,
 कुछ कहना चाहती है हमसे, यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है,
 यह नदियों का कल-कल, यह मौसम की हलचल,
 यह पर्वत की चोटियां, यह झींगुर की सीटियां,
 कुछ कहना चाहती है हमसे, यह प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है ।

माननीय सभापति : डॉ. काकोली घोष दस्तीदार जी ।

... (व्यवधान)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Madam, it is a very appropriate decision to include in today's business to have discussion on Climate Change under Rule 193. I thank you for giving me this opportunity. I thank the All India Trinamool Congress for letting me speak on this important issue.

Yes, the climate is changing and we are all suffering because air is such a thing which we cannot compartmentalise. We can put on a mask for certain hours a day as we are doing for the COVID-19, we cannot sleep with a mask on. Some rich people are using air fresheners in their rooms but the poor people cannot afford it. We cannot have air fresheners all over the city, all over the town. Now, we know that air from another State is coming towards Delhi and the Air Quality Index is falling every day; sometimes, it is even more than 400 to 500.

This makes it very difficult for patients suffering from asthma and young children to breathe. Now, the experts say that this is due to stubble burning. The air is coming towards the east. However, the farmers have their own problems. So, the Government should stand by their side as far as stubble burning is concerned because they have been doing it for ages. They should be taught that, instead of burning, they can convert the stubble into compost to use it in farming. They can put it under the ground, and then there will be no pollution here.

Air pollution is generally caused by automobile industry. Too many cars are running on the streets. Pollution is caused by construction sites, and mostly by burning of fossil fuel about which the discussion is going on throughout the world. First, we can quote the Paris meeting where 210 countries signed the agreement, and later also, the agreement was signed in Glasgow as was being discussed here just now.

I would like to draw your attention and of this august House that every year, the sea is advancing and an area of 4000 sq. miles is being submerged. This flooding is all pervasive, and there are 7.5 million people who are in danger. There is a particular place. I am not trying to make this a political issue. It is a topic of survival. The Sundarbans are submerging. The 'Sundarbans' was named on Sundari trees, the mangrove forest. They are located in the Ganges Delta which is partly in the State of West Bengal and partly in the neighbouring country of Bangladesh. This low-lying area is submerging every day and every year because of the rise in water level. The glaciers are melting because of the climate change. Due to the melting of glaciers, the water level is rising. So, we would like the Central Government's intervention with substantial financial help towards saving the Sundarbans and saving the people living there. There are 7.5 million people whose lives and properties are in danger.

Now, the experts are of the opinion that the unplanned development is leading to this kind of climate change and the unplanned development is not keeping with the Sustainable Development Goals which 192 countries have

signed. The Kyoto Protocol was not heeded to. The air from one area goes to another area. If pollution is caused by stubble burning, that means the pollution is going all over the world as the globe is moving. It is affecting the globe adversely. The air quality of another place also deteriorates when it goes there. The only limit that the meetings have decided on was to cut out on the greenhouse gas emissions and the carbon dioxide emissions. India decided that it would make zero emissions by 2050. Now, they have extended the time further.

With regards to automobile industry, let us come to the local issue of Delhi or the local issue of our country. We can, at least, invent or think of some method either of transforming cars and certain engines into electrical engines or hybrid models or implementing the rule of odd-even car numbers to ply on roads so that we can save the people from getting this kind of breathing diseases. Everything is getting affected. The water bodies are getting affected. The fish and the aquatic animals are getting affected. The farm products are getting reduced. The farming is getting affected because of the poor air quality and the climate change that is coming and affecting everybody's life.

Unpredictability of the weather and severe natural disasters are foretold. We can see that even over the last weekend there was a very bad depression in the Bay of Bengal which affected parts of Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. We are seeing this kind of natural calamities happening every two, three months. If we do not sit up and take cognizance of these right away, within the next few years the climate change will affect us so adversely that

living will become difficult. So, instead of doing politics, instead of doing *tu-tu*, *main-main* about this, we should all stand together and fight this menace of climate change so that we can leave a livable world for our future generations.

Our next generations have not done anything wrong but we are erring. The present and the past generations, particularly in the developed countries, have caused a lot of carbon emission. We have to reduce our carbon footprint. What was decided after the climate conferences held in different cities like Kyoto, Paris, and Glasgow is that we have to shift to renewable energy.

It is definitely a proud moment that India is ranked fourth in the world as far as renewable energy production is concerned. But there are countries which have done better. Denmark is running on 100 per cent renewable energy. Germany is doing very well as far as renewable energy production is concerned. So, we have to phase out or totally stop fossil fuel and go towards renewable energy production.

In the United Nations' Emission Gap Report of 2019, renewable energy has not completely replaced fossil fuel yet. Fossil fuel burning badly affects the air quality. The current national energy plan is inadequate. Not only that, we do not stand by the companies, private companies and also the public sector undertakings, which are trying to produce renewable energy through solar panels. Solar energy is a comparatively new subject, and there is a lot of scope for employment generation and mitigation of climate change.

Eighty per cent of the raw material for solar energy production comes from China. Although the Production Linked Incentive (PLI) Scheme has been launched, only a few large investors will benefit and smaller companies will get washed out. So, we have to stand by the smaller companies which are trying to produce solar energy.

Government of India has issued guidelines for the Bureau of Indian Standards (BIS) certification and has made the approved list of makes and models mandatory. But the implementing agencies are not implementing the same strictly. Hence, large quantities of imported material, particularly from China, are being dumped in the Indian market. So, we are suffering.

There was a Safeguard Duty (SGD) on the modules but it was phased out last year and the Basic Customs Duty will come into effect only from 1st of April, 2022. So, although no gazette notification has come, this has to be implemented immediately. For machines to manufacture solar modules, we are 100 per cent dependent on imports from Europe, USA and China. Without creating indigenous capacity for machine manufacturing, we will be lagging behind in global solar competition. India should catch up with other countries in this regard and we should be able to build this capacity. In 2018, renewable energy supply was only 26 per cent of the total electricity of the country. We should catch up on this too.

Renewable energy is investment intensive but low on running cost, and it produces a lot of employment opportunities. But we require transmission infrastructure and grid operating procedures. Global fossil fuel subsidy must also be phased out and it is most imperative that we do it.

Government of India plans to establish renewable energy capacity of 500 GW by 2030. I think the installed capacity as of 2020 was 87.26 GW only. Like I said, India ranked fourth in production of renewable energy. So, we should be more concerned about this.

17.00 hrs

The MPLAD fund can be used for installation of renewable energy, that is solar panel in the rural areas, particularly for health centres, rural health centres to get uninterrupted electricity supply by solar energy panels. We can do it. The Government can make compulsory building of green buildings, smart grid implementation and also clean energy corridor for trading in renewable energy.

Thank you, Madam.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Thank you, Madam. We have seen COVID-19 over the last two years. It has been a pandemic. We have lost, perhaps, four lakh people in India and about three million people worldwide. Global warming will be a deadly pandemic in the longer term. Our population in 1900 was 1.6 billion on this earth, and in 2020 it has been eight billion. This is totally unviable to continue at this pace of human activity. Every country has a share of cutting down on emissions to do. I am happy that as a population, as different political parties, all of us agree that climate change is a problem unlike our friends in the United States where climate change is a political issue.

I am happy that our hon. Prime Minister made a pledge to cut emissions in Paris and we have also met our promise. I am sure that we are on the path to achieving the increased promise in Glasgow. As a person from Andhra Pradesh, I personally can pledge that we are in the forefront of the solar revolution and we are on line to meet every deadline that is there, as far as Andhra Pradesh is concerned. We have also started a new technology where all the renewable energies come together in the name of pumped storage technology where we do not need any battery storage system to supplement our renewable energies.

The majority of our pollution today in the country is from industries and power generation. I hope that we can strengthen our Pollution Control Boards in the State. I hope that the relaxations that Adhir Ranjan *ji* mentioned, which were given by the Government, stand corrected. Deforestation is another major cause for climate change. I have no doubt – we have all seen what is

going on in our constituencies – that forest and water seem to be the least of priorities as far as activity is concerned. We are all worried about essential services to our population, while we seem to neglect and ignore our forest resources and our water resources. I hope that our Government can have some dedicated satellites to pinpoint and protect our forest boundaries. It is not only that, as far as rainwater flood flow is concerned, I hope that our Government can make fresh surveys and identify and retrieve land from occupations to preserve it for our waterways, let it be streams, lakes, canals or rivers and even seas.

Another major source of climate change is from methane coming from livestock. Thankfully, I think, as far as livestock is concerned, our country is better placed than most countries in the West as livestock, amongst Indians, is a part of our agriculture supplement. It is more a lifecycle than an exclusive farming. So, I am glad to say that we Indians are polluting less as far as methane pollution from livestock is concerned.

Then, as we all know, for the last 70 years or 100 years, the major source of pollution resulting in global warming is from motor vehicles. We have a solution down, that is electric vehicles. World over, it has been transforming in the last few years. India has done its share. But I do not think we have done it fast enough, and I do not think we are paying enough attention to transforming or to transitioning from traditional fossil fuel to electric vehicles. I hope the Government focuses and makes a time-bound programme to move towards electrification of all kinds of vehicles, be it freight or passenger.

We have made a huge stride in moving from wood cooking to LPG cooking. Though LPG cooking is cleaner than traditional timber burning, LPG is still a form of combustion and it emits carbon dioxide which adds to global warming. Considering the latest or recent inventions or innovations in the solar technology, I wish to point to the Government that it is possible to invent an induction or an electric stove using solar cells. This can be a stand-alone solution to each house along with battery, where cooking will not only be clean but also almost free using sunlight as a resource. This can help reduce adverse impact of climate change. Not only that, our dependency today on fossil fuel, either for motor vehicles or clean cooking, can almost come to zero helping our economy as such, as well as keeping the environment cleaner.

The other major contributor to global warming in India is garbage burning. We do not have any solution to our waste which we generate mainly in rural areas. The only way to dispose of the garbage in villages today is by burning, or the alternative being dumping in the water bodies. It is a shame that we are unable to address the issue of waste management in rural areas. The only hope that I have is from our hon. Prime Minister's pledge to ban single-use plastic, which has taken a back seat, I think since COVID-19.

I would like to bring to the attention of the Government that environment-friendly regulations, especially as far as single-use plastic is concerned, will help in decentralised development. Plastic is sourced from a few suppliers. We all know that Reliance Industries are perhaps the major suppliers of plastic in our country. The alternative being, either paper or timber or wood which can

be sourced from a million farmers. This is where cottage industries can come into the picture. We can develop rural enterprises instead of a few suppliers or a few industries, and pour life into villages.

I would also like to bring to light an example of Lays Chips made by Pepsi. It is a shame that a company which is listed in the New York Stock Exchange has to make money out of a small village in India. Only because there is no regulation on the packaging, they are openly polluting not just India, but the rest of the world. Maybe 20 or 30 years ago, all of us would have seen, every village had a sweet shop which made local ladoos. It was made locally and consumed locally. There was not a single point of pollution. I hope we can regulate every single bit of single-use plastic, which will help our rural economy, rural enterprises, and rural employment as such.

My final plea is, all of us have to agree that climate change is a clear danger at the present time. I hope we can all come together to prepare for our future generations. Not only that, the Prime Minister has made a commitment, as we all spoke about, to reduce carbon emissions by one billion tonnes by 2030. I hope it will be a reality. I hope we will see more plans for reaching this goal. He has also pledged to reach carbon neutral by 2075.

I hope this discussion will lead to more regulations and laws and we prioritise on environment and global warming as, so far, it has taken a backseat in every way.

I hope we can make that a priority versus just development and economy. Thank you very much.

श्री राहुल रमेश शेवाले (दक्षिण-मध्य मुम्बई) : माननीय सभापति महोदया, आपका धन्यवाद । आज हम नियम-193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से जलवायु परिवर्तन विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को संबंधित मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा ।

सभापति महोदया, उन्नीसवीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ । रोजगार पाने के लिए गांवों में स्थित आबादी शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगी और शहरों का आकार दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा । मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में उनकी क्षमता से कई गुना अधिक आबादी निवास कर रही है, जिससे शहरों के संसाधनों को भारी नुकसान हो रहा है । जैसे-जैसे शहर बढ़ रहे हैं, वहां उपलब्ध भू-भाग दिन-प्रतिदिन ऊंची-ऊंची इमारतों से ढंकता जा रहा है । इससे उस स्थान की जल संवर्धन क्षमता कम हो रही है तथा बारिश के पानी से प्राप्त होने वाली शीतलता में भी कमी हो रही है । इससे वहां के पर्यावरण तथा जलवायु पर निरंतर प्रभाव पड़ रहा है ।

सभापति महोदया, हम औद्योगिकीकरण की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन में औद्योगिकीकरण की बड़ी भूमिका है । विभिन्न प्रकार की मिलें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अनेक प्रकार की अन्य जहरीली गैसों और धूल कण हवा में छोड़ती हैं, जो एट्मॉस्फियर में काफी वर्षों तक रहती हैं । यह ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण तथा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं । वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण भी औद्योगिकीकरण की ही देन है । मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को विचार कर इस समस्या का हल निकालने का काम करना चाहिए ।

सभापति महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान डीफॉरेस्टेशन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा । निरंतर बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं । आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है और साथ ही जलवायु के परिवर्तन में तेजी आ रही है । इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । इसका पहला कारण हमारे महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में जो बैमौसम भारी बारिश होती है, उससे जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी जिससे बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएँ पैदा होंगी । जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी तथा पीने योग्य जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे । जहां तक भारत का प्रश्न है, मध्य तथा उत्तरी भारत में कम वर्षा होगी, जबकि इसके विपरीत देश के पूर्वोत्तर तथा दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा होगी । परिणामस्वरूप वर्षा जल की कमी से मध्य तथा उत्तरी भारत में सूखे जैसी स्थिति होगी, जबकि पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी राज्यों में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी । सरकार को इस समस्या की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ।

वैसे ही समुद्री जल स्तर पर जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर इक्कीसवीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी, जो समुद्र से 60 कि.मी. की दूरी पर रहती है, पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है ।

सभापति महोदया, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए । जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य सहित अन्य राज्य जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, केरल कर्नाटक, गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों के तटीय क्षेत्र फ्लडिंग के शिकार होंगे । परिणामस्वरूप आस पास के गांवों व शहरों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग विस्थापित होंगे जबकि समुद्र में जल स्तर की वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत के लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीपों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मीठे जल के स्रोत दूषित होंगे जिससे परिणामस्वरूप पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होगी और बीमारियों का प्रतिशत बढ़ेगा ।

महोदया, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । यह हम सभी जानते हैं और मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे खेतों में रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज विश्व भर में 1000 से भी अधिक प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध हैं । जैसे-जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे वायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंचा रहे हैं ।

महोदया, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कृषि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर भी पड़ेगा । भारत में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी । वर्षा, जल की उपलब्धता के आधार पर धान के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी । भारत में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी जैसी फसलों की उत्पादकता दर में वृद्धि होगी जबकि इसके विपरीत मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान तथा जौ की उपज में गिरावट दर्ज होगी । आलू के उत्पादन में भी अभूतपूर्व गिरावट दर्ज होगी । मुझे लगता है कि सरकार को इस समस्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है ।

महोदया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा । विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में ऊष्णता के कारण श्वास तथा हृदय संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी । जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप न सिर्फ रोगाणुओं में बढ़ोतरी होगी अपितु इनकी नई प्रजातियों की भी उत्पत्ति होगी जिसके परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी जो पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाएगी । इससे स्वास्थ्य संबंधी और भी समस्याएं पैदा होंगी ।

महोदया, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें कई देशों से हम समझौता कर चुके हैं । विश्व स्तर पर कई बड़े सम्मेलन हो चुके हैं जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा । जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम

करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है । वैसे ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है । जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है । वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है । कॉप-25 सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं । इसमें पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर हुए सम्मेलनों-समझौतों पर भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को निपटने हेतु केन्द्र सरकार क्या प्रयास तथा उपाय योजना कर रही है और अभी तक सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से उपाय किए हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार एक ठोक नीति बनाकर इस समस्या को हल करने का काम करे । मैं मानता हूं कि सरकार इस संबंध में कार्य कर रही होगी, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस पर प्राथमिकता से कोई ठोस उपाय योजना बनाकर इस समस्या को हल करे ।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदया, आपने मुझे नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद । जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म दिनों की संख्या में इजाफा हो रहा है । ग्लेशियर हर साल 4 प्रतिशत की रफ्तार से पिघल रहे हैं । समुद्र का जलस्तर भी प्रतिवर्ष 4 मिली मीटर तक बढ़ रहा है । इससे मुम्बई सहित समुद्र के किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा बना हुआ है, जबकि सुंदरवन का 9 हजार हेक्टेयर से अधिक भूखंड समुद्र में समा चुका है । वहीं सुंदरवन का निर्जन टापू, घोड़ामारा द्वीप और न्यूमूर द्वीप भी पानी में समा चुके हैं और यहां के लोग पलायन कर रहे हैं । ग्लेशियर और समुद्र के अलावा जमीन पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है । अनियमित विकास के कारण जन्मी जलवायु परिवर्तन की विभीषिका और मानवीय गतिविधियों के चलते भारत की छोटी बड़ी करीब 4500 नदियां सूख गई हैं । 22 लाख तालाब विलुप्त हो चुके हैं । अति दोहन के कारण दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद, कानपुर जैसे शहरों में भेजल समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है जबकि देश के अधिकांश राज्य यहां तक कि हिमालयी राज्य भी जल संकट से जूझ रहे हैं । एक अनुमान के मुताबिक हम भारतीय जाने अनजाने में हर दिन 49 करोड़ लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं ।

वहीं बढ़ती गर्मी या गर्म दिनों की संख्या ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिस कारण भारत की 30 प्रतिशत भूमि मरुस्थल की चपेट में आ चुकी है । भारत में जिस तरह से मौसमी बदलाव के कारण आपदाएं आ रही हैं, उसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन बढ़ने का अनुमान है । इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एन्वायरमेंट एवं डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं ने पाया कि लोग इस कारण अपने घर-द्वार को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं । जल और वायु शब्द से मिलकर 'जलवायु' शब्द बना है । जल और वायु को पृथ्वी पर जीवन का आधार अथवा प्राण कहा जाता है । इन दोनों शब्दों के योग से मौसम बनता है और मौसमी घटनाओं में बदलाव को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है । इस मौसम को बनाने में ऋतुओं का अहम योगदान है और भारत में शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद चारों प्रकार की ऋतुएं हैं, जो देश को प्राकृतिक संपदा से सम्पन्न बनाती हैं । हर-एक ऋतु की अपनी एक विशिष्ट विशेषता एवं पहचान है, लेकिन विकसित

होने के लिए जैसे-जैसे भारत अनियमित विकास की गाड़ी पर बैठकर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ही देश में खुशनुमा आसमान पर जलवायु परिवर्तन के बादल और घने होते जा रहे हैं ।

महोदया, ऋतुओं के चक्र और समय-काल में बदलाव हो रहा है । हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव अधिक दिख रहा है, जिसके लिए अनियमित औद्योगीकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है, लेकिन केवल उद्योगों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि देश का हर नागरिक, या यूं कहें कि बढ़ती आबादी भी इसके लिए जिम्मेदार है । दरअसल बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरे विश्व में औद्योगीकरण पर जोर दिया गया है । लोगों के रहने, उद्योग लगाने, ढांचागत निर्यात जैसे रेलवे लाइन, मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवे, पुल आदि बनाने हेतु बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया है । पेड़ों के काटने की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते तीन वर्षों में देश के विभिन्न स्थानों पर 69 लाख 44 हजार 608 पेड़ों को काटा गया है । सरल शब्दों में कहें तो विकास की गाड़ी को चलाने के लिए जीवन देने वाले पर्यावरण की बलि चढ़ा दी गई है । यही हाल विश्व के अन्य देशों का भी है और पेड़ों का कटना थमने का नाम नहीं ले रहा है । इस कारण दिल्ली, भोपाल, इंदौर और बुंदेलखंड जैसे देश के अनेक स्थान, जो कभी हरियाली से लहराते थे, आज सूने पड़े हुए हैं ।

महोदया, यह विदित होना चाहिए कि वृक्षों का काम केवल हरियाली को बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि वातावरण से कार्बन डाई ऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन प्रदान करने सहित मृदा अपरदन को रोकना तथा भूमिगत जल-स्तर बनाए रखना भी होता है । वृक्ष मौसम चक्र को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं, किन्तु वैश्विक स्तर सहित भारत में हो रहे वनों के कटाव ने जलवायु को काफी प्रभावित कर दिया है । उद्योग जगत भी जलवायु परिवर्तन में अपना पूरा योगदान दे रहा है । देश में नियमों का सख्ती से पालन न होने के कारण उद्योगों के जहरीले कचरे को नदियों, तालाबों आदि में बहा दिया जाता है । विशाल आबादी का सीवरेज भी सीधे नदियों आदि में बहाया जाता है । एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी खुले में प्लास्टिक युक्त कूड़े को

धड़ल्ले से जलाया जा रहा है । कुछ नगर निकाय तो खुद ही कचरे में आग लगा देते हैं, जिस कारण जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है । वहीं देश के अधिकांश उद्योग न तो पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हैं और न ही नियमों का पालन करते हैं । इसके बावजूद भी बेधड़क होकर हवा में जहर घोला जा रहा है ।

महोदया, जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं भी बीते कुछ वर्षों में बढ़ी हैं । गर्म और शुष्क मौसम के कारण आग तेजी से फैलती है और बार-बार आग लगने की आशंका भी बढ़ जाती है । तापमान वृद्धि का एक बुरा असर यह भी होगा कि साइबेरियन क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ भी पिघलेगी, जिससे सदियों से अवशोषित ग्रीन हाउस गैसों भी मुक्त हो जाएंगी । इसका बुरा असर पड़ेगा । तापमान बढ़ने के कारण जीवों के लिए भोजन और पानी का संकट बढ़ जाएगा । वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रिया-कलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारणों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए । हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए, जिससे ताप वृद्धि धीमी हो । वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को वर्ष-2001 तक डेढ़ डिग्री सेल्सियस बनाए रखने की जरूरत है । लेकिन अगर इस संबंध में दुनिया के तमाम देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है ।

प्राकृतिक आपदाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं, वह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है । तूफानों की संख्या बढ़ी है, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ता है ।

अगर तापमान यूँ ही बढ़ता रहा तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो जाएंगे और खेत रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं । तापमान बढ़ने के कारण कुछ इलाकों में इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं । भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है । हाल ही में चीन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में आई बाढ़ इसी का नतीजा है ।

महोदया, जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए मानव-क्रियाएं सर्वोपरि दोषी हैं । घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

जलवायु परिवर्तन के कारण जल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । वर्षा की स्थिति में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर बहुत जगहों पर सूखा और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं । बहुत से लोगों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है । कहीं पर बहुत से लोगों के घर डूब रहे हैं तो कहीं पर पीने के पानी के लाले पड़े हैं । तापमान में हो रही लगातार वृद्धि के कारण ग्लेशियर के पिघलने से होने वाली आपदा का संकट बना हुआ है, जो कि एक विकट समस्या के रूप में उत्पन्न हो रही है । धन्यवाद ।

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Chairperson Madam, on behalf of Biju Janata Dal, I would like to place my views on climate change. Through you, Madam, I would like to flag the following issues on climate change.

Climate change is real. It is happening now, as I speak. It is no more a talk of the past that climate change will occur if actions are not mindful. In fact, the pandemic has shown it. The spread of the virus has triggered an unprecedented worldwide response composed of rigorous social distancing, bans, ambitious economic packages, and programmes for vaccination and for a while, it has eclipsed all other crises including climate change. But climate change cannot be put in the back burner.

Now, it is a moment for mobilisation against the climate crisis. We saw examples of healing of nature during lockdowns, which though very short lived, saw a rebound. We all know Delhi's AQI improved during lockdown. Even the health of River Ganga has seen significant improvement during lockdown. I do not say that we have to go back to lockdown but we have to be mindful.

If the world waits for climate change to trigger an impact similar to COVID-19, it will be too late. Given the threat of climate change on human society and economy, action against climate change should have been already underway. Climate change will increasingly have dramatic effects on poverty, inequality as well as human and ecosystem well-being. The impacts will furthermore affect the disadvantaged and vulnerable population through food

insecurity, higher food prices, income losses, losing livelihood opportunities, adverse health impacts, and population displacements.

So, fighting climate change requires a collaborative approach in all spheres of society. It has to be top down at macro level and awareness at micro level. In our villages, among the tribals and women, we see a lot of sustainable practices. So, our micro level handling will not be a problem. If it is to redress the inequalities linked to climate change, its response must also see significant support from high-income countries towards the rest of the world because they have the resources. It must also heavily redirect resources towards local sustainable activities, including education, health, sustainable agriculture, renewable energy, and circular management of resources.

A just transition to a sustainable model of development would be beneficial from a socio-economic perspective. It would create a large amount of local employment, reduce exposure to volatile, expensive and largely imported fossil fuels, bring innovation and generate vast savings from improvements in human and ecosystem health. In addition, the solutions to decarbonise are largely available and, in most cases, cost-effective also.

We should also learn from the indigenous people, constituting about five per cent of the world population. Indigenous people are vital stewards of the environment. Traditional indigenous territories encompass 22 per cent of the world's land surface, but 80 per cent of the planet's biodiversity.

A third of global forests, crucial for curbing gas emissions, are primarily managed by indigenous people, families, stakeholders, local communities. Indigenous foods are also particularly nutritious, climate-resilient and well adapted to their environment, making them a good source of nutrients in climate changed areas.

Their ways of life and their livelihoods can teach us a lot about preserving natural resources, growing food in sustainable ways and living in harmony with nature. Mobilising the expertise that originates from this heritage and these historic legacies is important for addressing the challenges facing climate change today and also in the future. Here are six of the many ways in which indigenous people are helping the world to combat the climate change.

Their traditional agricultural practices are resilient to climate change. They conserve and restore forests and natural resources. Indigenous foods expand and diversify diets. Indigenous foods are resilient to climate change. Indigenous territories hold 80 per cent of the world's biodiversity. Indigenous people's lifestyles are locally adapted and respectful of natural resources.

India is much ahead of these things. The pressure to speed up mitigation and adaptation is at an all-time high. India is doing well under the leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji in achieving its mitigation commitments of reducing emission intensity and enhancing renewable capacity. India is targeting 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030 and it has launched mega solar and green hydrogen missions.

To strengthen adaptation and resilience, India can do the following. First, it can be well prepared for climate change with high quality meteorological data. With improved early warning systems and forecasting, we can tackle the crisis better.

Second, for sustainable production system, it is necessary to develop well-functioning markets for environmental-friendly products and disseminate them for the desired behavioural change.

Third, it is important to encourage private sector participation for investment in adaptation technology and for designing and implementing innovative climate service and solution in areas such as agriculture, health, infrastructure, insurance and risk management.

Fourth, we need to protect mangroves and forests to address climate-related risks by blending traditional knowledge with scientific evidence and encourage local and state actors to actively participate.

Fifth, major social protection schemes must be climate-proofed. We have an opportunity to create resilient infrastructural assets, diversify the economy and enhance the adaptive capacity of rural households.

Lastly, for continuous monitoring and evaluation, effective feedback mechanisms must be developed for mid-course correction, periodic fine tuning of State Action Plan on climate change is crucial to systematically understand micro level sensitivity, plan resource allocation and design response to serve different levels of intensity of climate hazards.

The time for tackling billions is over. The 1.5 Degree Report tells us that we have time till 2028 to turn things around. We have to do better than what we are doing now. But that is not impossible. The solutions are, in fact, there. We need to focus on adaption and innovations. The finance is available. It is not difficult to find finance. It is about creating a narrative of hope and positivity and working in partnership with others who really want to do something meaningful and are not just in it for a fast buck. Otherwise, in some years the planet, as we know, will not exist. Some people have woken up to this reality; some people are waking up, and the sooner they do it, the better it is for the world. It will be difficult, but there is hope. The COVID-19 crisis is proof that a global response is possible. But in the case of climate, a global coordinated response larger than the sum of its parts is required.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Madam Chairperson, I would like to thank you for allowing me to present the views of the Bahujan Samaj Party and Behan Kumari Mayawatiji.

I am a Member of Parliament from one of India's most densely populated States, and my constituency Ambedkar Nagar is primarily rural, agrarian, and poor, and I am standing here today to say that we, as a nation, are simply not prepared for the climate crisis. I will talk about three issues namely, the economy's dependence on coal, lack of spending on climate change mitigation, and biodiversity loss.

India has made impressive progress in the generation of renewable energy and the adoption of Electric Vehicles for which it has rightly achieved international acclaim and I would like to congratulate the Minister for this. India consumes less than a third of the global average of per capita energy consumption. So, India needs to consume more energy, not less, to lift its bottom millions out of poverty and to give better standards of living. But 70 per cent of our energy demand is fulfilled by coal, and we are facing a pandemic, and policy-led shortages of this fuel. Additionally, our dependence on petroleum keeps our economy totally dependent on oil producing States.

So, if we are serious about climate and economic development, we must reduce our dependence on fossil fuels. But, while gaining international acclaim for its renewable energy efforts on the one hand, the Government has made effort to increase the auction of coal mines on the other. Most of the 33 gigawatts of coal power generation capacity under construction and the 29 GW

in pre-construction stage will end up as stranded assets. We are already witnessing this shift. According to a report authored by the Institute for Energy Economics and Financial Analysis, there have been no new coal plants announced and no movement on the 29 GW pre-construction capacity in the last 12 months. This is because the economics of new coal plants does not make sense. According to the same report, coal-fired power plants simply cannot compete with the ongoing cost reductions of renewables. Solar tariffs in India are now below even the fuel costs of running the existing coal-fired power plants.

So, the question is this. Why is new coal capacity being prioritised over efforts to update and reform the distribution infrastructure of renewable power plants? Additionally, increasing efficiency of existing coal plants is one of the most sustainable sources of untapped energy available to us. If the Government is serious about tackling carbon emissions, then what is the Government's progress on increasing energy efficiency in the existing power generation infrastructure?

My second point is that we are simply not investing enough funds in our Climate Change Mitigation Initiatives.

Let us look at the Government's numbers of the expenditure profile of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which is, and I quote:

"The nodal agency in the administrative structure of the Central Government for planning, promotion, coordination

and overseeing the implementation of India's environmental and forestry policies and programmes.”

In the last five years, Madam, the Ministry is unable to fully spend even the funds it has been allocated by this august House. The amount of its actual expenditure has been decreasing.

In 2019-20, the Ministry under-spent by Rs. 417 crore, and the amount of under-spending for 2020-21, was a staggering Rs. 1,085 crore. In a country of 1.3 billion people whose vulnerable population will be devastated by climate change, is this how the nodal agency, which has to fight climate change, should operate, by not being able to utilise the funds it has been allocated by this House?

This under-utilisation becomes even more dire when you look at the spending numbers of the Climate Change Action Plan, which is a Government programme to mitigate and adapt to the adverse impact of climate change. The budgeted amount for 2019-20 was a measly Rs. 40 crore and the actual expenditure was Rs. 23 crore. Then again, the budgeted amount for 2020-21 was Rs. 40 crore, but the revised estimates for last year was just Rs. 15 crore.

Even the Climate Resilient Agriculture Initiative, which aims to enhance resilience of Indian agriculture to climate change, is allocated a meagre budget of around Rs. 50 crore, and even this, Madam, is not fully spent.

What do I say to the farmers of Ambedkar Nagar about their future, who have already experienced excessive monsoon rains that are destroying their *kharif* crops, and droughts that are destroying their *rabi* crops?

In a population of more than 130 crore people where heat waves, droughts, floods, unpredictable rains and snow will destroy livelihoods of millions of poor people, the Government is spending only 11 paisa per person on the mitigation of these disasters.

In contrast, Madam, this is ... * that the Government is spending 81 times more than this amount on advertising.

Another aspect of Climate Change Mitigation is that it does not adequately address the loss of biodiversity and the Government's role in exacerbating this loss.

Climate change and biodiversity are two sides of the same coin, Madam. Climate change is one of the main drivers of biodiversity loss, and the biodiversity loss reduces nature's ability to absorb greenhouse gases, thus accelerating climate change.

The Government's Environmental Impact Assessment Rules of 2020, makes it easier than ever before for corporations to ravage – unchecked and unhindered – India's public environmental resources.

Last year, Madam, a gas leak at a chemical plant in Visakhapatnam that killed 12 people and hospitalised about 585 people, was traced to the

* Not recorded.

negligence of LG Polymers, a company that admitted that it did not have the environmental clearance.

Last year again, an oil well owned by Oil India Limited in Upper Assam caught fire after leakages for about two weeks in an area with multiple species of mammals, 300 bird species and various species of fish and flora.

The Himalayas are experiencing more landslides, more floods, and at the same time, the construction of roads, mines, buildings and dams are going on. These are affecting the Himalayas because they are not taking into account while constructing these things, the delicacy of the mountain ecosystem.

According to a Report by *Climate Central* published in 2019, a large region of Mumbai will be completely wiped out by 2050.

But during the lockdown, the Government cleared about 182 projects that will destroy forests and all the people and animal species dependent on it.

Madam, the bottom line is that although we need progress and upliftment, all progress and all upliftment will only be temporary without the protection of our environment and the mitigation of the impacts of climate change.

The demand for change must come from the people. But there is simply not enough awareness in India on an issue that is electing and removing Governments in other countries. We, the elected representatives of the House, must do more to tackle this knowledge gap through community outreach programmes in our constituencies that raise awareness of this crisis.

Something I hear often in conversations around India and climate change is that we have bigger issues like poverty, inequality, lack of education access, lack of infrastructure and healthcare. But every one of these issues will only be worsened by climate change because climate change like the COVID-19 will disproportionately affect those who have less means of dealing with its impacts. This means that Dalits, women, children, poor farmers, daily wage labourers and small fishermen are especially vulnerable. If you care about social justice, you must care about climate justice because there is no social justice without climate justice.

Madam, at the end, I would also like, through you, to request that with the Pandemic, there has been a lot of medical waste which has been burnt. It is also harming our efforts to save our environment. There should be a special effort towards this issue so that the disposal of medical biowaste can also be done. Thank you very much.

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (सतारा): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं अपनी बात मातृभाषा मराठी में बोलना चाहता हूँ और मैंने इसकी परमिशन मांगी है।

*Today, I am 80 plus and I recall my childhood days. We used to float paper boats in the rainwater while going to school. We all enjoyed those days of our childhood. But, today we are unable to enjoy it because we have heavy rains these days and the paper boat cannot float. We should learn to conserve this rain water through rain water harvesting. In my constituency Satara, there are hill stations like Mahabaleshwar and Panchgani and we used to enjoy the cool weather there. Patan, Koyna Project is also there and we have a beautiful nature around us. But, today people are chopping off the trees and using it as a cheap fuel source causing imbalance in natural environment.

Today, human beings are behaving selfishly and they are not concerned about Mother Nature. Earlier, Mother Nature used to maintain the balance but now it is not possible. We were fully dependent on nature but after scientific and technological advancement, we are now destroying the jungles. We have polluted the atmosphere in the name of Industrial Revolution. Growing population paved the way for urbanization and we completely lost the very basis of our human life. That is why, we have been witnessing this global warming, climate change and all the natural calamities. Thermal power stations, Cement factories, Paper Industry, Metal industries and other chemical

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

industries are responsible for it and hence, we have been facing these problems, like depletion of ozone layer, iceberg melting, increase in seawater level and temperature levels and drastic climate change.

Due to advancement in the field of science and technology, we have better medical facilities and hence life expectancy has also got improved. To cater the needs of evergrowing population, we started exploiting natural resources and forests. These natural resources are also depleting day by day. Tomorrow, we will have to suffer a lot and it will become very hard to survive on this earth.

17.50 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

In this backdrop, we should take the warning issued by IPCC and Government of India very seriously. Living and non-livings both are important and our forests are the very basis of our life. Forests used to feed us and now it's our turn to feed them. Carbon emission should be minimized and thermal power stations, polluting industries should be shut down. We should now focus on non-conventional energy sources and solar, wind and hydropower generation should be multiplied. We should encourage jungle based economy rather than industry based economy. It is high time when we should follow a simple lifestyle in place of luxurious lifestyle. Nature helps us to survive but it can kill us also.

I have served as a Governor in the state of Sikkim. On 25 June, every year we used to observe a Nature's Day and devote 10 minutes for tree plantation. If every one of us could devote 10 minutes and plant at least one

sapling, it would be a great work of afforestation. We are 130 crores, it means, we would have 130 crore trees.

These trees could be used as your pyre wood. We all should encourage our children to plant trees and Nature conservation should also be included in school syllabus. Sant Tukaram and other great Saints of Maharashtra have always emphasized on water, soil and forest conservation. We should also follow them

Thank you.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Thank you, Sir for giving me this opportunity.

In fact, as I stand here to speak on the issue of climate change, I would like to appreciate and endorse your opening remarks that this discussion on climate change should not be partisan. Let it be human oriented because having clean air, water, and a liveable climate, in fact, are the inalienable human rights. But of course, one is perturbed to know that at times, the Government is behaving in a very indifferent manner. It seems, when it comes to the urgency of the ill-effects of climate change, the Government is going thick-skinned.

Sir, today, the climate change is real and very tangible in India. I would just like to quote from the Intergovernmental Panel on Climate Change Report which records:

“There has been a very progressive increase in the extreme weather conditions in India in the last decade.”

Everybody knows that the North-Eastern Region of the country has the highest forest cover. But unfortunately, according to the Report, the NER is also witnessing alterations in the rainfall pattern. In fact, in the last 15 years, the erratic and untimely rainfall has caused havoc in the North-Eastern Region. The North-Eastern Region is the storehouse of biodiversity. It is known as the mega hotspot of forestry, rainforests, and biodiversity. Unfortunately, the climate change has taken its toll. There is a new description of climate

refugees. In Assam, we have been seeing the plight of the climate refugees because the people who live in the riverine areas, the people who take shelter in the riverine islands, are routinely getting homeless because of the fluctuations of the river waterflow and the erratic floods pattern. As a result, these climate refugees get homeless. They try to find new space for them and at times, they surreptitiously go and take shelter in the reserve forests and grazing lands where the Government again targets them ruthlessly.

Sir, the climate change has also given various other dimensions that the Government should take care of. At a time when the North-Eastern Region is the storehouse of biodiversity, for unexplainable reason, the Government is trying to implement the Oil Palm Mission, especially in the North-East and in the Andaman and Nicobar Islands. This is something which cannot be acceptable because we all know that what difficulties the palm oil cultivation have caused in countries like Indonesia and Malaysia. There are case studies. There have been case studies which have shown that palm oil cultivation has really created a very difficult climatic condition in Indonesia and Malaysia, so much so that Sri Lanka has decided to uproot the existing palm oil cultivation. At a time like that, we do not understand why the Government of India is trying to target the North-Eastern Region and the Andaman and Nicobar Islands where we have the highest forest cover and where the biodiversity is also well known. But at a time like this, the Government of India is trying to target the North-Eastern Region. That should be avoided.

Sir, the University of Maryland's Global Forest Watch Report has revealed that the North-Eastern Region saw the highest loss of forest cover in India, accounting for 76 per cent of India's forest cover in the last 20 years. This is an alarming figure. But unfortunately, my home State accounts for 14.1 per cent of India's total tree cover loss alone in the last seven years. So, I think we have to be careful.

We have the last remnants of rainforests in a particular district of upper Assam, namely, Tinsukia district. We have the last remnants of rainforests in those areas bordering up to Hukawng Valley of Myanmar. The earlier Government was trying to protect them but it is very unfortunate now a new coal mafia has emerged. They have started the rat-hole mining. They are doing the degradation. They are uprooting the reserve forests. They are uprooting the wildlife sanctuaries, and, obviously, they do all this in collaboration and in connivance with the police and the district officials. Therefore, the Government should take very stern measures to arrest this kind of degradation of rainforests.

At a time when we are talking about forest cover, at a time when we are talking about climate change, it is very unfortunate that the Government is also trying to talk about the new amendments to the Forest Conservation Act, 1980. If the Forest Conservation Act, 1980 is slackened and further liberalisation is done, then, probably, the reserve forest that we have will further get degraded. So, the Government should be very careful.

At a time when the world community is getting together at Glasgow Convention, the role of the Government is very necessary. At a time when the entire world community is uniting to arrest the further growth of coal-fired power plants and further use of fossil fires, the Government of India has not given its final commitment because it has abstained from signing the COP-26 and the Global Methane Pledge towards reducing methane emissions has been very carefully avoided by the Government of India.

18.00 hrs

That should not be there. The Government of India should rise above all kinds of sectarian interests and should unite with the world community to fight the climate change.

Sir, India has taken a very self-defeating posture in Glasgow Declaration on Forests and Land Use. I want to say that the clear and present danger of climate change is this. We cannot burn our future for the present day's prosperity. This should be very important for all of us. I want to tell you that there should not be any kind of sectarian attitude, and remember, ours is the first generation to feel the sting of climate change and probably ours is the last generation that can arrest the further deterioration of climate change. We must arrest the further deterioration of climate change. Let us do it. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर सदन में सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से यह चर्चा अत्यन्त सार्थक सिद्ध हो रही है । विषय की व्यापकता तथा माननीय सदस्यों की सहभागिता को देखते हुए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी ।

सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 9 दिसंबर, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 9, 2021/Agrahayana 18, 1943(Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.